

सुबोध हिन्दी-व्याकरण

प्रस्तावना

संस्कृत शब्द "भाषा" का अर्थ 'सार्थक बोली' है। सार्थक बोली केवल मनुष्य बोलते हैं। अन्य प्राणियों की बोली और बला आदि वाद्ययन्त्रों से निकली हुई आवाज ध्वनि (अस्पष्ट आवाज) कहलाती है। जैसे—काकध्वनि, सिंहध्वनि। कौवे की वगैरे समान 'काँ' 'काँ' से कौवे के आन्तरिक भावों का स्पष्ट पता नहीं लग सकता, अनुमान हम भूल ही कर सकते हैं, पर मनुष्य के भाव तथा विचार उनके बोलने से स्पष्ट हो जा सकते हैं। मनुष्य में ही यह योग्यता है कि वह विचार करता है और अपने विचारे हुए परिणामों को दूसरों पर स्पष्ट प्रकट भी कर सकता है। यह प्रकट करने का काम स्वकेतोक्ति ही हो सकता है और गीता कर अर्थान् भाषा द्वारा भी। भाषा द्वारा विचारों को स्पष्टतया और पूर्णतया प्रकट करना सम्भव नहीं तो कठिन जरूरत है। भाषा द्वारा यह काम सज्ज में हो जाता है। अतः भाषा आन्तरिक विचारों तथा भावों को दूसरों पर स्पष्टतया प्रकट करने का सबसे सुगम साधन है। जगत का व्यवहार बिना एक दूसरे पर अपने विचार प्रकट किये और बिना एक दूसरे के विचारों को

जाने नहीं चल सकता अतः भाषा को जगत् के व्यवहार का मूल माना गया है। भिन्न भिन्न वर्णों अथवा प्रान्तों के भिन्न भिन्न भाषाएँ होती हैं। जैसे—इंग्लैंड की इंग्लिश, पंजाब की पंजाबी। इसी प्रकार हिन्दी (भारतवर्ष) के एक बड़े भाग की भाषा है हिन्दी।

विचार तथा आन्तरिक भावों का प्रकटीकरण दो प्रकार से होता है—बोलकर और लिखकर। ये दोनों साधन भाषा के अन्तर्गत हैं। बोलना ध्वनियोंसे होता है और लिखना अक्षरों व वर्णों से। अक्षर या वर्ण ध्वनियों के माने हुए चिह्न हैं एक ही ध्वनि के भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न चिह्न होते हैं जैसे—'व' ध्वनि को हिन्दी में 'व' लिखते हैं उर्दू में 'و' अंगरेजी में 'V' या 'W'। ध्वनियाँ सुनी जाती हैं, बोलने तथा पढ़े जाते हैं।

वर्ण अथवा ध्वनियों के मिलने से 'शब्द' बनते हैं। जैसे—व+आ+ल+अ+क+अ=वालक तथा ल+ए+ए+अ+न+ई=लेखनी। शब्द किसी न किसी अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे—वालक का अर्थ है बच्चा तथा लेखनी का अर्थ है 'वह वस्तु जिमसे लिखा जाय'। शब्द भी अकेले अकेले पूरे आशय को प्रकट नहीं करते। 'मेज', उठाओ, 'स्थान', 'खाली', 'है', इन शब्दों का अपना अपना अर्थ है। हुए भी अकेले अकेले इन शब्दों से कोई विशेष आशय न प्रकट होता। हों 'मेज उठाओ', 'स्थान खाली है' इस प्रकार शब्दों को जोड़ने से पूरा वाक्य पता लग जाती है।

दो या अधिक शब्द (इस प्रकार) मिलकर पूरी बात प्रगट करें तो 'वाक्य' कहलाते हैं। इस लिये 'मज उठाओ' और 'स्थान खाली है' ये वाक्य हैं।

वाक्य बनाने के लिए जत्र शब्द एक दूसरे से मिलते हैं तो वाक्य के अर्थानुसार उनके रूप भी प्रायः बदल जाते हैं। शब्दों के रूपान्तर से और उनके क्रम परिवर्तन से वाक्य के अर्थ भिन्न भिन्न हो जाते हैं। जैसे—'कुत्ता खड़ा है', 'कुत्ते खड़े हैं', इसी प्रकार 'राम ने मोहन को मारा', 'मोहन ने राम को मारा', इनमें अर्थ भेद है। पहले दो वाक्यों में अर्थ भेद शब्दों के रूपान्तर से और पिछले दो वाक्यों में शब्दों के क्रम भेद से हुआ है। ऐसे ही जत्र वर्णों के मेल से नये शब्द बनते हैं तब उनमें एक दूसरे वर्णों के आगे या पीछे लग जाने से उस शब्द का अर्थ सर्वथा बदल जाता है या दो अक्षरों के आसपास होने के कारण उनका मेल हो जाने से उन अक्षरों के रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे— $क + अ + र् + म् + अ = कर्म$, $क + र् + अ + म् + अ = क्रम$, पुत्र = बेटा, सुपुत्र = अच्छा बेटा तथा कुपुत्र = बुरा बेटा, हिम + आताय = हिमालय, देव + इन्द्र = देवेन्द्र।

मुननेवाले अथवा पढ़नेवाले हमारे भाषों को ठीक ठीक जान लें तथा लिखते समय हम उन्हें ठीक ठीक लिख सकें इसका लिए शब्दों के रूपों और क्रम आदि का तथा वर्णों के रूप परिवर्तन आदि के नियमों का ज्ञान आवश्यक है। जिस विद्या से वर्णों के रूप परिवर्तन आदि का तथा शब्दों के ठीक ठीक रूपों और वाक्यों में प्रयुक्त होते समय उन के यथोचित क्रम आदि का पता चले उसका नाम है

‘व्याकरण’ । अर्थात् व्याकरण वह विद्या या शास्त्र है जो किसी भाषा के शब्दों के शुद्ध रूपों और वाक्यों में उनके प्रयोग के नियमों आदि का ज्ञान कराएगी। किसी भाषा के शुद्ध बोलने अथवा लिखने के लिए उसके व्याकरण का ज्ञान आवश्यक होता है ।

इसमें मन्त्रेह नहीं कि साधारण लोग बिना व्याकरण पढ़े प्रायः शुद्ध बोलते और लिखते तथा किसी ने अशुद्ध भाषा बोलने पर टोक भी नहीं है, पर ‘क्या अशुद्धि हुई’, ‘क्यों यह अशुद्धि हुई’, यह ज्ञान व्याकरण के ज्ञान के बिना नहीं हो सकता । व्याकरण (वि+आ+करण) शब्द का अर्थ है खोल कर अच्छी तरह समझाना, अर्थात् व्याकरण द्वारा ही किसी भाषा के नियमों का, अच्छी तरह ज्ञान कराया जाता है ।

ऊपर हम बता चुके हैं कि वर्णों के मेल से शब्द तथा शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, अतएव इन तीनों—वर्ण, शब्द तथा वाक्य—के विचार से व्याकरण के मुख्य तीन भाग किये जाते हैं ।

१ वर्ण विचार, २ शब्द-विचार, ३. वाक्य विचार ।

वर्ण विचार में अक्षरों या वर्णों के भेद, आकार तथा उच्चारण इत्यादि का वर्णन होता है । शब्द-विचार में शब्दों के भेद रूपान्तर तथा व्युत्पत्ति आदि का वर्णन होता है, तथा वाक्य विचार में शब्दों से वाक्य बनाने के नियम, वाक्य रण्ड और वाक्य-भेद इत्यादि का विवेचन किया जाता है ।



पहला खंड

वर्ण-विचार

[Orthography]

वर्णमाला

। पूर्ण उम मूल (छोटी से छोटी) ध्वनि के चिह्न को कहते हैं जिसके और टुकड़ न हो सकें। जैसे—इ, उ, च, आदि। 'दिन' इस शब्द में मोटे तौर से दो ध्वनियाँ मालूम होती हैं—'दि' और 'न', पर यदि और गहराई से नरें और इन ध्वनियों का विश्लेषण करें तो पता चलेगा कि 'दि' में दो ध्वनियाँ हैं। 'द' और 'इ' और 'न' में भी 'न' और 'अ' दो ध्वनियाँ हैं। इन द, इ, न, अ ध्वनियों का और विश्लेषण अमम्भव है। अतः ध्वनि के इन अन्तिम प्रतिनिधियों अथवा सकेतों को वर्ण कहेंगे। किसी भाषा में प्रयुक्त सारे वर्णों (अक्षरों) के समुदाय को उस भाषा की वर्णमाला (Alphabet) कहते हैं और जिस प्रकार वे वर्ण लिखे जाते हैं (अकेल-अकेले अथवा शब्द के रूप में) वह उस भाषा की लिपि (Script) कहलाती है। हिन्दी भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है उसका नाम है देवनागरी लिपि।

‘व्याकरण’ । अर्थात् व्याकरण वह विद्या या शास्त्र है जो किसी भाषा के शब्दों के शुद्ध रूपों और वाक्यों में उनके प्रयोग के नियमों आदि का ज्ञान कराएँ किसी भाषा के शुद्ध बोलने अथवा लिखने के लिए उसके व्याकरण का ज्ञान आवश्यक होता है ।

इसमें मन्त्र नहीं कि साधारण लोग बिना व्याकरण पढ़े प्रायः शुद्ध बोलते और लिखते तथा किसी के अशुद्ध भाषा बोलने पर टोका भी करते हैं, पर ‘क्या अशुद्धि हुई’, ‘क्यों यह अशुद्धि हुई’, यह ज्ञान व्याकरण से ज्ञान के बिना नहीं हो सकता । व्याकरण (प्रि+आ+करण) शब्द का अर्थ है खोल कर अच्छी तरह समझाना, अर्थात् व्याकरण द्वारा ही किसी भाषा के नियमों का अच्छी तरह ज्ञान कराया जाता है ।

ऊपर हम बता चुके हैं कि वर्णों के मेल से शब्द तथा शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, अतएव इन तीनों—वर्ण, शब्द तथा वाक्य—के विचार से व्याकरण के मुख्य तीन भाग नियमित होते हैं ।

१. वर्ण विचार, २. शब्द-विचार, ३. वाक्य विचार ।

वर्ण विचार में अक्षरों या वर्णों के भेद, आकार तथा उच्चारण इत्यादि का वर्णन होता है । शब्द-विचार में शब्दों के भेद रूपान्तर तथा व्युत्पत्ति आदि का वर्णन होता है, तथा वाक्य विचार में शब्दों से वाक्य बनाने के नियम, वाक्य-रूप और वाक्य-भेद इत्यादि का विवेचन किया जाता है ।

पहला खंड

वर्ण-विचार

[Orthography]

वर्णमाला

वर्ण उस मूल (छोटी से छोटी) ध्वनि के चिह्न को
कहते हैं जिसके और टुकड़ न हो सकें। जैसे—इ, उ, च,
आदि। 'दिन' इस शब्द में मोटे तौर से दो ध्वनियों मालूम
होती है—'दि' और 'न', पर यदि और गहराई से देखें और इन
ध्वनियों का विश्लेषण करें तो पता चलेगा कि 'दि' में दो
ध्वनियों हैं। 'द' और 'इ' और 'न' में भी 'न्' और 'अ' दो
ध्वनियों हैं। इन द, इ, न, अ ध्वनियों का और विश्लेषण
असम्भव है। अतः ध्वनि के इन अन्तिम प्रतिनिधियों अथवा
सकेतो को वर्ण कहेंगे। किसी भाषा में प्रयुक्त सारे वर्णों (अक्षरों)
के समुदाय को उस भाषा की वर्णमाला (Alphabet) कहते हैं
और जिस प्रकार वे वर्ण लिखे जाते हैं (अकेले-अकेले अथवा शब्द
के रूप में) वह उस भाषा की लिपि (Script) कहलाती है।
हिन्दी भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है उसका नाम है
देवनागरी लिपि।

‘व्याकरण’ । अर्थात् व्याकरण वह विद्या या शास्त्र है जो किसी भाषा के शब्दों के शुद्ध रूपों और वाक्यों में उनके प्रयोग के नियमों आदि का ज्ञान कराएगी किसी भाषा के शुद्ध बोलने अथवा लिखने के लिए उसके व्याकरण का ज्ञान आवश्यक होता है ।

इसमें मन्नेह नहीं कि माधारण लोग बिना व्याकरण पढ़े प्रायः शुद्ध बोलते और लिखते तथा किसी क अशुद्ध भाषा बोलने पर टाक भी नते हैं, पर ‘क्या अशुद्धि हुई’, ‘क्यों यह अशुद्धि हुई’, यह ज्ञान व्याकरण क ज्ञान के बिना नहीं हो सकता । व्याकरण (प्रि + आ + करण) शब्द का अर्थ है सोल कर थच्छी तरह समझना, अर्थात् व्याकरण द्वारा ही किसी भाषा क नियमों का अच्छी तरह ज्ञान कराया जाता है ।

उपर हम बता चुके हैं कि वर्णों के मेल से शब्द तथा शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, अतएव इन तीनों—वर्ण, शब्द तथा वाक्य—के विचार से व्याकरण के मुख्य तीन भाग नियत जाते हैं ।

१. वर्ण विचार, २. शब्द-विचार, ३. वाक्य विचार ।

वर्ण विचार में अक्षरों या वर्णों के भेद, आकार तथा उच्चारण इत्यादि का वर्णन होता है । शब्द-विचार में शब्दों के भेद रूपान्तर तथा व्युत्पत्ति आदि का वर्णन होता है, तथा वाक्य विचार में शब्दों से वाक्य बनाने के नियम, वाक्य-रूपण और वाक्य-भेद इत्यादि का विवेचन किया जाता है ।



पहला खंड

वर्ण-विचार

[Orthography]

वर्णमाला

वर्ण उस मूल (छोटी से छोटी) ध्वनि के चिह्न को कहते हैं जिसके और टुकड़ न हो सकें। जैसे—इ, उ, च आदि। 'त्तिन' इस शब्द में मोटे तौर से दो ध्वनियाँ मालूम होती है—'त्ति' और 'न', पर यदि और गहराई से देखें और इन ध्वनियों का विश्लेषण करें तो पता चलेगा कि 'त्ति' में दो ध्वनियाँ हैं। 'इ' और 'न' में भी 'न्' और 'अ' दो ध्वनियाँ हैं। इन इ, उ, न, अ ध्वनियों का और विश्लेषण असम्भव है। अतः ध्वनि के इन अन्तिम प्रतिनिधियों अथवा सकेतों को वर्ण कहेंगे ॥ किसी भाषा में प्रयुक्त सारे वर्णों (अक्षरों) के समुदाय को उस भाषा की वर्णमाला (Alphabet) कहते हैं और जिस प्रकार वे वर्ण लिखे जाते हैं (अकेले-अकेले अथवा शब्द के रूप में) वह उस भाषा की लिपि (Script) कहलाती है। हिन्दी भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है उसका नाम है देवनागरी लिपि।

हिन्दी वर्णमाला में ४६ अक्षर हैं और वे इस प्रकार लिखे जाते हैं।

स्वर (अ) आ (आ) इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ (ओ) औ (औ)

व्यंजन क ख ग घ ङ । च छ ज झ (भ) ब ।

ट ठ ड ढ ण (ण) । त थ द ध न ।

प फ ब भ म । य र ल (ल) व ।

श (श) ष स ह । अ अ ।

(कोष्ठ में के अक्षर साथ-साथ अक्षरों के दूसरे रूप हैं)

इनके अतिरिक्त हिन्दी में और भी कई ध्वनियाँ हैं, जैसे—
खत, गौर, कागज, पड़ना, पढ़ना, और फूल में क्रम से ख,
ग, ज्ञ, ड, ढ, और फ की आवाजें।

ऊपर लिखे अक्षरों में पहले ११ को स्वर (Vowels)

कहते हैं, क्योंकि ये अपने आप अर्थात् बिना किसी अन्य

अक्षर की सहायता के बोले जा सकते हैं। शेष ३५ अक्षर

व्यंजन (Consonants) कहलाते हैं। वे बिना किसी स्वर की

सहायता के नहीं बोले जा सकते। यदि हम व्यंजन के साथ कोई

स्वर न भी बोलना चाहे तो भी प्रत्येक व्यंजन के साथ 'अ'

का बोला जाना अनिवार्य मा है, नहीं तो उसका उच्चारण नहीं

हो सकता। यही कारण है कि ऊपर लिखे सभी व्यंजनों में

उच्चारणार्थ 'अ' का मेल कर लिया गया है। वस्तुतः इनका

स्वतन्त्र रूप क, ख, इत्यादि है। () अनुस्वार और

() विसर्ग भी जो 'अयोगवाह' कहलाते हैं व्यंजनों में

गिनाये गये हैं क्योंकि व्यंजनों की भाँति इनका उच्चारण

भी बिना स्वर के मेल के नहीं होता। स्वर व्यंजनों

के तो पीछे आकर उनके उच्चारण में सहायता देते हैं, पर

अनुस्वार और विसर्ग के पूर्व आते हैं । किमी अक्षर के आगे 'कार' मिलाकर घोलने में उमी अक्षरमात्र का बोध होता है, जैसे—'रकार' में 'क' का, 'र' को 'रेक' भी कहा जाता है ।

अनुस्वार () और विसर्ग () के अतिरिक्त एक और भी चिह्न है, उसे चन्द्रचिह्न () या अनुनामिक कहते हैं । अनुस्वार के उच्चारण में श्वाभ केवल नासिका से निकलता है पर अनुनामिक के उच्चारण में वह मुख और नासिका से एक साथ निकलता है । साराश यह कि अनुस्वार तीव्र और अनुनासिक वीमी ध्वनि है । अथा, आँचल, हस, हँमना, इन शब्दों से यह भेद स्पष्ट होता है ।

स्वर (Vowels)

उपर लिखे ११ स्वरों में अ, इ, उ, ऋ, ह्रस्व (Short) स्वर कहलाते हैं, शेष दीर्घ (Long), जैसे— आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ ।

जितना समय ह्रस्व के उच्चारण में लगता है उमसे दुगुना समय दीर्घ के उच्चारण में लगता है और चिह्नते या पुकारते समय जब किसी स्वर के उच्चारण करने में ह्रस्व से तिगुना समय लगे तो वह स्वर प्लुत कहलाता है । जिस स्वर को प्लुत दर्शाना हो उसके आगे ३ का अक्षर लगा देते हैं, जैसे—रे३ मुन्नी ३ । ह्रस्व स्वरों को मूल स्वर तथा दीर्घ स्वरों को सन्धि स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि ह्रस्व स्वरों की उत्पत्ति किसी दूसरे स्वर के मेल से नहीं होती परन्तु दीर्घ स्वरों की उत्पत्ति दो स्वरों के मिलने से होती है । जैसे—अ + अ = आ, इ + इ = ई, उ + उ = ऊ, अ + इ = ए, अ + उ = ए, अ + ए = ऐ अ + ओ = औ ।

व्यञ्जन (Consonants)

व्यजना के तीन भेद हैं—१ स्पर्श, २ अन्तस्थ और ३ उष्म । क से म पर्यन्त पहले २५ वर्ण स्पर्श कहलाते हैं । य र, ल, व अन्तस्थ (Semi vowels) तथा ङ, ण, स, ह उष्म (Sibilants) कहाते हैं ।

स्पर्श पाँच पाँच की पाँच टुकड़ियों में विभक्त हैं । इन टुकड़ियों को वर्ग कहते हैं । प्रत्येक वर्ग का नाम पहले वर्ण के अनुसार रखा गया है, जैसे—क ख ग घ ङ, क्वर्ग, च छ ज झ ञ, चवर्ग, ट ठ ड ढ ण, टवर्ग, त थ द ध न, तवर्ग, और प फ ब भ म, पवर्ग कहलाते हैं । प्रत्येक वर्ग का अन्तिम अक्षर नाक से बोला जाता है । इन पाँच अक्षरों को नासिक्य कहते हैं ।

दो या अधिक व्यजनों के बीच में स्वर न रहने से उनमें सयोग हो जाता है । जुड़े हुए अक्षर सयुक्त कहाते हैं पर ऐसे अक्षर स्वर का मेल होने पर ही बोले जाते हैं, जैसे—व्य = व् + य् + व् + य् + अ । इसमें य् और व् के बीच में स्वर नहीं अतः 'व्य' सयुक्त हो गया । जब एक ही व्यजन दो धार आकर सयुक्त हो तो उसे द्वित्व कहते हैं जैसे—पट्टी = प + अ + ट् + ट् + इ इसमें 'ट्ट' द्वित्व है ।

व्यजनों में सयोग करने की विधि

(१) सयोग म जिस क्रम से व्यजनों का उच्चारण होता है उसी क्रम से वे लिखे जाते हैं जैसे—शुक्ल = शु क् ल् अ, शुक् = शु ल् क् अ, गुप्त = गु प् त् अ, उत्पत्ति = उ त् प् त् त् इ ।

जब दो वा अधिक वर्णों का संयोग होता है तो कहीं कहीं इनके रूप में हेर फेर हो जाता है। जैसे—

(२) जिन अक्षरों में खड़ी रेखा होती है वे यदि किसी व्यंजन से संयुक्त होते हैं तो उनकी खड़ी रेखा हटा दी जाती है, जैसे—ख् त=ख्त, प् त=पत् (तग्न, ममात्)।

(३) संयोग में क्, छ्, छ्, ट्, ठ्, ड्, ढ्, द्, ह् के पीछे आने वाले व्यंजन ऊपर की खड़ी रेखा को हटाकर नीचे और कहीं कहीं साथ लिखे जाते हैं जैसे—पक् या पक्ख, गद्गा सद्गाय, पद्घ, छ्चत्तर, पट्टी, टिट्टी, मध्याह्न, ब्रह्म, धनाह्न।

(४) क्, च्, न्, त्, ब् द्वित्व होने पर दो प्रकार से लिखे जाते हैं। जैसे—पक्का, पक्का, कच्चा, कच्चा, जिन्नत, जिन्नत, भट्टला, भट्टा गुज्जारा, गुज्जारा।

(५) ख्, घ्, छ्, झ्, ट्, ठ्, ड्, ढ्, द्, फ् तथा भ् के द्वित्व अक्षर नहीं बनते। जब कभी ये द्वित्व आते हैं तो पहले अक्षर के स्थान में क्रम से क्, ग्, च्, ज्, ट्, ठ्, ड्, ढ्, द्, प्, ब्, हो जाते हैं—जैसे—मक्की, वक्की, स्वच्छ, झक्कर, लट्टा, बुड्डा पत्थर उद्धार, गक्का, चिभड।

(६) ह्, ज्, ण्, न्, म् प्रायः अपने ही वर्ग के वर्णों से साथ संयुक्त होते हैं, जैसे—भङ्ग, चञ्चल, भाण्ड, अन्त, चम्पा इनके स्थान में विकल्प से अनुस्वार भी हो जाता है, जैसे—भग, चचल, भांड, अंत, चपा।

(७) संयोग में पहले आनेवाला र आगे आने वाले वर्ण के ऊपर (ँ) इस चिह्न में परिवर्तित हो जाता है और पीछे आ

वाला र् यदि एड़ी पाई वाले व्यजनों के बाद हो तो उसका रूप एड़ी पाई के नीचे (२) इस तरह हो जाता है। अन्य व्यजनों के बाद उसका रूप (२) हो कर नीचे लग जाता है। जैसे—धर्म यज्ञ, राष्ट्र।

जिस अक्षर के ऊपर चढ़ता है वह विकल्प से द्विव्य हो जाता है। जैसे—कार्य, धर्म, धर्म।

(८) क्ष (क्ष) त्र क्ष जिन वर्णों के संयोग में बने हैं उनका कुछ भी रूप संयोग में लिखाई नहीं देता। इस लिए कोई कोई इन्हें व्यंजनों के साथ वर्णमाला के अंत में लिख देते हैं—
 $क् + श = क्ष$ (क्ष), $त् + र = त्र$, $ज् + य = ज्ञ$ ।

(९) $क् + न = क्न$, $त् + त = त्त$ । ~~क्ष~~

व्यंजनों के उच्चारण में विशेषताएँ *Imp*

हिन्दी में क, ए, ग, ड, ढ, एव ज, फ, के दो दो उच्चारण होते हैं, जैसे - काम, कायल, एाना, खाली, गाना, रागत, डली, लड़ना, डोल, पढ़ना, जान चरदस्त, फाटक, फील। दूसरे उच्चारण को प्रकट करने लिए अक्षरों के नीचे बिन्दी लगा दी जाती है।

विसर्ग () का उच्चारण 'ह' के धीमे उच्चारण के समान है।

'प' और 'श' का उच्चारण एक समान होता है। 'प' को बहुधा 'ए' भी पढ़ते हैं। 'ज्ञ' का उच्चारण 'ग्य' के समान भी होता है।

संयुक्त अक्षरों के पूर्ण ह्रस्व स्वर पर जोर देने से मिले वर्णों का उच्चारण स्पष्ट हो जाता है।

अनुस्वार () केवल नाक से और अनुनासिक मुख तथा नाक से बोला जाता है, जैसे—शांति, भाँति, चंचल, आँचल ।

वर्णों के और भेद (स्थान और प्रयत्न के आधार पर)

वर्ण जिन ध्वनियों के प्रतिनिधि हैं उनका उच्चारण मुख के भिन्न भिन्न भागों से होता है—अर्थात् इन ध्वनियों के उच्चारण के समय जीभ मुख के भिन्न भिन्न भागों को छूती है । इन भिन्न-भिन्न भागों को स्थान कहते हैं । ये उच्चारण स्थान छ हैं—
१ कण्ठ २ तालु, ३ मूर्द्धा (तालु से कुछ ऊँचा स्थान), ४ दन्त (दाँत), ५ ओष्ठ (ओँठ) ६ नासिका (नाक) । स्थान-भेद से वर्णों के निम्नलिखित भेद हैं—

कण्ठ्य—जिनका उच्चारण कण्ठ से होता है, अर्थात् अ, आ, कवर्ग (क, ख, ग, घ, ङ) ह और विसर्ग ।

तालव्य—जिनका उच्चारण तालु से होता है, अर्थात् इ, इ चवर्ग, (च, छ, ज, झ, ञ) य और श ।

मूर्द्धन्य—जिनका उच्चारण मूर्द्धा से होता है, अर्थात् ऋ, एवर्ग (ट, ठ, ड, ढ, ण) र और प ।

दन्त्य—जिनका उच्चारण ऊपर के दाँतों के साथ जीभ लगने से होता है, अर्थात् तवर्ग (त, थ, द, ध, न) ल और म ।

ओष्ठ्य—जिनका उच्चारण ओँठों से होता है, जैसे—उ, ऊ पवर्ग (प, फ, ब, भ, म)

सानुनासिक—जिनका उच्चारण मुख और नासिका से होता है अर्थात् इ, ए ण न, म और अनुस्वार ।

कण्ठतालव्य—ए और ऐ, जिनका उच्चारण कण्ठ और तालु दोनों से होता है ।

कण्ठीष्ठ्य—ओ और औ, जिनके उच्चारण में कण्ठ के साथ ओष्ठ की सहायता लेनी पड़ती है।

व दन्तीष्ठ्य है, क्योंकि इसका उच्चारण दन्त और ओष्ठ से होता है।

वर्णों के स्पष्ट उच्चारण में पहले और पीछे वाणी द्वारा कुछ प्रयत्न होता है। किसी वर्ण के उच्चारण में जो प्रयत्न उच्चारण के प्रारम्भ में होता है, उसे (आभ्यन्तर प्रयत्न) और जो उच्चारण के अन्त में होता है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। आभ्यन्तर प्रयत्नों के भेद से वर्णों के भेद निम्नलिखित हैं—

१ विटृत—जिनके उच्चारण में वागिन्द्रिय खुली रहती है, जैसे—मन स्वर।

२ स्पृष्ट—जिनके उच्चारण में वागिन्द्रिय का द्वार बन्द रहता है, जैसे—क से लेकर म तक के वर्ण।

३ इपत्विटृत—जिनके उच्चारण में वागिन्द्रिय थोड़ी खुली रहती है, जैसे—य, र, ल, व।

४. इपत्स्पृष्ट—जिनके उच्चारण में वागिन्द्रिय कुछ कुछ बन्द रहती है जैसे—श, ष, स, ह।

बाह्य प्रयत्न (श्वास के यत्न भेद) से वर्णों के भेद हैं—घोष (Soft letters) अघोष (Hard Consonants)। घोष वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है, प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और पाँचवाँ अक्षर, सारे स्वर, य, र, ल, व ह घोष हैं। अघोष के उच्चारण में केवल श्वास का उपयोग है, प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा अक्षर, श, ष, स,

ये अघोष है । वर्णों के दो भेद और भी हैं—अल्पप्राण तथा महाप्राण । महाप्राण वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में अधिक श्रम लगे या जिनमें कुछ-कुछ 'ह' का उच्चारण सम्मिलित हो । प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा अक्षर तथा श, ष, स, ह महाप्राण हैं, शेष वर्ण अल्पप्राण हैं । एक ही म्यान तथा प्रयत्न में उच्चरित होने वाले वर्ण सवर्ण कहलाते हैं, जैसे इ, ई, सवर्ण हैं, इ और उ असवर्ण हैं ।

अभ्यास

१ नीचे लिखे शब्दों की परिभाषा लिखो —

१ भाषा, व्याकरण, वर्ण, वाक्य, अयोगवाह, प्रयत्न, सघट्टवर, ऊष्म, तालव्यवर्ण, मिथुन, महाप्राण ।

२ किसी भाषा के व्याकरण को पढ़ने से क्या लाभ है ? उदाहरण सहित समझाओ ।

३ वर्णों के भेद और भेदान्तर क्या क्या हैं ? () और () स्वर हैं अथवा व्यंजन ? और क्यों ? अनुस्वार और चन्द्रबिन्दु में क्या भेद है ?

४ नीचे लिखे शब्दों का उच्चारण करो—कैसा, धैर्य, झूलना, द्रव्य, ठौर, सौन्दर्य, कर्म, क्रम, आश्रित, मरुमल, मनोहर, मुआफी, हो गइ, होगी, गलत, दक्ष, आशा, सर्वत्र, व्याप्त, कृष्ण, ऋषि, टा, दशन, यत्न, अत्त, सूत, चित्त, शृगाल, श्रवण ।

एक वर्ष
क निश

दूसरा खंड

—

शब्द-विचार

(Etymology)

पहला अध्याय

शब्दों का वर्गीकरण ✓

सार्थक अकेले वर्ण को, या अनेक वर्णों से मिलकर बनी हुई सार्थक ध्वनियों को शब्द कहते हैं, जैसे—आ, घोड़ा। ध्वनियों निरर्थक भी होती हैं, जैसे—‘टं टं’ ‘कडकड’।

साधारणतः इन्हें भी शब्द कहते हैं। पर भाषाशास्त्रानुसार ये ध्वनियों ही हैं, इन्हें शब्द नहीं कहा जा सकता। जब ये ध्वनियों भी वाक्य में किसी विशेष अर्थ को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होती हैं तब शब्द कहलाती हैं। जैसे—“बहुत टं-टं मत कर, नहीं तो दो चार हाथ जमा दूंगा।” “यह रात दिन की कडकड कीन सह सकता है।” इन्हीं वाक्यों में ‘टं-टं’ और ‘कडकड’ शब्द एक विशेष आशय को प्रकट करने के कारण यहाँ ये शब्द कहलायेंगे।

और
य, र, त,
उपयोग
श, प, स,

कुछ ध्वनियाँ ऐसी भी हैं जो स्वयं सार्थक नहीं होतीं, पर जब वे दूसरे शब्दों के साथ जोड़ी जाती हैं, तब सार्थक हो जाती हैं। ऐसी परतन्त्र ध्वनियों को शब्द नहीं बल्कि शब्दांश (Affix) कहते हैं। जैसे—'कु', 'निर', 'वाला' आदि का कुछ अर्थ नहीं पर 'कुपुत्र' 'निराकार' और 'दूधवाला' में ये ध्वनियाँ सार्थक हो गई हैं। जो शब्दांश शब्द के पहले लगते हैं, वे उपसर्ग (Prefix) कहते हैं तथा जो पीछे लगते हैं वे प्रत्यय (Suffix)। इन शब्दांशों—उपसर्गों तथा प्रत्ययों—का वर्णन विस्तार में आगे प्रथम अध्याय में किया जायगा।

व्युत्पत्ति (शब्दों की उत्पत्ति) के विचार में शब्द तीन प्रकार के कहे जा सकते हैं—१ स्मृति, २ यौगिक, ३ योगरूढि।

स्मृति वे शब्द हैं जिनके स्वर का कुछ अर्थ नहीं होता। जैसे—मिष्टी, मेज। मेज के दो स्वर हैं—मे + ज। इन स्वरों के कुछ अर्थ नहीं।

यौगिक वे शब्द हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से अथवा शब्द और शब्दांशों के योग से बने हों, जैसे—दुर्जन (दुर् + जन) पाठशाला (पाठ + शाला)।

योगरूढि वे शब्द हैं जो यौगिक शब्दों के समान ही दो शब्दों अथवा शब्द और शब्दांशों के जोड़ से बने हों पर साधारण अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हों, जैसे—अंगरखा (अंग + रखा) का अर्थ है अंगों की रक्षा करने वाला। इसलिए अंगरखा कहा जा सकता है पर इसका व्यवहार एक विशेष प्रकार के कपड़े के लिए ही होता है।

पकज [पक + ज] का यौगिक अर्थ है 'कीचड़ से उत्पन्न' पर इसका विशेष अर्थ है 'कमल' ।

ये रूढ़ि, यौगिक तथा योगरूढ़ि शब्द चार तरह के हैं—
१ तन्मम, २ तद्भव २ देशज और ४ विदेशी ।

तन्मम शब्द वे हैं जो संस्कृत के हैं और बिना किसी परिवर्तन के—जैसे के जैसे—हिन्दी में प्रयुक्त होने हैं जैसे—पिता, मिष्टान्न ।

तद्भव शब्द वे हैं जो कि संस्कृत शब्दों से बने हैं पर हिन्दी में जिनका कुछ कुछ रूप परिवर्तित हो गया है । जैसे—रसत [क्षेत्र], राय [राना] बच्छा [वत्स] ।

देशज शब्द वे हैं जो संस्कृत शब्दों से नहीं बने अपितु स्थानीय गोलियों से, अथवा आवश्यकतानुसार बना लिए गये हैं । जैसे पेट गाड़ी, लागू इत्यादि ।

इन शब्दों के अतिरिक्त कई विदेशी भाषाओं—अरबी फारसी, अँगरेजी आदि के शब्द भी हिन्दी में प्रयुक्त होते हैं और वे अब हिन्दी में अच्छी तरह अपना लिये गये हैं । जैसे—माफ, ईमानदार बटनू फेल, ताप गिरजा, आदि ।

अर्थ की दृष्टि से मार्थक शब्दों के तीन भेद हैं—वाचक, लाक्षणिक तथा व्यञ्जक या साकेतिक । जब शब्द ठीक उसी अर्थ में बोला या लिखा जाय जिसके लिए बना है तब उसे 'वाचक' कहते हैं, जैसे—'गधा एक जानवर है' इसमें 'गधा' शब्द वाचक है । जब कोई शब्द नियत अर्थ न बतला कर अपने सादृश्य या गुण का बोध करावे, तब वह लाक्षणिक

कहलाता है। जैसे—‘अरे मोहन तू तो निरा गन्हा है,’ यहाँ गन्हा शब्द का अर्थ है मूर्ख। व्यंजक या साकेतिक शब्द वे जो ऊपर से और अर्थ प्रकट करें, और गूढ़ आशय और ही सूचित करें, जैसे—‘सूर्यास्त हो गया’ में ‘सूर्यास्त’ शब्द का अर्थ है सन्ध्या समय अथवा दीपक जलाने का समय। अतः यह शब्द व्यंजक है।

शब्दों ही से वाक्य बनते हैं। वाक्य बनाने के लिए जब शब्द एक दूसरे से मिलते हैं तो वाक्य के अर्थानुसार उनमें से कई शब्दों के रूप बदल जाते हैं, और कई शब्द ऐसे होते हैं जिनके रूप में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे—“बह नहीं जाता” “वे नहीं जाते” “छोटा लडका पाँच बजे तक यहाँ बैठा रहा”, “छोटे लडके पाँच बजे तक यहाँ बैठे रहे”, इन वाक्यों में अर्थानुसार ‘बह’ ‘छोटा’ ‘लडका’ ‘जाता’ आदि शब्दों के रूप में परिवर्तन हो गया है, परन्तु ‘नहीं’, ‘तक’ इत्यादि शब्दों में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। जिन शब्दों के रूप में इस प्रकार परिवर्तन हो जाता है वे प्रिकारी शब्द (Declinable words) कहलाते हैं और जिनका रूप प्रिलकुल नहीं बदलता वे शब्द अप्रिकारी अथवा अव्यय (Indeclinable) कहलाते हैं।

व्यवहार की दृष्टि से प्रिकारी शब्दों को चार भागों में विभक्त किया जा सकता है—सज्ञा, भर्तनाम, विशेषण और क्रिया।

1 सज्ञा (Noun)—किसी वस्तु, स्थान, भाव या मनुष्य के नाम बतानेवाला शब्द सज्ञा कहाते हैं। जैसे—घोडा, दिल्ली, मिठाम, मोहन आदि।

पकन [प + क] का यौगिक अर्थ है 'कीचड़ में उत्पन्न' पर
उसका विशेष अर्थ है 'कमल'।

ये रूढ़ि, यौगिक तथा योगरूढ़ि शब्द चार तरह के हैं—
१ तत्सम २ तद्भव देशज और ३ विदेशी।

तत्सम शब्द वे हैं जो संस्कृत के हैं और बिना किसी
परिवर्तन के—जैसे के तैम—हिन्दी में प्रयुक्त होते हैं जैसे—पिता,
मिथुन।

तद्भव शब्द वे हैं जो कि संस्कृत शब्दों से बने हैं पर हिन्दी
में जिनका कुछ कुछ रूप परिवर्तित हो गया है। जैसे—रगत
[क्षेत्र], राय [राना] अच्छा [बत्स]।

देशज शब्द वे हैं जो संस्कृत शब्दों से नहीं बने अपितु
स्थानीय बोलियाँ से, अथवा आवश्यकतानुसार बना लिए गये
हैं। जैसे पेट गाड़ी, लागू इत्यादि।

उन शब्दों के अतिरिक्त कई विदेशी भाषाओं—अथवा फारसी
अंगरेजी आदि के शब्द भी हिन्दी में प्रयुक्त होते हैं और वे अब
हिन्दी में अच्छी तरह अपना लिये गये हैं। जैसे—माक, ईमानना,
बन्सू फेल, तोप गिरजा, आदि।

अर्थ की दृष्टि से सार्थक शब्दों के तीन भेद हैं—वाचक,
लाक्षणिक तथा व्यञ्जक या साकेतिक। जब शब्द ठीक-
उसी अर्थ में बोला या लिखा जाय जिसके लिए बना है तब
उसे 'वाचक' कहते हैं, जैसे—'गधा एक जानवर है' इसमें
'गधा' शब्द वाचक है। जब कोई शब्द नियत अर्थ न बतला
कर अपने सादृश्य या गुण का बोध करावे, तब वह लाक्षणिक

कहलाता है। जैसे—‘अरे मोहन तू तो निरा गद्दा है,’ यहाँ गद्दा शब्द का अर्थ है मूर्ख। व्यञ्जक या साकेतिक शब्द हैं जो ऊपर से और अर्थ प्रकट करें, और गूढ आशय और हो सूचित करें, जैसे—‘सूर्यास्त हो गया’ में ‘सूर्यास्त’ शब्द का अर्थ है सन्ध्या समय अथवा दीपक जलाने का समय। अतः यह शब्द व्यञ्जक है।

शब्दों ही से वाक्य बनते हैं। वाक्य बनाने के लिए जब शब्द एक दूसरे से मिलते हैं तो वाक्य के अर्थानुसार उनमें से कई शब्दों के रूप बदल जाते हैं, और कई शब्द ऐसे होते हैं जिनके रूप में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे—“वह नहीं जाता” “वे नहीं जाते” “छोटा लडका पाँच बजे तक यहाँ बैठा रहा”, “छोटे लडके पाँच बजे तक यहाँ बैठे रहे”, इन वाक्यों में अर्थानुसार ‘वह’ ‘छोटा’ ‘लडका’ ‘जाता’ आदि शब्दों के रूप में परिवर्तन हो गया है, परन्तु ‘नहीं’, ‘तक’ इत्यादि शब्दों में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। जिन शब्दों के रूप में इस प्रकार परिवर्तन हो जाता है वे विकारी शब्द (Declinable words) कहलाते हैं और जिनका रूप मिलकुल नहीं बदलना व शब्द अविकारी अथवा अव्यय (Indeclinable) कहलाते हैं।

व्यवहार की दृष्टि से विकारी शब्दों को चार भागों में विभक्त किया जा सकता है—सज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया।

१ सज्ञा (Noun)—निम्नी वस्तु, स्थान, भाव या मनुष्य के नाम बतानेवाले शब्द सज्ञा कहाते हैं। जैसे—घोडा, दिल्ली, मिठाम, मोहन आदि।

सर्वनाम (Pronoun)—सज्ञा के बदले प्रयुक्त होनेवाले शब्द को 'सर्वनाम' अथवा 'प्रतिनिधि' शब्द कहते हैं। जैसे—यह, मैं, तू, आप, कोई आदि।

विशेषण (Adjective)—सज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे—'अरबी घोड़ा,' 'धार्मिक क्रिया' 'सुन्दर रंग' तथा 'मीठी गन्ध' में 'अरबी,' 'धार्मिक,' 'सुन्दर' और 'मीठी' शब्द विशेषण हैं।

क्रिया (Verb)—जिसमें किसी बात का करना या होना, पाया जाय उसे 'क्रिया' अथवा 'विधायक शब्द' कहते हैं। जैसे—'लिखता हूँ,' 'खाएँगे' आदि।

ऐसे ही अक्रिय शब्दों के भी चार भेद हैं—

क्रिया-विशेषण (Adverb)—जो शब्द किसी क्रिया की विशेषता बतावे वे क्रिया विशेषण कहते हैं। 'जल्दी चलो,' 'अभी नहीं आया' में 'जल्दी' और 'अभी नहीं' क्रियाविशेषण हैं।

सम्बन्धबोधक (Postposition)—जो शब्द सज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उसका वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ सम्बन्ध बतावे वे सम्बन्धबोधक अव्यय कहते हैं—भीतर, पीछे, तक आदि। जैसे—घर के भीतर, मेरे पीछे।

योजक (Conjunction)—दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द—और पर, आदि—योजक कहलाते हैं। जैसे—मैं और तू। थोड़ा खाओ पर चनाओ खूब।

विस्मयादिबोधक (Interjection)—जिनसे बोलनेवाले के मन के आकस्मिक भाव जाने जायें, जैसे—आहा! हाय! साधु!

दूसरा अध्याय

सज्ञा (Noun)

मज्ञाएँ तीन प्रकार की होती हैं—व्यक्तिवाचक (Proper Noun) जातिवाचक (Common Noun) और भाववाचक (Abstract noun)

↳ व्यक्तिवाचक मज्ञाएँ वे हैं जिन से एक ही व्यक्ति अथवा पद्वु का बोध हो, जैसे—दिल्ली, घन्वन्तरि, यमुना आदि। व्यक्तिवाचक मज्ञाएँ व्यक्तियों के पहिचानने या पुकारने के लिए अपनी इच्छानुसार रखे हुए सकेत मात्र हैं।

↳ जातिवाचक मज्ञाएँ वे हैं जिन्से एक जाति के सब पदार्था का समान बोध हो, जैसे—पुरुष, सिंह, नगर, सभा, जल आदि। कई वैयाकरण सभा, सेना आदि शब्दों को, जो सजातीय व्यक्तियों के समूह को प्रकट करते हैं 'समूहवाचक सज्ञा' (Collective Noun) कहते हैं। ऐसे ही उनके मता नुसार द्रव्य का बोध करानेवाले शब्द 'द्रव्यवाचक सज्ञा' (Material Noun) कहलाते हैं, जैसे—आग, पानी, चाँदी, आदि।

—भाववाचक सज्ञाएँ—वे हैं जिन से पदार्थों के धर्म गुण, दोष, अवस्था, व्यापार आदि जाने जाते हैं, जैसे—मिठास, चोरी, लडकूपन, भाव, सौन्दर्य आदि।

कभी कभी व्यक्तिवाचक नाम किमी विशेष गुण को प्रकट करते हैं, तब वे जातिवाचक मज्ञा कहलाते हैं, जैसे—“ए भारतवासियो, तुम हरिश्चन्द्र बनो तभी भारत में सत्ययुग होगा” इस वाक्य में 'हरिश्चन्द्र' और 'सत्ययुग' जातिवाचक सज्ञाएँ हैं,

क्योंकि 'हरिश्चन्द्र' से तात्पर्य है 'मन्य पर दृढ रहनेवाला' और 'सत्ययुग' का अर्थ है 'अच्छा समय' । इसी प्रकार जातिवाचक सज्ञाएँ भी कभी कभी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त होने से व्यक्तिवाचक होती हैं जैसे—देवी की कृपा चाहिये, मरतू कौन सा है, गुसाईं जी की रामायण पढ़कर आनन्द आता है, इन वाक्यों में देवी (काली देवी), मरतू (विनमसजतू), गुसाईं जी (तुलसीदासजी) व्यक्तिवाचक सज्ञाएँ हैं । भाववाचक सज्ञाएँ भी कभी कभी जातिवाचक सज्ञाओं के समान प्रयुक्त होती हैं, जैसे—हाथी और घोड़े की चालों में बड़ा अन्तर है । चाल' शब्द साधारणतया भाववाचक है, पर ऊपर के वाक्य में जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त हुआ है ।

भाववाचक सज्ञाएँ तीन प्रकार के शब्दों से बनती हैं ।

(क) जातिवाचक सज्ञा में—लड़का से लड़कपन, पण्डित से पण्डितार्थ, मित्र से मित्रता आदि ।

(ख) सर्वनाम से—अह से अहकार अपना से अपनापन ।

(ग) विशेषण से—चतुर से चतुराई मीठा से मिठास ।

(घ) क्रिया से—चढ़ना से चढ़ाई, मजाना से मजापट । घबराना से घबराहट मारना से मार, आदि ।

कभी कभी अन्य शब्द भी सज्ञा के समान प्रयुक्त होते हैं जैसे—(विशेषण) गुणियों का आन्तर करो । नुहों का बहा मानो । (क्रियाविशेषण) यहाँ का जलवायु अच्छा है । रूमना बाहर भीतर एकसा है । (विस्मयादिवोधन अर्थ) हाय हाय क्यों मचा रक्खी है ?

तीसरा अध्याय

सज्ञाओं का रूपान्तर

पहले हम यह आये हैं कि वाक्य बनाने के लिए जब शब्द एक दूसरे से मिलते हैं तो वाक्य के अर्थानुसार विकारी शब्दों के रूप में परिवर्तन होता रहता है। इसे रूपान्तर कहते हैं। सज्ञा का यह रूपान्तर या परिवर्तन लिंग, वचन और कारक के कारण होता है। जैसे—(लिंग) घोड़ा खाता है, घोड़ी खाती है, [वचन] घोड़ा दौड़ता है, घोड़े दौड़ते हैं, [कारक] घोड़ा लाओ, घोड़े पर चढ़ो। इस प्रकार लिंग, वचन और कारक के भेद से सज्ञा के रूप में परिवर्तन होता रहता है।

(१) लिंग (Gender)

सज्ञा के जिस रूप से वस्तु की जाति (Sex) जानी जाय उसे लिंग कहते हैं।

हिन्दी भाषा में दो ही लिंग होते हैं—पुँल्लिंग [Masculine] और स्त्रीलिंग (Feminine)। पुंल्लिंग जाति का बोध करानेवाले शब्द पुँल्लिंग और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। नपुंसकलिंग हिन्दी भाषा में नहीं होता।

क्योंकि 'हरिश्चन्द्र' से तात्पर्य है 'मन्य पर दृढ़ रहनेवाला' और 'मृत्युयुग' का अर्थ है 'अच्छा समय' । इसी प्रकार जातिवाचक सज्ञाएँ भी कभी कभी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त होने से व्यक्तिवाचक होती हैं जैसे—देवी की कृपा चाहिये, सप्त कौन सा है, गुमाई जी की रामायण पढ़कर आनन्द आता है, इन वाक्यों में देवी (काली देवी), मरु (विजयमरु) गुमाई जी (तुलसीदासजी) व्यक्तिवाचक सज्ञाएँ हैं । भाव वाचक सज्ञाएँ भी कभी कभी जातिवाचक सज्ञाओं के समान प्रयुक्त होती हैं, जैसे— हाथी और घोड़े की चालों में बड़ा अन्तर है । चाल' शब्द साधारणतया भाववाचक है, पर ऊपर के वाक्य में जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त हुआ है ।

भाववाचक सज्ञाएँ तीन प्रकार के शब्दों से बनती हैं ।

(क) जातिवाचक सज्ञा स—लड़का से लड़कपन, पण्डित से पण्डितार्थ, मित्र से मित्रता आदि ।

(ख) सर्वनाम से—अह से अहकार, अपना से अपनापन ।

(ग) विशेषण से—चतुर से चतुराई मीठा से मिठास ।

(घ) क्रिया से—चढ़ना से चढ़ाई, सजाना से सजावट । घबराना से घबराहट मारना से मार, आदि ।

कभी कभी अन्य शब्द भी सज्ञा के समान प्रयुक्त होते हैं, जैसे—(विशेषण) गुणियों का आनंद करो । जुड़ो का कहा मानो । (क्रियाविशेषण) यहाँ का जलवायु अच्छा है । दमन चाह भीतर फन्सा है । (विमयादिरोधक अव्यय) हाय हाय क्यों मचा रकरी है ?

पुरुषत्व और स्त्रीत्व का ज्ञान मजीरो मे ही होता है निर्जियों में नहीं। निर्जीरा मे पुरुषत्व अथवा स्त्रीत्व का कल्पना करके उतरा लिंग नियत किया जाता है। प्राय मोटा, भारी बड़गा वस्तुओं के नाम पुंलिंग तथा छोटी हलकी वस्तुओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे—पेड़, मोटा नगर, मालय, फोट ये पुंलिंग तथा लता साटा नगी, पहाडा पुरा, बाम्फट ये स्त्रीलिंग मान जात हैं।

सज्ञा के लिंग के भेद से वाक्य मे सम्बद्ध क्रिया, विशेषण तथा सर्वनाम के रूपों मे विकार आ जाता है। अतः सज्ञा के लिंग का ज्ञान आवश्यक है। कई शब्दों का लिंग स्पष्ट मालूम पड जाता है, य वे शब्द हैं जिनके लोनों लिङ्गों में भिन्न भिन्न रूप मे होते हैं। जैसे—शेर, शेरनी घोडा, घोडी। शेष सज्ञाओं में कौन पुंलिंग है और कौन स्त्रीलिंग, उम्मा निर्णय करने के लिए कुछ एक नियम नीचे लिखे जाते हैं।

लिंग की परख

(क) जो प्राणिनाचक सज्ञाएँ पुरुषनाचक हैं वे पुंलिंग होती हैं और जो स्त्रीनाचक हैं वे स्त्रीलिंग होती हैं जैसे—पिता [पुं०], माता [स्त्री०] बैल [पुं०] गाय [स्त्री०]।

कई एक प्राणिनाचक सज्ञाओं मे दोनो जातियो—नर और मादा—का बोध होता है, पर उनका प्रयोग एक नियत लिंग ही मे होता है। जैसे—उल्लू, कौरा, भेडिया, चीना—ये पुंलिंग मे ही आते हैं, तथा कोयल चाल, मैना, प्रिली आदि केवल स्त्रीलिंग मे। जाति भेद प्रकट करने के लिए इनके साथ

देह	स० पुं०	हि० स्त्री०
आमा	पुं०	"
वस्तु	न०	"
राशि	पुं०	"
व्यक्ति	स्त्री०	पुं०
बाहु (बाहें)	पुं०	स्त्री०
विजय	पुं०	स्त्री०

समाज, आदि कुछ शब्द दोनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। हमारा उन्नत समाज (पुं०) यह चाहता है। यहाँ की समाज (स्त्री) के मभी सभासद ।

(ब) फारसी शब्दों का प्रायः वही लिंग रहता है जो उनका फारसी में है, जैसे—बदर फलम आदि स्त्रीलिंग हैं तथा खयाल दगा आदि पुल्लिंग । अंगरेजी शब्द व्यवहारानुसार पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, जैसे—राम का बूट, गाँव को पमिल, फीस ।

1 को परस्पर के ये नियम अपूर्ण हैं, और इनके बहुत से मिलते हैं । साधारणतया प्रसिद्ध लेखकों के लेख तथा ग्रन्थ ध्यानपूर्वक पढ़ने से ही लिंग भेद का अच्छा है ।

1 स्त्रीलिंग बनाने के नियम

1 आकारान्त शब्दों में अन्तिम 'अ' वा 'आ' प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग बनता है । जैसे—

बकी	पुत्र	पुत्री
बडी	बन्दर	बन्दरी

1 मे यह प्रत्यय लघुता या सूक्ष्मता के रस्ता, रुस्ती ।

(च) नदियों, तिथियों और नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिङ्ग में होते हैं जैसे—

गंगा, यमुना सरस्वती, चनाव आदि ।

प्रतिपदा (पड़ना) द्वितीया (दूज), तृतीया (तीज) आदि ।
श्रद्धिनी, भग्नी, कृत्तिका, रोहिणी आदि ।

(छ) व्ययमाय को बतानेवाले शब्द पुँलिङ्ग हैं, जैसे—दर्जी, धोबी आदि तथा भाषाओं के नाम स्त्रीलिङ्ग होते हैं जैसे—हिन्दी, अरबी आदि ।

(ज) जिन शब्दों के अन्त में आ, पा, त्य, आव पत्त हो वे प्रायः पुँलिङ्ग होते हैं और जिनके अन्त में आइ, घट, हट और ता हो वे प्रायः स्त्रीलिङ्ग होते हैं, जैसे—सोटा बुढापा, मनुष्यत्व, चढार और लडरूपन पुँलिङ्ग हैं, तथा चढाई, सजापट चिन्नाहट, सरलता आदि स्त्रीलिङ्ग हैं ।

(झ) हिन्दी में आने वाले मस्कृत के पुँलिङ्ग तथा नपुंसक लिंग शब्द प्रायः पुँलिङ्ग होते हैं और स्त्रीलिङ्ग शब्द प्रायः स्त्रीलिङ्ग होते हैं । जैसे—श, आचार, रत्न, धन आदि पुँलिङ्ग तथा आशा, मति, निशा आदि स्त्रीलिङ्ग । पर कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका मस्कृत में और लिङ्ग है तथा हिन्दी में और, जैसे—

	मस्कृत	हिन्दी
अग्नि	पुँ०	स्त्री०
वायु	पुँ०	स्त्री०
देवता	स्त्री०	पुँ०
सन्तान	पुँ०	स्त्री०
महिमा	पुँ०	स्त्री०
शत्रु०	पुँ०	स्त्री०

	स०	हि०
नेह	पुँ०	स्त्री०
आत्मा	पुँ०	"
वस्तु	न०	"
राशि	पुँ०	"
व्यक्ति	स्त्री०	पुँ०
बाहु (बाहें)	पुँ०	स्त्री०
विजय	पुँ०	स्त्री०

समाज, आदि कुछ शब्द दोनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। हमारा उन्नत समाज (पुँ०) यह चाहता है। यहाँ की समाज (स्त्री) के सभी सभासद ।

(ब) फारसी शब्दों का प्रायः वही लिंग रहता है जो उनका फारसी में है, जैसे—अनू कलम आदि स्त्रीलिंग हैं तथा सयाल दगा आदि पुँलिंग । अंगरेजी शब्द व्यवहारानुसार पुँलिंग या स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, जैसे—राम का बूट, गाँवन्द का पसिल, स्कूल की फीस ।

लिंगों के परस्पर के ये नियम अपूर्ण हैं, और इनके बहुत में अपवाद मिलते हैं। साधारणतया प्रसिद्ध लेखकों के लेख तथा ग्रन्थकारों के ग्रन्थ ध्यानपूर्वक पढ़ने में ही लिंग भेद का अच्छा ज्ञान हो सकता है।

पुँलिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के नियम

(१) अकारान्त और आकारान्त शब्दों में अन्तिम 'अ' या 'आ' के स्थान में प्रायः 'ई', प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग बनता है। जैसे—

लडका	लडकी	पुत्र	पुत्री
घोडा	घोड़ी	बन्दर	बन्दरी

अप्राणिवाचक शब्दों में यह प्रत्यय लघुता या सूक्ष्मता के अर्थ में लगता है। जैसे—रस्सा, रस्सी ।

(2) कुछ अकारान्त शब्दों में 'आ' के स्थान में 'इया' लगता है और पहला स्वर ह्रस्व हो जाता है। जैसे—

चूहा	चुहिया	कुत्ता	कुत्तिया
बूढ़ा	बुढ़िया	बेटा	बिटिया

यह प्रत्यय भी कहीं कहीं लघुता अर्थ में लगता है जैसे—

लोटा	लुटिया,	डिवा	डिटिया
------	---------	------	--------

(3) पेशा-सूचक पुल्लिंग शब्दों के अन्तिम स्वर के 'इन' प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग बनता है।

सुनार	सुनारिन	कहार	कहारिन
धोनी	धोनिन	जुलाहा	जुलाहिन

(4) कुछ अकारान्त शब्दों के अन्त में 'नी' प्रत्यय और 'अनी' लगाने से भी स्त्रीलिंग बनता है—

ना	अनी		
जाट	जाटनी	सेठ	सेठानी
मोर	मोरनी	नौकर	नौकरानी
ऊँट	ऊँटनी	देवर	देवरानी
राजपूत	राजपूतनी		

नी और 'अनी' प्रत्यय अकारान्त से भिन्न शब्दों में भी कहीं कहीं लगते हैं, जैसे—द्वार्थी हथिनी चौधरी, चौधरानी, ।

(5) उपनामसूचक शब्दों के अन्तिम स्वर के स्थान पर प्रायः 'आइन' प्रत्यय लगता है और उससे पहले तर्क स्वर को ह्रस्व कर दिया जाता है जैसे—

पाट	पडाइन	वावू	ववुआइन
दुब	दुवाइन	ठाकुर	ठकुराइन

(6) संस्कृत से आये हुए पुल्लिंग शब्दों के साथ प्रायः संस्कृत के स्त्री प्रत्यय (आ या ई) ही लगाये जाते हैं, जैसे—

प्रिय	प्रिया	विशारद	विशारदा
सुत	सुता	घालक	घालिका
नेत्र	दधी	प्रबन्धकर्ता (रुं)	प्रबन्धकर्त्री
विद्वान्	विदुषी	स्वामी (मिन)	स्वामिनी

कई पुँल्लिङ्ग शब्दों के स्त्रीलिङ्ग शब्द विलगुन्न भिन्न
ते हैं—

पुँ०	स्त्री०	पुँ०	स्त्री०	पुँ०	स्त्री०
पिता	माता	मन्	औरत	घर	घरू
बाप	माँ	भाई	बहन	राजा	रानी
पुरुष	स्त्री	मियाँ	बीवी	बैरा	गाय
मसुर	सास				

इसी प्रकार स्त्रीलिङ्ग शब्दों में भी 'आ' 'उआ' 'ओई'
आय' आदि प्रत्यय लगाने से वे पुरुषवाचक बन जाते हैं। जैसे—

भैंस	भैंसा	बहन	बहनोई
भेड़	भेड़ा	नन	ननदोई
रोड	रौडवा	बिल्ली	बिलाव

(२) वचन (Number)

सज्ञा और दूसरे विकारी शब्दों के जिन रूप से यह
ज्ञात हो कि वह एक के लिए प्रयुक्त हुआ है या एक से
अधिक के लिए उसे वचन कहते हैं। हिन्दी में दो वचन
होते हैं—एक वचन (Singular) और बहुवचन (Plural)।

* सबसे भेद में भाई का स्त्रीलिङ्ग भाभी, भावज या भाजाइ
और बहन का पुँल्लिङ्ग बहनोई भी होता है।

लना लनाएँ वस्तु वस्तु या वस्तुएँ -
माता माताएँ वद् बहुएँ

बहुत्व (बहुवचन) प्रकट करने के लिए मझा के एकवचन के साथ गण वृत्त, लोग, जन वर्ग, वृन्द आदि शब्द भी जोड़े जाते हैं। जैसे—पाठकगण, मञ्जनवृन्द, वानू लाग।

✓ प्राण स्पर्शन, लोग आदि शब्द प्रायः बहुवचन में ही बोले जाते हैं। जैसे—बहुत दिना में आपका दर्शन नहा हुआ। बडा मुश्किल

से प्राण बचे। प्राण परेक उड गये। लोग यह कह रहे हैं।

सामग्री, तय्यारी आदि एकवचन में ही प्रयुक्त होते हैं।

सज्ञाओं के तीन भेदों में से प्रायः जातिवाचक सज्ञा ही बहुवचन में आती हैं। परन्तु व्यक्तिवाचक और भाववाचक सज्ञाओं का प्रयोग जन जातिवाचक सज्ञा के समान होता है तब

ये बहुवचन में भी प्रयुक्त हो सकती हैं। जैसे—भारत में विभीषणों की कमी नहीं। “उठती तुरी है भावनाएँ हाय मम हृदय में।”

यहाँ ‘विभीषणों’ तथा ‘भावनाएँ’ जातिवाचक सज्ञाएँ हैं।

(३) कारक

सज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उमका सम्बन्ध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के माध्यम से प्रकट होता है उस

रूप को कारक कहते हैं। जैसे—“राम श्याम को उमकी पुस्तक पढ़ा रहा है” इस वाक्य में राम, श्याम को ‘पुस्तक’

ये सब सज्ञाओं के रूपान्तर हैं और ‘उसकी’ सर्वनाम का। इन रूपान्तरों द्वारा इन सज्ञाओं का परस्पर और ‘पढ़ रहा है’

इस क्रिया के साथ सम्बन्ध प्रकट होता है। इसलिए ये कारक

हैं। कारक से प्रकट करने के लिए मज्ञा या सर्वनाम के साथ 'को', 'ने' आदि जो चिह्न लगाय जाते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं।

हिन्दी में आठ कारक हैं। इनके नाम, चिह्न (विभक्तियाँ) और लक्षण आगे दिये जाते हैं—

(१) कर्ता कारक (Nominative)—इसमें 'ने' विभक्ति लगती है, कभी कभी कूठ भी नहीं लगता। मज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करनेवाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। 'ज्याम गया,' राम ने जाना खाया' इनमें 'श्याम' और 'राम ने' कर्ता कारक हैं क्योंकि नस जान वाले और खाने वाले का बोध होता है।

(२) कर्म कारक (Accusative) इसकी विभक्ति 'को' है पर कभी कभी 'को' का लोप हो जाता है। जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है, उसे सूचित करनेवाले मज्ञा के रूप को कर्म कारक कहते हैं। जैसे—'मैंने पत्र लिखा' 'कृष्ण ने कर्म को मारा' इन वाक्यों में लिखने का फल 'पत्र' है और मारने की क्रिया पत्र पर की गई है अतः 'पत्र' और 'कर्म को' कर्म कारक हैं। कहना धातु के साथ 'को' के स्थान में 'से' लगता है, जैसे, 'हरि से कहो'।

(३) करण कारक (Instrumental) इसकी विभक्ति 'से' है। क्रिया के साधन का बोध करानेवाले मज्ञा के रूप को करण कारक कहते हैं। जैसे—"राम पेंसिल से पत्र लिखता है" इस वाक्य में 'पेंसिल से' करण कारक है, क्योंकि लिखने की क्रिया पेंसिल द्वारा हो रही है। हेतु, विशेषता आदि अर्थों में भी इस कारक का प्रयोग होता है, जैसे—भूख से व्याकुल।

वर्षा हुई थी ? अर्थात् कल रात में क्या वर्षा हुई थी ? शाम तक मैं घर ही रहूँगा, अर्थात् शाम तक मैं घर में ही रहूँगा ।

(c) सम्बोधन (Vocative case)—सद्वा के जिम रूप में किसी को चेतावनी या पुकारना सूचित होता है उसे सम्बोधन कारक कहते हैं, जैसे—हे प्रभो आप हम सुखद्वि प्रदान करें । अरे छोकरे ! तू कहाँ नौकरी करता है ?

सम्बोधन कारक की कोई विभक्ति (प्रत्यय) नहीं, उसको प्रकट करने के लिए हे 'अरे' आदि अव्यय शब्द से पूर्व लगाये जाते हैं ।

कारक सम्बन्धी कुछ विशेष बातें

(१) संस्कृत में विभक्तियों शब्दों से मिली रहती हैं, पर हिन्दी में प्रायः पृथक् रहती हैं, कोई कोई लक्षण मिलाकर भी टिपते हैं, जैसे—'भाग्य का' या 'भाग्यका' निर्णय ईश्वर ही करते हैं ।

(२) सद्वा या सर्वनाम का जो सम्बन्ध विभक्तियों के द्वारा क्रिया या दूसरे शब्दों के साथ प्रकट होता है वही सम्बन्ध कभी कभी सम्बन्ध-सूचक अव्ययों के द्वारा भी प्रकट होता है, जैसे—मोहन 'पढ़ने को' गया है या मोहन 'पढ़ने के लिए' गया है ।

(३) विभक्तियों साधारणतया अन्तिम प्रत्यय हैं, अर्थात् इनके पश्चात् दूसरे प्रत्यय नहीं आते, तो भी हिन्दी में अधिकरण कारक की विभक्ति के पश्चात् कभी कभी सम्बन्ध या अपादान कारक की विभक्तियों भी प्रयुक्त होती हैं, जैसे—'घड़े में का पानी' 'पजे में से निकल गया' ।

(४) विभक्तियों के बदले कभी-कभी नीचे लिखे मन्वन्धसूचक अव्यय आते हैं—

करण कारक—द्वारा, करके, जरिये, कारण, मारे ।

सम्प्रदान कारक—लिण, हेतु, निमित्त, अर्थ, वास्ते ।

अपादान कारक—अपेक्षा, सामने, आगे, साथ ।

अधिकरण —चीच, भीतर, अन्दर, ऊपर ।

सज्ञाओं की स्वररू रचना (Inflections of Nouns)

विभक्तियों के योग से सज्ञाओं के रूप में जो विकार होते हैं, उनके कुछ एक नियम नीचे दिये जाते हैं—

एक वचन में—

(१) पुँल्लिंग आकारान्त सज्ञाओं के अन्तिम 'आ' को 'ए' हो जाता है, जैसे—लडके (न, को, से का म) किन्तु जहाँ कर्ता और कर्म कारक में 'ने' और 'को' चिह्न नहीं लगते वहाँ 'आ' ही रहता है। स्मरण रहे कि 'लडका' का विभक्ति-रहित बहुवचन भी 'लडके' है। परन्तु जिन आकारान्त पुल्लिंग सज्ञाओं का विभक्ति-रहित बहुवचन इस प्रकार नहीं बनता अर्थात् जिन शब्दों के विभक्ति-रहित बहुवचन में अन्तिम 'आ' को 'ए' नहीं होता उनके रूप में विभक्ति से पहले भी यह परिवर्तन नहीं होता, जैसे—राजा (ने, को)। मुग्धिया आदि कुछ शब्दों के अन्तिम 'आ' को 'ए' विकल्प से होता है जैसे—मुग्धिया, मुग्धिये (ने, को)।

(२) शेष सब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग सज्ञाएँ अविकृत रहती हैं जैसे—धन में, गौ का, मत्स्य से, आदि।

बहुवचन में—

(१) आकारान्त पुलिङ्ग, ममल अकारान्त (पुंलिङ्ग और स्त्रीलिङ्ग दोनों) तथा 'इया' प्रत्ययान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों के अन्तिम 'अ' और 'आ' को 'ओं' और सवोधन में 'ओ' हो जाता है, जैसे, घातक—घातकों (न, को) घोडा—घोडों (न को) टिविया—टिवियों (को, की)।

(२) आकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों, मामा आदि (मामा पिता, राजा, देवता, चन्द्रमा, सूरमा) शब्दों तथा उ ऊ, ए, ऐ ओ, औ, इनमें से कोई जिनके अन्त में हो ऐसे सम्पूर्ण पुलिङ्ग तथा स्त्रीलिङ्ग शब्दों के अन्त में 'ओं' और सवोधन में 'ओ' जोड़ा जाता है। उकारान्त शब्दों का, 'ऊ' ह्रस्व हो जाता है। गाला—शाताओं का, राजा—राजाओं का, साधु—साधुओं को, बहु—बहुओं का।

मुखिया आदि शब्दों में विकल्प से 'आ' होता है अथवा शब्द के अन्त में 'ओं' के स्थान में जैसे—
मुखियों को, मुखियाओं को।

(३) इकारान्त सज्ञाओं के अन्त में 'ओं' है, इकारान्त शब्दों के पतियों को,

(४) तत्त्वमनुसार पुत्रि,

व्यञ्जनान्त मज्ञाओं के रूप भी आकारान्त मज्ञाओं के समान हो होते हैं, जैसे—विद्वान्—विद्वानों को ।

ऊपर लिखे नियमों को प्रयोग में लियाने के लिए कई एक मज्ञाओं के पूरे रूप नीचे लिये जाते हैं ।

मज्ञाओं की रूपावली

अकारान्त पुल्लिंग—बालक शब्द

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	बालक, बालक <u>ने</u>	बालक, बालकों ने
कर्म	बालक <u>को</u>	बालकों को
करण	बालक <u>से</u>	बालकों से
सम्प्रदान	बालक <u>को</u>	बालकों को
अपदान	बालक <u>से</u>	बालकों से
सम्बन्ध	बालक <u>का, के, की</u>	बालकों का, के, की
अधिकरण	बालक <u>में, पर</u>	बालकों में, पर
मशोधन	(हे) बालक	(हे) बालकों

इसी प्रकार सब अकारान्त पुल्लिंग शब्दों के रूप होंगे । अकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के रूप भी इसी तरह होते हैं, केवल विभक्ति-रहित कर्ता और कर्म कारक के बहुवचन में अन्त के 'अ' को 'एँ' हो जाता है, यथा—

	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	बहन, बहन ने	बहनें, बहनों ने
कर्म	बहन को	बहनों को

शेष बालक शब्द की तरह । रात, वान आदि अकारान्त स्त्रीनिग शब्दों के रूप भी इसी तरह होंगे ।

आकारान्त पुल्लिंग—लडका शब्द

कारक	एकवचन	बहुवचन
कता	लडका, लडके ने	लडके लडकों ने
कर्म	लडके को	लडकों को
करण	लडके से	लडकों से
संप्रदान	लडके को	लडकों को
अपादान	लडके से	लडकों से
सम्बन्ध	लडके का, के, की	लडकों का के, की
अप्रिकरण	लडके में, पर	लडकों में, पर
सम्बोधन	(हि) लडके	(हि) लडको

इसमें प्रकार क्या, पहिया घोड़ा आदि आकारान्त पुल्लिंग शब्दों के रूप होंगे । किन्तु जो शब्द पृष्ठ ३७ पर दिए गए नियम के अपवाद हैं उनके एकवचन में 'आ' को 'ए' नहीं हाता । उनके रूप नीचे लिये गये राना शब्द के समान होंगे ।

आकारान्त पुल्लिङ्ग—राजा शब्द

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	राजा राजा ने	राजा, राजाओं ने
कर्म	राजा को	राजाओं को
करण	राजा से	राजाओं से
संप्रदान	राजा को	राजाओं को
अपादान	राजा से	राजाओं से

सम्यन्ध	राजा का, के, की	राजाओं का, के, की
अधिकरण	राजा मे, पर	राजाओं मे, पर
सम्योधन	(हे) राजा	(हे) राजाओ

इसी प्रकार पिता, नाना, देवता, चन्द्रमा, दरिया आदि शब्दों के भी रूप होते हैं।

आकारान्त पुल्लिंग—बापदादा शब्द

एकवचन बहुवचन

कर्त्ता	{	बापदादा	बापदादा (बापदादे)
		बापदादा ने (दादे ने)	बापदादाओं ने (दादो ने)
कर्म		बापदादा को (दादे को)	बापदादाओं को (दादों को)

इसी तरह सत्र वचनों में विकल्प से दो दो रूप बनते हैं, एक 'राजा' शब्द की तरह दूसरा 'लडका' शब्द की तरह।

आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के कर्त्ता के प्रभक्ति रहित बहुवचन में माताएँ, शालाएँ आदि रूप होते हैं। शेष सारे रूप 'राजा' के समान।

'इया' प्रत्ययान्त स्त्रीलिंग—बुढिया शब्द

कर्त्ता	बुढिया बुढिया ने	बुढिया, बुढियो ने
कर्म	बुढिया को	बुढियो को
सम्योधन	हे बुढिया	हे बुढियो

इकारान्त पुल्लिंग—पति शब्द

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्त्ता	पति, पति ने	पति, पतियो न
कर्म	पति को	पतियों को

करण	पति से	पतियों से
सम्प्रदान	पति को	पतियों को
अपादान	पति से	पतियों से
सम्बन्ध	पति का, के, की	पतियों का, के, की
अधिकरण	पति में पर	पतियों में, पर
सम्बोधन	(हे) पति	(हे) पतियो

अन्य इकारान्त पुल्लिंग शब्दों के रूप भी इसी प्रकार होते हैं ।

इकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के कर्त्ता के विभक्त रहित बहुवचन में 'मतियों', गतियों' आदि रूप होते हैं । शेष सत्र रूप 'पति' के समान ।

ईकारान्त पुल्लिंग—धोबी शब्द

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्त्ता	धोबी, धोबी ने	धोबी, धोबियों ने
कर्म	धोबी को	धोबियों को
करण	धोबी से	धोबियों से
सम्प्रदान	धोबी को	धोबियों को
अपादान	धोबी से	धोबियों से
सम्बन्ध	धोबी का, के, की	धोबियों का, के, की
अधिकरण	धोबी में, पर	धोबियों में पर
सम्बोधन	(हे) धोबी	(हे) धोबियो

अन्य ईकारान्त पुल्लिंग शब्दों के रूप भी इसी प्रकार होने हैं ।

ईकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के कर्त्ता के विभक्ति रहित बहुवचन में 'लड़कियों', देतियों' आदि रूप होते हैं । शेष सत्र रूप 'धोबी' के समान होते हैं ।

उकारान्त पुल्लिङ्ग—गुरु शब्द

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	गुरु, गुरु न	गुरु, गुरुओं ने
कर्म	गुरु को	गुरुओं को
करण	गुरु से	गुरुओं से
सम्प्रदान	गुरु को	गुरुओं को
अपादान	गुरु से	गुरुओं से
सम्बन्ध	गुरु का, के, की	गुरुओं का, क, की
अधिकरण	गुरु में, पर	गुरुओं में, पर
सम्बोधन	(हे) गुरु	(हे) गुरुओं

अन्य उकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दों के रूप भी इसी प्रकार होते हैं।

उकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों के कर्ता के विभक्ति रहित बहुवचन में 'वस्तुएँ' आदि रूप होते हैं। शेष भव रूप 'गुरु' के समान होते हैं।

उकारान्त पुल्लिङ्ग—डाकू शब्द

कर्ता	टाकू, डाकू ने	डाकू, डाकूओं ने
कर्म	डाकू को	डाकूओं को
करण	डाकू से	डाकूओं से
सम्प्रदान	टाकू को	डाकूओं को
अपादान	डाकू से	डाकूओं से
सम्बन्ध	डाकू का, के, की	डाकूओं का, के, की
अधिकरण	डाकू में, पर	डाकूओं में, पर
सम्बोधन	(हे) डाकू	(हे) डाकूओं

अन्य ऊकारान्त पुँल्लिंग शब्दों के रूप भी इसी प्रकार होते हैं ।
 ऊकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के विभक्तिरहित बहुवचन में
 बहुएँ, जोरुएँ आदि रूप होते हैं शेष सारे रूप 'डाकू' के समान ।

एकारान्त पुँल्लिंग—दुबे शब्द

कारक	एकवचन	बहुवचन
फला	दुबे दुबे ने	दुबे, दुबेओं ने
कर्म	दुबे को	दुबेओं को
करण	दुबे से	दुबओं से
सम्प्रदान	दुबे को	दुबओं को
अपादान	दुबे से	दुबेओं से
सम्बन्ध	दुबे का, के, की	दुबेओं का के, की
अधिकरण	दुबे में, पर	दुबेआ में, पर
सम्बोधन	(हे) दुबे	(हे) दुबेओ

अन्य एकारान्त पुँल्लिंग शब्दों के रूप भी इसी प्रकार होते हैं ।

ओकारान्त पुँल्लिंग—माधो शब्द

कारक	एकवचन	बहुवचन
फला	माधो, माधो ने	माधो, माधोओं ने
कर्म	माधो को	माधोओं को
करण	माधो से	माधोओं से
सम्प्रदान	माधो को	माधोओं को
अपादान	माधो से	माधोओं से
सम्बन्ध	माधो का के की	माधोओं का, के, की
अधिकरण	माधो में, पर	माधोओं में, पर
सम्बोधन	(हे) माधो	(हे) माधोओ

अन्य ओकारान्त पुँल्लिंग शब्दों के रूप भी इसी प्रकार होते हैं ।

ओकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के उदाहरण नहीं मिलते ।

सानुस्वार ओकारान्त स्त्रीलिङ्ग—सरमो शब्द

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	सरसों, सरसों ने	सरमों, सरसों ने
कर्म	सरसों को	सरसों को

इसी प्रकार अन्य कारकों में भी केवल विभक्तियों साथ जोड़ ली जायेंगी।

अन्य सानुस्वार ओकारान्त शब्दों के रूप भी इसी प्रकार होते हैं।

औकारान्त पुल्लिङ्ग—जौ शब्द

कर्ता	जौ, जौ ने	जौ, जौओं ने
कर्म	जौ को	जौओं को
सवोधन	(हे) जौ	(हे) जौओ

अन्य औकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दों के रूप भी इसी प्रकार होते हैं।

औकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों के विभक्ति रहित बहुवचन में गौँ आदि रूप होते हैं। शेष सब रूप 'जौ' के समान हैं।

सज्ञा का पद परिचय या शाब्द-बोध (Parsing of Nouns)

वाक्य का अर्थ पूर्णतया समझने के लिए वाक्य गत शब्दों के रूप और उनके परस्पर संबन्ध का ज्ञान आवश्यक है।

किसी शब्द के रूप का परिचय देना और उसका सम्बन्ध वाक्य-गत दूसरे शब्दों से बताना पदपरिचय या शाब्द-बोध कहलाता है।

सज्ञा के पद परिचय में नीचे लिखी

जात (प्रकार), लिंग, ...
उदाहरण नीचे दिये

अन्य ऊकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दों के रूप भी इसी प्रकार होते हैं ।

ऊकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों के त्रिभक्ति-रहित बहुवचन म बहुवचन, जोरुँ आदि रूप होने हैं, शेष सारे रूप 'डाकू' के समान ।

एकारान्त पुल्लिङ्ग—दुबे शब्द

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	दुबे, दुबे ने	दुबे, दुबेओं ने
कर्म	दुबे को	दुबेओं को
करण	दुबे से	दुबेओं से
सम्प्रदान	दुबे को	दुबेओं को
अपानान	दुबे से	दुबेओं से
सम्बन्ध	दुबे का, के, की	दुबेओं का, के, की
अधिकरण	दुबे में, पर	दुबेओं में, पर
सम्बोधन	(हे) दुबे	(हे) दुबेओं

अन्य एकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दों के रूप भी इसी प्रकार होते हैं ।

ओकारान्त पुल्लिङ्ग—माधो शब्द

कारक	माधो, माधो ने	माधो, माधोओं ने
कर्ता	माधो को	माधोओं को
कर्म	माधो से	माधोओं से
करण	माधो को	माधोओं को
सम्प्रदान	माधो से	माधोओं से
अपानान	माधो का, के, की	माधोओं का, के, की
सम्बन्ध	माधो में, पर	माधोओं में, पर
अधिकरण	(हे) माधो	(हे) माधोओं
सम्बोधन		

अन्य ओकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दों के रूप भी इसी प्रकार होते हैं ।

ओकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों के उदाहरण नहीं मिलते ।

१७ नीचे लिखे शब्दों का लिंग बताओ और उन्हें वाक्यों में प्रयुक्त करो—दीमक, तारा, हवा, तिल, समाज, घास, छत, कितारा ग व, कौआ, शिशु, दम्पति, तुलतुल, सत्ताग, औषध, ऋजु, सामध्य अग्नि, मुग्ग, आँध्य महिमा, गुलार, लडरूपन, कोपल, दाग, दही, निरुस, चालचलन रोल, काप्रम ।

८ काग्य किसे कहते हैं ? द्वितीया कितने कारक हैं उनके प्रयोग बताओ ।

• निम्नलिखित सज्ञाओं का गण कारको में रूप लिखो — रात, आशा, पशु, रहु, तिथि, नदी ।

१० नीचे लिखे वाक्यों की सज्ञाओं का शब्द रोप बताओ —
 आई ! सतार में अनेक पुरुष एसे हैं जिन्हें धर्म कर्म से कुछ मत लर नहीं । वे गाना, पीना और मौज में रहना ही जीवन का उद्देश्य समझते हैं । ऐसे जन सदा स्वार्थ में डूबे रहते हैं । समाज सुधरे अथवा बिगड़े उनको इससे कुछ नहीं, उनके तन का जिससे मुग्ग मिले वही उनका कर्तव्य है ।

११ नीचे लिखे पुँल्लिङ्ग शब्दों के स्त्रीलिङ्ग में रूप लिखो—
 दास, मुर्गा, ब्राह्मण, ठठेर, तेली, लोहार, सिंह, मिसिर, पाठक, मेहतर, गुरु, पैल, समुर, साहर, राजा, बहनोई, भय, वैश्य ।

१२ नीचे लिखे स्त्रीलिंग शब्दों के पुँल्लिङ्ग बनाओ —
 कुटिया, इन्द्राणी, नाईग, गाय, नानी, वधू, कुतिया, सिंहनी, भैंस ।

१३ कर्म कारक और सम्प्रदान कारक, करण और अपादान में भेद स्पष्ट बतलाओ ।

वाक्य—शकुन्तले ! तूरे त्राप को इममे अधिक दुर
 क्या होगा कि यौवन मे तू प्राणों को त्याग कर ममार से
 चल बसे ?

शकुन्तले—मना, व्यक्तिवाचक, स्त्रीलिङ्ग, एकवचन मयोधन ।
 त्राप का—सज्ञा, जातिवाचक पुँल्लिङ्ग, एकवचन, सम्प्रदान ।
 दुर—सज्ञा भाववाचक पुँल्लिङ्ग, एकवचन, 'होगा' क्रिया
 का कर्ता ।

यौवन मे—सज्ञा भाववाचक पुँल्लिङ्ग एकवचन, अधिररण ।
 प्राणों को—सज्ञा, जातिवाचक, पुँल्लिङ्ग, बहुवचन
 'त्यागकर' क्रिया का कर्म ।

ममार से—सज्ञा जातिवाचक पुँल्लिङ्ग एकवचन, अपात्ता ।
 अभ्यास

१ शब्द और शब्दाक्षरों में क्या भेद है ? शब्द और पद में
 क्या भेद है ? हम उदाहरण कर समझाओ । क्या 'आ' शब्द है ?

२ शब्दों के मूल में क्या भेद और भेद ? तद्भव शब्द तथा
 योगरूढि शब्द कि हैं कहते हैं ?

३ सज्ञा के भेद और उनके स्थान बताओ । कौन कौन
 सज्ञा शब्द सज्ञा के समान प्रयुक्त होते हैं ?

४ भाववाचक सज्ञा कैसे बनती है ? इसके नियम बताओ ।

५ व्यक्तिवाचक सज्ञा के चार उदाहरण (वाक्य में प्रयोग
 करके) ऐसे दो, जो जातिवाचक सज्ञाओं के समान प्रयुक्त हुई हों ।
 इसी प्रकार चार उदाहरण जातिवाचक सज्ञाओं के ऐसे दो, जो
 व्यक्तिवाचक के समान प्रयुक्त हुई हों ।

६ लिङ्ग और वचन किम कहते हैं ? हिन्दी में लिङ्ग और वचन
 कितने हैं ? कौन कौन से प्रत्यय लगाने से शब्द पुँल्लिङ्ग से स्त्रीलिङ्ग
 बन जाते हैं, उदाहरण सहित समझाओ ।

७ नीचे लिखे शब्दों का लिंग रताओ और उन्हे वाक्यों में प्रयुक्त करो—दीमक, तारा, हवा, तिल, समाज, घास, छत, फिताम गन्ध, कौआ, शिशु, दम्पति, बुलबुल, सन्ताप, औषध, ऋतु, सामर्थ्य अग्नि, मुग्ध, आँसू महिमा, गुलाब, लङ्कपन, कोमल, दास, दही, निहास, चालचलन रोल, काप्रेस ।

८ कारक किसे कहते हैं ? हिन्दी में कितने कारक हैं उनके प्रयोग बताओ ।

९ निम्नलिखित सज्ञाओं के मत्र कारकों में रूप लिखो—बात, आज्ञा, पशु, रहू, तिथि, नदी ।

१० नीचे लिखे वाक्यों की सज्ञाओं का शब्द बोध रताओ—
आई । ससार में अनेक पुण्य ऐसे हैं जिन्हें धर्म कर्म से कुछ मत लग नहीं । वे खाना, पीना और मौज में रहना ही जीवन का उद्देश्य समझते हैं । ऐसे जन सदा स्वाध में डूबे रहते हैं । समाज सुधरे अथवा बिगड़े उनको इससे कुछ नहीं, उनके तन को जिससे मुग्ध मिले वही उनका कर्तव्य है ।

११ नीचे लिखे पुँल्लिङ्ग शब्दों के स्त्रीलिङ्ग में रूप लिखो—
दाम, मुर्गा, ब्राह्मण, ठठेरा, तेली, लोहार, सिंह, मिसिर, पाठक, मेहतर, गुरु, तैल, समुर, साहब, राजा, रहनोद, भव, वैश्य ।

१२ नीचे लिखे स्त्रीलिंग शब्दों के पुँल्लिङ्ग रनाओ—
छुटिया, इन्द्राणी, नाईन, गाय, नानी, बधू, कुतिया, सिंहनी, भैंस ।

१३ कर्म कारक और सम्प्रदान कारक, करण और अपादान में भेद स्पष्ट रतलाओ ।

चौथा अध्याय ✓

सर्वनाम (PRONOUN)

एक ही सज्ञा को किसी वाक्य में बारबार दोहराना भद्दा मालूम होता है, अतः उसे बारबार न दोहराकर उसके स्थान में दूसरे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार मज्ञा के स्थान में उसके अर्थ को प्रकट करने के लिए चिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे—'मोहन ने कहा—अपनी पुस्तक लेकर वह कल आवेगा', इसमें 'अपनी' और 'वह' शब्द 'मोहन' की और 'मोहन' के स्थान में प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए सर्वनाम हैं। यदि इन सर्वनामों का प्रयोग न होता तो इस वाक्य का यह रूप होता—मोहन ने कहा—मोहन की पुस्तक ले कर मोहन कल आवेगा। इस में बारबार मोहन की आवृत्ति होने के कारण यह बड़ा भद्दा मालूम होता है। इस पुनरक्ति को दूर करने के लिये ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है।

हिन्दी में प्रायः निम्नलिखित सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होते हैं—

मैं, तू, वह, आप, सो, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या।
इन सर्वनामों को प्रयोग के अनुसार पाँच श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है।

१ पुरुषवाचक (Personal) २ निश्चयवाचक (Demonstrative) ३ अनिश्चयवाचक (Indefinite) ४ सम्बन्धवाचक (Relative) ५ प्रश्नवाचक (Interrogative) ।

१ पुरुषवाचक सर्वनाम

वक्ता या लोपक बोलने या लिखते समय या तो अपने विषय में कुछ कहता है या सुननेवाले या पढ़नेवाले के विषय में, अथवा अपने और सुननेवाले को छोड़कर अन्य किसी के विषय में कहता है इन तीनों रूपों को व्याकरण में पुरुष कहते हैं । जो सर्वनाम बोलनेवाले, सुननेवाले और जिसके विषय में कुछ कहा जाय उसका बोध कराते हैं, उन्हें 'पुरुषवाचक' सर्वनाम कहते हैं ।

बोलनेवाला या लिखनेवाला अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तमपुरुष (First Person) कहते हैं, जैसे—मैं (एकवचन) हम (बहुवचन)

सुननेवाले या पढ़नेवाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है उसे मध्यमपुरुष (Second Person) कहते हैं जैसे—तु (एकवचन) तुम, आप (बहुवचन)

जिसके विषय में कुछ कहा या लिखा जाय उसके लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द अन्यपुरुष (Third Person) कहते हैं, जैसे—वह, वह, ये, वे, सो, जो, कुछ, कौन, क्या आदि ।

मे और हम—

'मे' उत्तम पुरुष के एकवचन में और 'हम' बहुवचन में प्रयुक्त होता है । जैसे—'मे सोया,' 'हम सोये' । पर 'हम' निम्नलिखित स्थितियों पर एक वचन के अर्थों में भी आता है ।

(क) सम्पादक और ग्रन्थकार लोग अपने लिए बहुधा 'हम' का प्रयोग करते हैं। जैसे—आगे हम सर्वनाम की व्याख्या करेंगे।

(ख) बड़े-बड़े अधिकारी तथा प्रतिष्ठित पुरुष विरोध कर जब वे किसी अधिकार से बोलते हैं तो 'मैं' की जगह 'हम' का ही प्रयोग करते हैं। जैसे—'हम हुक्म देते हैं कि उसको हाज़िर करो'।

(ग) किसी ममुताय की ओर से प्रतिनिधि होकर जब बात कही जाये तब भी कहनेवाला अपने लिए 'हम' का ही प्रयोग करता है। जैसे—'हवा के बिना हम पल भर भी नहीं जी सकते।

(घ) कभी कभी अभिमान अथवा गोध में भी 'मैं' के स्थान पर 'हम' का प्रयोग होता है जैसे—

‘विश्वामित्र—हम आधी दक्षिणा तोरर क्या करें?’

(ङ) कहीं कहीं साधारण बोलचाल में भी 'मैं' की जगह हम का ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ, बहुवचन बनाने के लिए 'हम' के साथ 'लोग' जोड़ा जाता है। जैसे—हम अभी खाना नहीं खाएँगे। हम लोग आज काम पर नहीं जायेंगे।

तू और तुम

'तू' मध्यमपुरुष एकवचन में और 'तुम' बहुवचन में आता है। जैसे—'तू' और 'तुम'। साधारणतया 'तू' से निरान्वय सूचित होता है, अतः सभ्य-समाज में एक वचन में भी 'तुम' का ही प्रयोग होता है। प्रायः निम्नलिखित स्थलों पर 'तू' का प्रयोग किया जाता है—

(१) भक्त की ओर में देवता के प्रति प्रार्थना में, जैसे 'तू है प्रभु चाँद में हूँ चकोरा'।

(२) घनिष्ठ मित्र अपने से छोटे, स्नेहपात्र या नौरु आदि के लिए, जैसे—देवदत्त 'तू चला मैं जाता हूँ'। क्यों रं हरिया अभी तक तूने कमरा साफ नहीं किया ?

(३) तिरस्कार और रोध में, जैसे—“अभी तूने (तूने) मुझे पहिचाना कि कहीं ?” तू है किम गेत की मूली ?

यह, ये, वह ये—

'यह' और 'वह' अन्यपुंस के एकवचन में तथा 'ये' और 'वे' बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे—वह खेल रहा है। वे खेल रहे हैं। आदर के लिए एकवचन में भी 'ये' और 'वे' का प्रयोग होता है। जैसे—प्रोफेसर साहब कल लाहौर जा रहे हैं, ये अपने साथ यह सामान भी लेते जावेंगे। 'यह' तथा 'ये' प्रत्यक्ष का बोध कराते हैं और 'वह' तथा 'वे' परोक्ष का, जैसे—सबरे उठते ही मोहन के घर गया था पर उह वहाँ मिला नहीं। अरे, ये फन से यहाँ बैठे हैं, पहले उनके लिए कुछ खाने को तो लाओ।

'यह' और 'वह' जब एक ही वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो 'यह' पीछे कही हुई मज्ञा को और 'वह' पहले की हुई मज्ञा को प्रकट करता है। जैसे—“महात्मा और दुरात्मा में इतना ही भेद है कि उनके मन, उचन और कर्म एक रहते हैं, उनके भिन्न भिन्न”।

आप—

'तू' और 'तुम' के स्थान में आदर के लिए दोनों बचनों

में 'आप' का प्रयोग होता है। जैसे—'तू वहाँ चल' के स्थान में 'आप वहाँ चलिए', 'आप सब वहाँ चलिए'। कभी कभी अन्यपुरुष में 'यह' और 'वह' के स्थान पर भी 'आप' का प्रयोग किया जाता है, जैसे—'आप (यह) मेरे मित्र हैं, आप (वह) काशी के रहने वाले थे।

'आप' का प्रयोग निज अर्थ में भी होता है। तब यह तीनों पुरुषों और दोनों वचना में आता है। निज अर्थ में 'आप' सदा दूसरे सर्वनामों या संबोधनों के साथ ही आता है। इस अर्थ में 'आप' साथ 'ही' अथवा 'अपना', 'अपने' या 'अपनी' भी जुड़ जाता है। जैसे—मे आप ही वहाँ गया, तुम अपने आप वहाँ जाओ, वे आप यहाँ आये थे देवदत्त ने आप यह कहा था। 'आप' को जगह पर 'स्वयं', 'स्वुद', 'स्वत' आदि का प्रयोग भी होता है। जैसे—तुम स्वयं वहाँ जाओ। मैं स्वुद उनसे बात करूँ तो अमलियत मालूम हो। कभी कभी 'आप' का अकेला प्रयोग भी होता है, जैसे—'आप भला तो जग भला।' निज अर्थ में 'आप' को कोई कोई सर्वनाम का एक स्वतन्त्र भेद भी मानते हैं।

२ निश्चयवाचक सर्वनाम

निश्चयवाचक सर्वनाम वे हैं जो किसी वस्तु का निश्चय करावे। अन्यपुरुषवाचक यह, वह, ये, वे ही निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम को निश्चयवाचक या सन्नेतवाचक भी कहा जाता है। 'यह' और 'ये' पास वाले वस्तुओं के लिए तथा 'वह' और 'वे' दूर की वस्तुओं के लिए आते हैं। जैसे—'नितने फन रमेश लाया है उनमें केवल मैं ये अच्छे

निकले हैं, मालूम होता है ये उमने आन मरुते हुंने अंग वे उसके पास पहले के पडे होंगे। यहाँ ये 'मरु' में फागे के मरुते होने का तथा 'वे' में दूर होने का निश्चय पाया जाता है।

३ अनिश्चयवाचक सर्वनाम

जिम सर्वनाम में किसी विशेष वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम दो हैं—कोई और कुछ। जैसे—'क्या कोई ने शेर कुत्ता दे गया है?' इस वाक्य में 'कोई' और 'कुत्ता' शब्दों के प्रयोग वस्तु के विषय में कुछ निश्चय नहीं पाया गया।

'कोई' का प्रयोग प्रायः नीचे लिखे शब्दों में होता है।

(क) किसी अज्ञात व्यक्ति के लिए शब्द है जैसे—'किसी कोई मेरे पोछे यहाँ आ न जाय।'

(ख) जब व्यक्तियों का पता न हो तो शब्द कहते हैं कि उन में से कौन उपस्थित है तो शब्द का प्रयोग होता है जैसे—'अरे! कोई यहाँ है?'

(ग) कोई के पहले 'मय' का प्रयोग होता है जो 'मय' का बोध 'मय लोग' और 'हर' लग जाय तो शब्द का प्रयोग होता है। निपेधात्मक वाक्य में भी कोई शब्द का प्रयोग होता है। जैसे—'सब कोई यह बात कह रहे हैं।'

(क) किसी अज्ञात वस्तु के लिए जैसे—पानी में कुछ है इसे फेंक दो।

(ख) 'कुठ का कुठ' में विपरीतता का बोध होता है। जैसे—मैंने तो आप में यह नहीं कहा था, आपने तो कुठ का कुछ समझ लिया।

(ग) 'कुठ कुठ' से विचित्रता सूचित होती है। जैसे—अरे यहाँ तो हमारी न पड़ेगी यहाँ एक कुठ कहता है दूसरा कुठ।

कोई का प्रयोग प्रायः प्राणियों के लिए होता है और 'कुठ' का निर्जीव पदार्थों के लिए या छोटे प्राणियों के लिए।

४ सम्बन्धवाचक मर्दानाम

सम्बन्धवाचक मर्दानाम वे हैं जो एक बात का दूसरी बात में सम्बन्ध प्रकट करते हैं। जैसे—जो और सो। 'सो' सदा 'जो' के साथ आता है। जैसे—जो कठिनाई थी सो दूर हो गई। आप जो न कहें सो बड़ा है। सो के स्थान पर 'वह' का भी प्रयोग होता है। जैसे—जो हरिश्चन्द्र ने किया वह अब कोई भी भारतवासि न करेगा। कभी कभी 'जो' या 'सो' में से एक लुप्त रहता है। जैसे—हुआ सो हुआ। जो, आता है आपने गुण गाता है।

५. प्रश्नवाचक मर्दानाम

जिम मर्दानाम से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक मर्दानाम कहते हैं। जैसे—क्या, कौन।

'क्या' अप्राणियों के लिए और 'कौन' प्राणियों—विरोध करने वालों—के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे—क्या किया है? कौन आया है?

‘कौन तिरस्कार के लिए भी आता है। जैसे—तुम मुझे रोकने वाले कौन हो ?

उपर लिखे सर्वनामों के अतिरिक्त एक, दो, और, अन्य दोनों, सब, दूसरा, पहला, कई आदि और भी सर्वनाम कहे जाते हैं। जैसे एक ही पर्याप्त होगा, दो की कोई आवश्यकता नही। दोनों ही बिना पूछे चलते बने, यहाँ एक भी नहीं रहा। पहले को अपने काम से पुरसत नहीं, दूसरा दिन रात इधर उधर घूमता रहता है। सब यहीं आ रहे हैं। उनमें से चार पुस्तकें तो तुम ले ही गए थे और यहाँ रखी है। कई यह कह रहे थे।

कई बार कई सर्वनाम जुड़ कर भी मुहावरे की तौर पर प्रयुक्त होते हैं। जैसे—जो कोई, कईएक कोई कुछ तो कोई कुछ, एक दूसरा, कोई न कोई, सब कोई, एक आधा, और का और, क्या से क्या, कौन कौन, क्या क्या, एक न एक, कुछ न कुछ आदि। जैसे—जो कोई गंगा पार जा सकेगा, उसी को यह मिलेगा। बताओ कौन कौन क्या क्या कह रहे थे ? क्या बताऊँ कोई कुछ कहता था तो कोई कुछ, एक दूसरे की बात ही न सुनते थे। सब कोई तो यहाँ आने से रहे पर कोई न कोई (एक न एक) आज फल में यहाँ अवश्य आवेगा और कुछ न कुछ जरूर होगा हम क्या भी क्या सोच रहे थे और यहाँ और का और ही हो गया।

सर्वनामों के रूपान्तर

। यन् कारक के कारण समाओं की तरह

ह भी रूपान्तर होते हैं परन्तु लिंग के कारण इनका रूप नही बदलता ।

सर्वनामों का सम्बोधन कारक नहीं होता, क्योंकि किमा को पुकारते समय हम उसका नाम या उपनाम लेकर ही पुकारते हैं, सर्वनाम द्वारा कभी किसी को नहीं पुकारते ।

वृत्ता कारक के विभक्ति रहित बहुवचन में मैं, तू, यह, वह के रूप क्रम से हम, तुम, ये, वे हो जाते हैं । शेष सर्वनाम जैसे वे जैसे रहते हैं ।

कर्त्ता कारक तथा सम्बन्ध कारक को छोड़कर शेष कारकों के एकवचन में 'मैं' और 'तू' का रूप क्रमशः 'मुझ' और 'तुझ' तथा सम्बन्ध कारक को छोड़कर शेष कारकों के बहुवचन में 'हम' और 'तुम' हो जाता है । सम्बन्ध कारक के दोनों वचनों में 'मैं' का रूप क्रमशः 'मे' और 'हमा' तथा 'तू' का रूप क्रमशः 'ते' और 'तुम्हा' हो जाता है और 'म के, को' की जगह पर 'रा, रे री' विभक्तियाँ जुड़ती हैं ।

यह, वह, कौन, जो, सो, कोई, के साथ विभक्तियों जुड़ने पर एकवचन में क्रम से इस, उस, किस, जिस, तिस किसी और बहुवचन में इन, उन, किन, तिन, तिन रूप हो जाते हैं । विभक्ति-सहित कर्त्ता कारक के बहुवचन में इनके दो दो रूप विकल्प से होते हैं । जैसे—इनने, इन्होंने, किनने, किन्होंने, उनने, उन्होंने, जिनने, जिन्होंने तिनने, तिन्होंने । अन्तिम कोई शब्द का विभक्ति सहित बहुवचन नहीं बनता, बहुवचन में केवल उसकी द्विरक्ति ही हो जाती है । जैसे—कोई कोई कहते हैं । कई बार बिना द्विरक्ति के भी कोई शब्द बहुवचन

में बिना किसी रूप परिवर्तन के प्रयुक्त होता है। जैसे—आज हमारे यहाँ कोई आये हैं।

मैं, तू, यह, वह, कौन और जो सर्वनामों के कर्म और सम्प्रदान कारकों में 'को' की जगह एकवचन में 'ए' और बहुवचन में 'एँ' विभक्ति भी लगती है। जैसे—मुझको, मुझे, हमको, हमें आदि।

पुरुषवाचक सर्वनामों के विभक्तिरहित कर्त्ताकारक के एक वचन और सम्प्रदानकारक को छोड़कर शेष कारकों में निश्चय के लिए एकवचन में 'ई' और बहुवचन में 'ईं' या 'हीं' लगाने हैं जैसे—उसी से उन्हीं का, तुम्हीं से।

पहले हम बता चुके हैं कि 'आप' शब्द के साथ विभक्तियों आती हैं और विभक्ति के पहले उसका रूप नहीं बदलता। परन्तु निज वाचक 'आप' शब्द एकवचन ही में रहता है। बहुवचन सद्भा और सर्वनाम के साथ भी यह एकवचन ही में रहता है, इसका विकृत रूप 'अपना' है, जो सम्बन्ध कारक में आता है। कर्त्ता और सम्बन्ध कारक को छोड़कर शेष कारकों में इस विकृत रूप—अपना—के साथ ही सब विभक्तियाँ लगाई जाती हैं। जैसे—अपने से, अपने को।

कभी कभी 'अपना' और 'आप' दोनों का मिलकर भी प्रयोग होता है, तब विभक्ति 'आप' के बाद लगती है। जैसे—अपने आप को, अपने आप में।

जब सद्भा के समान 'अपना' स्वयं अथवा अपनी वस्तुओं के अर्थ में आता है तब उसके रूप अन्य आकारान्त सद्भा दोनों वचनों में होते हैं।

माता पिता की सेवा करो 'बिरो घटालें' देख घडा मत अपना फोडो, अपने लिए मैं क्या लिखूँ ?

आप शब्द का एक और रूप 'आपस' है । इसका प्रयोग मलाआ के समान होता है जैसे—आपस में मत लडो, आपस की फूट बुरी है ।

मन, कुछ और क्या शब्दों का रूपान्तर नहीं होता । 'सब' शब्द के साथ सब विभक्तियाँ लगती हैं । 'कुछ' और 'क्या' के साथ 'से' और 'का, के, की' को छोड़ और विभक्तियों नहीं आती । जैसे—क्या से क्या, कुछ से कुछ, क्या का क्या, कुछ का कुछ । कई वैयाकरण 'काहे का' 'काहे से' आदि को 'क्या' के रूपान्तर लिखते हैं, परन्तु ये रूप अब प्रयोग में नहीं आते ।

सर्वनामों की रूपावली

पुरुषवाचक (उत्तम पुरुष)—मैं

कर्ता	मैं मैंने	हम, हमने
कर्म	मुझे, मुझको	हमें, हमको
करण	मुझसे	हमसे
सम्प्रदान	मुझे मुझको, मेरे लिए	हमें, हमको, हमारे लिए
अपदान	मुझसे	हमसे
सम्बन्ध	मेरा, री रे	हमारा, री, रे
अधिकरण	मुझमें, पर	हमें में, पर

पुरुषवाचक (मध्यमपुरुष)—तू

कर्ता	तू तूने	तुम, तुमने
कर्म	तुझे तुझको	तुम्हें, तुमको
करण	तुमसे	तुमसे

सम्प्रदान	तुम्हें, तुम्हको, तेरे लिए	तुम्हें, तुमको, तुम्हारे लिए
अपादान	तुमसे	तुमसे
सम्बन्ध	तेरा, री, रे	तुम्हारा, री, रे
अधिकरण	तुम मे, पर	तुम मे, पर

पुरुषप्राचक (अन्य पुरुष) और निश्चयप्राचक—यह

कर्ता	वह, उसने	वे, उनने, उन्होंने
कर्म	उसे, उसको	उन्हें, उनको
करण	उससे	उनसे
सम्प्रदान	उसको, उसे, उसके लिए	उनको, उन्हें, उनके लिए
अपादान	उमसे	उनसे
सम्बन्ध	उसका, के, की	उनका, के, की
अधिकरण	उसमे, पर	उनमे, पर

पुरुषप्राचक (अन्य पुरुष) और निश्चयप्राचक—यह

कर्ता	यह, इसने	ये, इनने, इन्होंने
कर्म	इसे, इसको	इन्हें, इनको
करण	इससे	इनसे
सम्प्रदान	इसे, इसको, इसके लिए, इन्हें, इनको, इनके लिए	
अपादान	इससे	इनसे
सम्बन्ध	इसका, के, की	इनका, के, की
अधिकरण	इसमे, पर	इनमे, पर

पुरुषप्राचक (आदरसूचक) आप

कर्ता	आप, आपने
कर्म	आपको

शब्द-विचार

करण	आपने
सम्प्रदान	आपको
सम्बन्ध	आप का के की
अधिकरण	आप में, पर

ऊपर लिखे शब्दों के बहुवचन के पीछे 'लाग' लगा भी चोलते हैं। जैसे—तुम लोग, आप लोग, हम लोग, वे लोग आदि।

निजमात्र—आप

कर्त्ता	आप
कर्म	अपने को
करण	अपने से
सम्प्रदान	अपने को, अपने लिए
अपादान	अपने से
सम्बन्ध	अपना, ने, नीं
अधिकरण	अपने में, पर

अनिश्चयमात्र—कोई

कर्त्ता	कोई किसी ने
कर्म	किसी
करण	किसी से
सम्प्रदान	को
अपादान	से
सम्बन्ध	के,
अधिकरण	में

काई कोई इसके सभिक्रिा बहुवचन का रूप 'किन्हीं' लिखते हैं, वे विभक्तियाँ इसी रूप के आगे आगते हैं । जैसे—
किन्हींने किन्हींको, किन्हींसे ।

सम्बन्धवाचक—जो (जौन)

कर्त्ता	जो, (जौन), जिसने	जो, (जौन), जिन्होंने	जिनने
कर्म	जिसे, जिम्को	जिन्हें, जिनको	
करण	जिससे	जिनसे	
सम्प्रदान	जिसे जिम्को, जिसके लिए	जिन्हें, जिनको, जिनके लिए	
अपादान	जिमसे	जिनसे	
सम्बन्ध	जिमका, के, की	जिनका, के, की	
अधिकरण	जिसमें, पर	जिनमें, पर	

सम्बन्धवाचक—सो (तौन)

कर्त्ता	सो, (तौन), तिसने	सो, (तौन), तिनने, तिन्होंने
कर्म	तिसे, तिमको	तिन्हें, तिनको
करण	तिससे	तिनसे
सम्प्रदान	तिसको, तिमे	तिनको, तिन्हें
अपादान	तिससे	तिनसे
सम्बन्ध	तिसका, के, की	तिनका, के, की
अधिकरण	तिसमे पर	तिनमे, पर

प्रश्नवाचक—कौन

कर्त्ता	कौन, किसने	कौन, किनने, किन्हींने
कर्म	किसको, किसे	किनको, किन्हें
करण	किससे	किनसे

सम्प्रदान	किसको, किसे, किसके लिए	किनको, किन्हें, किनके लिए
अपादान	किससे	किनसे
सम्बन्ध	किसका, के, की	किनका, के, की
अधिकरण	किसमें, पर	किनमें, पर

इसी प्रकार 'सय' और 'समी' के रूप जानें।

सर्वनाम का पद-परिचय (Parsing of Pronouns)

सर्वनाम के पद-परिचय में सर्वनामों का प्रकार, पुरुष वचन कारक और उनका अन्य शब्दों से सम्बन्ध बताना चाहिये। उदाहरणार्थ—

‘उन्होंने कहा—कौन तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है।’

उन्होंने—सर्वनाम, पुरुषवाचक, अन्यपुरुष, बहुवचन, ‘कहा’ क्रिया का कर्ता।

कौन—सर्वनाम, प्रश्नवाचक, अन्यपुरुष, एकवचन, ‘बिगाड़ सकता है’ क्रिया का कर्ता।

तुम्हारा—सर्वनाम, पुरुषवाचक, मध्यमपुंस, बहुवचन, सम्बन्ध ‘कुछ’ के साथ।

कुछ—सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, अन्यपुरुष, एकवचन, ‘बिगाड़ सकता है’ क्रिया का कर्म।

नोट—यदि वाक्य में वह शब्द जिसका सर्वनाम स्थानापन्न है मौजूद हो तो पद-परिचय देने हुए उसका उल्लेख करना आवश्यक है।

अभ्यास

१ सर्पनाम किसे करते हैं—गणनाम विभिन्न प्रकार के होते हैं उनके नाम और उदाहरण लिखो ।

२ कौन, मे, यह और जो के रूप लिखो ।

३ निम्नलिखित वाक्यों में सर्पनाम का पद परिचय दो—

आप कहाँ से जाये हैं ? क्या पर रहे हैं ? बुछ अपनी दगा मिचारी ' उनसे किमो कहा ' मे तु हारा दितपी हूँ' । जो गरजते द वे परमते नहीं । सभी एक दुगरे म सद्धत है । मिने तो तुमसे कहा या यह बड़ा गगन है ।

५४ वाँके लिए वाक्यों के रिक्त स्थानों में यथायोग्य सर्पनाम लिखो ।

कह्यहाँ आया या । उसने ~~वहाँ~~ ^{उहाँ} काम में होशियार रहे, समार म देगा गया हेकिपरिधम करता है ~~उत्तम~~ ^{उत्तम} फल प्राप्त करता है । जाने दो ~~बाग~~ ^{बाग} को ~~वहाँ~~ ^{उहाँ} काम की गही । ~~नाम~~ ^{नाम} और ~~म्पी~~ ^{म्पी} यहाँ पहुँचे ।

पाँचवाँ अध्याय

विशेषण (Adjective)

जिस पद में किसी सज्ञा वा सर्वनाम की कोई विशेषता या गुण प्रकट हो अथवा उनका क्षेत्र संकुचित हो उसे विशेषण कहते हैं। जैसे—काला (सॉप) रेशमी (कपड़े) पाँच (आम)।

‘कपड़ा लाओ’ कहने पर लानेवाला सूती, ऊनी, रेशमी किसी तरह का भी कपड़ा ला सकता है, पर जब कपड़े के साथ रेशमी शब्द जोड़ दिया जाय—अर्थात् ‘रेशमी कपड़ा लाओ’—यह कह जाय तो लाने वाला रेशमी कपड़ा ही लावेगा, ऊनी या सूती नही। इस तरह रेशमी शब्द कपड़े की विशेषता प्रकट करता है और क्षेत्र को संकुचित कर देता है।

इसी तरह ‘आम लाओ’ कहने पर लाने वाला एक आम भी ला सकता है और उस भी। पर जब उसे कह दिया जाय कि पाँच आम लाओ तो वह पाँच ही आम लावेगा। ‘पाँच’ शब्द ने आम का क्षेत्र संकुचित कर दिया, इसलिए यह भी विशेषण है।

विशेषण द्वारा जिस सज्ञा की विशेषता प्रकट होती है, उसे विशेष्य कहते हैं। ‘रेशमी कपड़ा’ में कपड़ा विशेष्य है और रेशमी विशेषण, ‘काला सॉप’ में ‘सॉप’ विशेष्य है ‘काला’ विशेषण। विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है—एक

विशेष्य से पहले और दूसरा विशेष्य के बाद । जैसे—'ऐसा सुन्दर फूल मैंने पहले कभी नहीं देखा' और 'यह फूल बड़ा सुन्दर है' इन दोनों वाक्यों में 'सुन्दर' फूल का विशेषण है । पहले वाक्य में वह विशेष्य (फल) से पहले आया है और दूसरे वाक्य में पीछे । जो विशेषण विशेष्य से पहले आता है उसे विशेष्य-विशेषण कहते हैं और जो विशेषण विशेष्य से पीछे आता है उसे विधेय-विशेषण ।

विशेषण चार प्रकार के हैं—? गुणवाचक (Adjectives of Quality) २ संख्यावाचक (Adjectives of Number) ३ परिमाणवाचक (Adjectives of Quantity) ४ सार्वनामिक या निर्देशक विशेषण (Demonstrative Adjectives) ।

१. गुणवाचक विशेषण

जिस विशेषण द्वारा किसी सज्ञा या सर्वनाम में गुण, आकार, स्थान, समय तथा देश आदि की विशेषता पाई जाती है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं । जैसे—

रंग—काला, पीला, लाल, नीला, हरा, सफेद आदि ।

आकार—गोल, सुडौल सुन्दर, बुरूप, पोला, नुकीला आदि ।

दशा—पतला, मोटा, गाढा, गीला, सुखी आदि ।

देश—हिन्दुस्तानी, चीनी, जापानी, ईरानी आदि ।

स्थान— { बाहरी, भीतरी, ऊँचा, नीचा आदि ।

दिशा— { पूर्वी, दक्षिणी, (दायाँ) आदि ।

गुण—अच्छा, बुरा, धर्मात्मा, पापी आदि ।

काल—नया, पुराना, भूत, वर्तमान, गत आगामी आदि ।

नोट—वर्तुवाचक, कर्मवाचक और क्रियाद्योतक सज्ञाएँ भी-
 विशेषण होकर आती हैं, जैसे—पढ़ने वाले विद्यार्थी, मरा हुआ
 घोडा, पहचाना हुआ आन्नी, झूमती ढाल ।

गुणवाचक विशेषणों के साथ हीनता के अर्थ में 'सा' प्रत्यय
 जोड़ा जाता है जैसे—रह बड़ा सा पेड़ जामुन का है (बहुत
 बड़ा नहीं, जोड़ा बड़ा) ।

सज्ञाओं के साथ 'नाम' या 'नामक', 'सम्बन्धी', 'रूपी',
 'तुल्य' 'समान', 'सरीखा' आदि प्रत्यय लगाकर भी गुणवाचक
 विशेषण बनाये जाते हैं, जैसे—भरत सरीखा भाई मिला कठिन
 है । लघुपतननामक एक कौवा था । समाज-सम्बन्धी बातें भिन्न
 कर सोचनी चाहिए । भयरूपी सागर को ज्ञान के बिना तैरना
 कठिन है । रामसरीखे बालक को प्राप्त कर कौशल्या के आनन्द
 का पारावार न रहा ।

गुणवाचक विशेषण के बदले बहुधा सज्ञा के सन्धकारक के
 रूप भी प्रयोग में आते हैं । जैसे—विदेशी (विदेश का) राज,
 जापानी (जापान का) कपडा, घरू (घर का) भगड़ा ।

कहाँ कहीं गुणवाचक विशेषणों का विशेष्य लुप्त रहता है ।
 तब उनका प्रयोग सज्ञाओं के समान होता है । जैसे—वहों (बड़े
 आदमियों) ने सच कहा है । 'तुलसी हाथ गरीब (गरीब आदमी)
 की कचहूँ न निःफल जाय' ।

२. संख्यावाचक विशेषण

जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की गणना, क्रम
 समूह और गुणा आदि का बोध कराते हैं उन्हें संख्या-
 वाचक विशेषण कहते हैं जैसे—चार लड़के, पाँचवाँ पृष्ठ
 दोनों आदमी, बहुत से फल ।

मख्यावाचक विशेषण के तीन भेद हैं—निश्चित मख्यावाचक, निश्चित मख्यावाचक और विभागबोधक या प्रत्येकबोधक ।

निश्चित मख्यावाचक विशेषण वे हैं जिनसे निश्चित मख्या का बोध होता है जैसे—चार, आठवाँ दसगुणा, सातौ । उनके फिर चार भेद हैं—(क) गणनावाचक, (ख) क्रमवाचक (ग) आवृत्तिवाचक (घ) समुदायवाचक ।

(क) गणनावाचक—गणनावाचक विशेषणों से गणना की जाती है । जैसे—एक मनुष्य, पाँच फूल, सात वृक्ष ।

गणनावाचक विशेषण के साथ 'एक' लगाने से 'लगभग' अर्थ निकट होता है, जैसे—पन्द्रह एक आदमी थे—अर्थात् लगभग पन्द्रह आदमी थे । 'एक' के साथ उसी अर्थ में 'आध' लगाया जाता है, जैसे—एक आध दिन ही रहूँगा ।

गणनावाचक दो विशेषणों के इकट्ठा आने पर भी अर्थ अनिश्चित हो जाता है । जैसे—दस-पन्द्रह दिन मुझे वहाँ लगेंगे । बीस पच्चीस ही आदमी आये थे । बीस, पचास आदि के साथ 'ओ' जोड़ने से भी अर्थ अनिश्चित हो जाता है, जैसे—वहाँ पचासों आदमी मौजूद थे ।

(ख) क्रमवाचक—क्रमवाचक विशेषणों से विशेषण की क्रमानुसार गणना का ज्ञान होता है । जैसे—पहला, दूसरा, चौथा दसवाँ आदि ।

क्रमवाचक विशेषण साधारण गणना वाचक विशेषणों के अन्त में 'वाँ' जोड़ने से बनते हैं । जैसे—पाँच से पाँचवाँ, सात से सातवाँ, आठ से आठवाँ, बीस से बीसवाँ । इस नियम के आगे लिखे पाँच रूप अपवाद हैं—

एक—पहला	तीन—तीसरा	छ—छठा
दो—दूसरा	चार—चौथा ।	

(ग) आवृत्तिवाचक—आवृत्तिवाचक विशेषण यह बताता है कि विशेष्य से जिस वस्तु का बोध होता है वह कै गुना है। विशेषण के अंत में 'गुना' लगाने से आवृत्ति वाचक विशेषण बनता है। 'गुना' लगाने से आठ तक के गणनावाचक विशेषणों के रूप में कुछ परिवर्तन आ जाता है। जैसे, दो—दुगुना या दूना, तीन—तिगुना या तीनगुना, चार—चौगुना, पाँच—पँचगुना, छ—छैगुना, सात—सतगुना, आठ—अठगुना, नौ—नौगुना।

इकहरा, दोहरा, तिहरा इत्यादि हरा' प्रत्यय लाकर इन हुए शब्दों की भी आवृत्तिवाचका में गणना होती है।

(घ) समुदायवाचक—जिस पद से सग्या के समुदाय का बोध हो वह समुदायवाचक विशेषण कहाता है। साधारण गणनावाचक विशेषणों के अंत में 'प्रो' लगाने से समुदायवाचक विशेषण बन जाते हैं। जैसे—तीन + ओं = तीनों, चार + ओं = चारों, 'दो' के साथ 'ओं' की जगह 'नों' लगता है—तुम दोनों वहाँ जाओ।

अनिश्चित सख्यावाचक विशेषण वे हैं जिनसे निश्चित सख्या का ज्ञान नहीं होता, जैसे—बड़े, घड़नसे कुछ, थोड़े आदि। उ०—कई आत्मी तुम्हें मिलने आये थे।। कुछ दिन यहाँ और रहूँगा। परीक्षा में थोड़े दिन रह गये हैं। इसी तरह 'एक दिन ऐसा हुआ' 'में और आम लूँगा' आदि में एक' तथा 'और' भा अनिश्चित सख्यावाचक विशेषण हैं।

विभागवाचक या प्रत्येकबोधक विशेषण वे हैं जिन

तब 'अनिश्चितसंख्यावाचक' होंगे और जय-प्रेमी वस्तु के म
आवें जो गिनी १ जा मरे अपितु तीली तथा मारी जा सक २
'अनिश्चितपरिमाणवाचक' होंगे ।

'प्रान्न भर के सारे नगरों में हड़ताल मनाई गई', 'सारा नर
गूर मजाया गया' इन दो वाक्यों से 'अनिश्चितसंख्यावाचक'
तथा अनिश्चितपरिमाणवाचक' का भेद स्पष्ट हो जायगा । पर
वाक्य में 'मारे' पद अनिश्चितसंख्या-वाचक' विशेषण है क्योंकि
यह बहुवचन मक्षा के साथ प्रयुक्त हुआ है । चालीस, पचास
जितने नगर हैं, उन्हीं गिनती हो सकती है । दूसरे वाक्य में
'मारा प' 'अनिश्चितपरिमाणवाचक' विशेषण है क्योंकि यह
एकवचन मक्षा के साथ प्रयुक्त हुआ है । ऐसे ही—मर आदम'
कुछ फरा, बहुत पुस्तकें, थोड़े कपड़े, सय रुपये इत्यादि अनिश्चित
संख्यावाचक हैं तथा थोड़ा पानी, अधिक मकरान, कुछ कपड़ा स
धन इत्यादि अनिश्चितपरिमाणवाचक हैं ।

'अल्प' किंचित्' और 'जरा' आदि केवल परिमाणवाच
विशेषण हैं संख्यावाचक नहीं ।

अनिश्चितपरिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक संज्ञाओं
में 'ओं' जोड़ने से अथवा दो निश्चित संख्यावाचक विशेषणों के
इकट्ठे आने से बनते हैं । जैसे—(सेर + ओं) = सेरों दूध, दो चार
सेर दूध ।

दो परिमाणवाचक विशेषण मिलकर भी आते हैं, जैसे—
थोड़ा बहुत लाभ तो हर एक व्यवसाय में होता ही है । बहुत, अधिक
थोड़ा आदि के साथ 'सा' प्रत्यय निश्चय के अर्थ में लगाया जाता
है, थोड़ी सी तो पूँजी है । जरा सी कमाई में क्या गुबर हो
सकती है ।

'म' 'बढ़कर' 'उतर कर' भी लगा
से तेज वा अधिक निकला ।
है ।

रने के लिए विशेषण के पहले 'सब से'
धिक मूर्ख है ।

के लिए कभी कभी विशेषणों की द्विरक्ति
कई बार पहले शब्द के आगे 'से' भी
हैं 'बहुत ही' 'अत्यन्त' आदि शब्द भी
छे अच्छे वस्त्र, अच्छे से अच्छे वस्त्र,
शत्रु में उत्तरावस्था के लिए 'तर' और
'लगाते हैं' । जैसे—श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम,

विशेषणों के रूपान्तर

वचन और कारक होते हैं जो उसके
के होने पर रूपान्तर विशेष्यो

विशेषणों में ही
। जैसे—काला
घोती, लाल

को छोड़कर
जो 'ए'
से,

यह,	इस	ऐसा,	इतना,	इससरीखा
वह,	उस,	वैसा,	उतना	उससरीखा
सो	तिस	तैसा		
जो,	जिम	जैसा	जितना	
कौन,	किस,	कैसा,	कितना	
कोई	कोईसा			

कुछ

मुझसा मुझसरीखा

तुझसा तुझसरीखा

विशेषणों की तुलना (Degrees of Comparison)

वस्तुओं के गुणों के मलान को तुलना कहते हैं। तुलना के विचार से विशेषणों की तीन अवस्थाएँ होती हैं—मूल (Positive), उत्तर (Comparative), उत्तम (Superlative)।

मूलावस्था में तुलना नहीं होती जैसे—मोहन परिश्रमी लडका है।

उत्तरावस्था में दो की तुलना करके एक की अधिकता या न्यूनता लिखाई जाती है जैसे—मोहन श्याम से छोटा है, मोहन श्याम से अधिक चालाक है।

उत्तमावस्था में दो में अधिक वस्तुओं की तुलना करके एक को सब से ऊँचा अथवा सबसे नीचा बताया जाता है, जैसे, मोहन अपनी श्रेणी में सबसे छोटा है। विष्णु इन सब से चालाक है।

जिस सज्ञा या सर्वनाम से तुलना की जाती है, उसके आगे से (अपानान कारक की विभक्ति) लगाते हैं अथवा 'की अपेक्षा' या 'बनिम्बत' का प्रयोग किया जाता है। विशेषण से पूर्व

कभी कभी 'अधिक', 'कम' 'बढ़कर' 'उतर कर' भी लगा देते हैं, जैसे—शिष्य गुरु से तेज वा अधिक निकला । देवदत्त उससे भी बढ़कर चालाक है ।

सर्वोत्तमता सूचित करने के लिए विशेषण के पहले 'सब से' लगाते हैं—वह सब से अधिक मूर्ख है ।

उत्तमावस्था दिखाने के लिए कभी कभी विशेषणों की द्विरुक्ति करते हैं और द्विरुक्ति में कई बार पहले शब्द के आगे 'से' भी लगाया जाता है, कहीं कहीं 'बहुत ही' 'अत्यन्त' आदि शब्द भी लगाये जाते हैं, जैसे, अच्छे अच्छे वस्त्र, अच्छे से अच्छे वस्त्र, बहुत अच्छे वस्त्र । संस्कृत शब्दों में उत्तरावस्था के लिए 'तर' और उत्तमावस्था के लिए 'तम' लगाते हैं । जैसे—श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम ।

विशेषणों के रूपान्तर

विशेषण के वही लिङ्ग, वचन और कारक होते हैं जो उसके विशेष्य के हों, पर कारक के कारण होने वाले रूपान्तर विशेष्यों में ही होते हैं विशेषणों में नहीं ।

विशेष्यों के लिङ्ग के कारण भी आकारान्त विशेषणों में ही कुछ परिवर्तन होता है अन्य विशेषणों में नहीं । जैसे—काला कपड़ा, काली धोती, लाल कपड़ा, लाल कपड़े, लाल धोती, लाल धोतियाँ ।

पुँछिङ्ग विशेष्यों से पूर्व कर्त्ताकारक के एकवचन को छोड़कर शेष सब स्थानों में आकारान्त विशेषणों के अन्तिम 'आ' को 'ए' हो जाता है । जैसे—पीला वस्त्र, पीले वस्त्र, काले साँप से, 'ओ नीले घोड़े के सवार ।"

आकारान्त विशेषण स्त्रीलिंग विशेष्य के साथ ईकारान्त हो जाते हैं। जैसे काली घोड़ी, पतली साड़ियाँ।

विशेषण के रूप में प्रयुक्त सर्वनामों में वही रूपान्तर होता है जो उनमें सर्वनामों के रूप में प्रयुक्त होने पर होता है। जैसे—यह घोड़ा ये घोड़े, इस लड़के ने, इन लड़कियों ने।

हिन्दी में संस्कृत विशेषणों का रूप विशेष्य के लिंग के अनुसार बदल भी जाता है और नहीं भी। दोनों ही रूप हिन्दी में प्रचलित हैं, जैसे—सुशीला कन्या भी लिखा जाता है और सुशीला कन्या भी। पर कुछ संस्कृत शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग विशेष्यों के साथ पुँल्लिङ्ग रूप में नहीं लिखे जाते। जैसे—विदुषा कन्या' या श्रीमती महारानी को विद्वान् कन्या' या 'श्रीमान् महारानी' कहा लिखा जाता।

विशेषणों की विशेष बातें

(१) वृथक्ता या अधिकता दिखाने के लिए कहीं कहीं विशेषणों को दुहरा लिया जाता है। जैसे—छोटे छोटे फूल, लाल लाल आँगों।

(२) विशेषण का भी विशेषण होता है, जैसे—थोड़ी फटी घोड़ी बड़ा सुन्दर फूल।

(३) गुणवाचक और परिमाणवाचक विशेषण जब क्रिया की विशेषता दिखाते हैं, तब क्रियाविशेषण हो जाते हैं। जैसे—बहुत प्यारा गया, घी थोड़ा है।

(४) विशेषण शब्दों के साथ जब विशेष्य नहीं आता और वे स्वयं विशेष्य बन जाते हैं तब उनके साथ विभक्तियों भी लगती हैं, जैसे—“दीनों को दान दो।”

विशेषणों का पद-परिचय

विशेषण के पद-परिचय में मन्ना के समान ही सब बातें फहनी पड़ती हैं, अर्थात् विशेषण, उसके भेद, लिंग, वचन, कारक और विशेष्य । जैसे, इस कठिन अवस्था में हम दोनों तीसरी मञ्जिल पर चढ़ गये, वहाँ जाते ही थोड़ा जल पिया ।

इस—विशेषण, गुणवाचक स्त्रीलिंग, एकवचन, 'अवस्था' विशेष्य का विशेषण ।

कठिन—विशेषण, गुणवाचक, स्त्रीलिंग, एकवचन, 'अवस्था' विशेष्य का विशेषण ।

दोनों—विशेषण, मख्यावाचक, पुल्लिंग, बहुवचन, 'हम' विशेष्य का विशेषण ।

तीसरी—विशेषण, निश्चितभङ्गायावाचक स्त्रीलिंग, एकवचन, 'मञ्जिल' विशेष्य का विशेषण ।

थोड़ा—विशेषण, परिमाणवाचक, पुल्लिंग, एकवचन, 'जल' विशेष्य का विशेषण ।

अभ्यास

१ विशेषण किसे कहते हैं ? विशेषण कितने प्रकार के होते हैं ?

२ नीचे दिये गये वाक्यों में विशेषणों का पद परिचय दो—

थोड़े ही काल में उस दुष्ट हाथी ने रंग धिरगे फूलों से मुमञ्जित

उस सुन्दर पुल्वारी को तोड़ मरोड़ डाला । ये तीनों सौदागर दो चार दिनों में ही अपने बुरे कर्मों का उचित फल पा लेंगे । मेरा छोटा लड़का अभी मुस्त है । बहुतेरे मनुष्य अपने घरेलू हागड़ों से ही छुटी नहीं पाते ।

आकारान्त विशेषण स्त्रीलिङ्ग विशेष्य के साथ ईकारान्त होते जाते हैं। जैसे काली घोड़ी, पतली सादियों।

विशेषण के रूप में प्रयुक्त सर्वनामों में वही रूपान्तर होता है जो उनमें सर्वनामों के रूप में प्रयुक्त होने पर होता है। जैसे—घोड़ा, य घोड़े, इस लड़के ने, इन लड़कियों ने।

हिन्दी में संस्कृत विशेषणों का रूप विशेष्य के लिंग के अनुसार बदल भी जाता है और नहीं भी। दोनों ही रूप हिन्दी में प्रचलित हैं, जैसे—सुशील कन्या भी लिखा जाता है और सुशीला कन्या भी। पर कुछ संस्कृत शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिङ्ग विशेष्या के साथ पुल्लिङ्ग रूप में नहीं लिखे जाते। जैसे—'विद्वान् कन्या' या श्रीमती महारानी को 'विद्वान् कन्या' या 'श्रीमती महारानी' नहीं लिखा जाता।

विशेषणों की विशेष बातें

(१) पृथक्ता या अधिकता दिखाने के लिए कहीं कहीं विशेषण को दुहरा दिया जाता है। जैसे—छोटे छोटे फूल, लाल लाल आँखें।

(२) विशेषण का भी विशेषण होता है, जैसे—थोड़ी प्यारी थोड़ी बड़ी सुन्दर फूल।

(३) गुणवाचक और परिमाणवाचक विशेषण जब क्रिया विशेष्यता दिखाते हैं, तब क्रियाविशेषण हो जाते हैं। जैसे—बड़ा बड़ा गया, घी थोड़ा है।

(४) विशेषण शब्दों के साथ जब विशेष्य नहीं आता और स्वयं विशेष्य बन जाते हैं तब उनके साथ विभक्तियों भी लगती हैं जैसे—“दीनों को दान दो।”

विशेषणों का पद-परिचय

विशेषण के पद-परिचय में सज्ञा के समान ही सब बातें कहनी पड़ती हैं, अर्थात् विशेषण, उमके भेद, लिंग, वचन, कारक और विशेष्य । जैसे, इस कठिन अवस्था में हम दोनों तीसरी मञ्जिल पर चढ़ गये, वहाँ जाते ही थोड़ा जल पिया ।

इस—विशेषण, गुणवाचक, स्त्रीलिंग, एकवचन, 'अवस्था' विशेष्य का विशेषण ।

कठिन—विशेषण, गुणवाचक, स्त्रीलिंग, एकवचन, 'अवस्था' विशेष्य का विशेषण ।

दोनों—विशेषण, सख्यावाचक, पुल्लिंग, बहुवचन, 'हम' विशेष्य का विशेषण ।

तीसरी—विशेषण, निश्चितसख्यावाचक, स्त्रीलिंग, एकवचन, 'मञ्जिल' विशेष्य का विशेषण ।

थोड़ा—विशेषण, परिमाणवाचक, पुल्लिंग, एकवचन, 'जल' विशेष्य का विशेषण ।

अभ्यास

१ विशेषण किसे कहते हैं ? विशेषण कितने प्रकार के होते हैं ?

२ नीचे दिये गये वाक्यों में विशेषणों का पद परिचय दो—

थोड़े ही काल में उस दुष्ट हाथी ने रंग बिरंगे फूलों से सुमञ्जित उस सुन्दर फुलवारी को तोड़ मरोड़ डाला । ये तीनों सौदागर दो चार दिनों में ही अपने बुरे कर्मों का उचित फल पा लेंगे । मेरा छोटा लड़का अभी मुस्त है । बहुतेरे मनुष्य अपने घरेलू झगड़ों से ही छुट्टी नहीं पाते ।

३ नीचे लिखे वाक्य या वाक्यांशों में उदाहरण दे कर भेद समझाओ—

सारा नगर—सार नगर, चार रुपये—तीन चार रुपये, बीस पैसे—बीस एक पैस, कुल मात पास हुए—सातों पास हुए, पचास श्रोता थे—पचासों श्रोता थे, पचास एक श्रोता थे ।

४ नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषणों में भेद करा—

जो लड़के परिश्रम नहीं करते वे फल हाते हैं । उस मनुष्य ने किसी बूढ़ का दरवाजा अपना पैसा दे दिया । जिसकी जैसी भावना, तैसी फल वह पाये ।

५ नीचे लिखे शब्दों का सर्वनाम और विशेषण—दोनों रूपों में प्रयोग दिखाओ—

कौन, जा, यह, इन ।

६ दो, पाँच नौ, और सौ के क्रमबोधक विशेषण लिखो ।

ब्रह्म अध्याय

क्रिया (Verb)

जिस पद से व्यापार का होना या करना पाया जाय वह क्रिया पद कहलाता है। जैसे—'राम पढता है' इस वाक्य में 'पढता है' पद राम के पढने का कार्य बतलाता है, इसलिए यह क्रिया पद है। इसी तरह "मोहन आया था", 'हरि पत्र लिखता है" इन वाक्यों में 'आया था' और 'लिखता है' भी क्रिया पद हैं।

सब प्रकार की क्रियाएँ कुछ मूल शब्दों से बनी हैं जिन्हें धातु कहते हैं। 'लिखता है' क्रिया में 'लिख' मूल धातु है और 'ता है' प्रत्यय है। इसी प्रकार 'आया था' में 'आ' मूल धातु है और 'या था' प्रत्यय हैं।

धातु के आगे 'ना' प्रत्यय, जोड़ देने से जो शब्द बनता है वह क्रिया का साधारण रूप कहलाता है। जैसे—'रना' से 'खाना' 'आ' से 'आना' 'भाग' से 'भागना', 'हो' से 'होना' 'लिख' से 'लिखना'।

क्रिया का साधारण रूप बहुधा सज्ञा के समान प्रयुक्त होता है, जैसे—'उसका हँसना देख मैं बड़ा प्रसन्न हुआ।' 'ऐसे जीने से मरना ही भला है।' इन वाक्यों में 'हँसना' 'जीना' और 'मरना' सज्ञा हैं। कोई कोई ऐसे शब्दों को क्रियार्थक सज्ञा कहते हैं।

कई एक धातुओं का भी भाववाचक सज्ञा के समान

होता है। जैसे—घुड़ दौड़ में कौन जीता? खेल शीघ्र ही समाप्त हो गया।

क्रिया के भेद

क्रिया द्वारा दो अर्थ प्रकाशित होते हैं, एक व्यापार और दूसरा फल। 'मोहन भोजन खाता है'—यहाँ खाने का व्यापार (चेष्टा—दंतों से चबाना आदि) तो मोहन कर रहा है पर उस व्यापार का फल भोजन पर पड़ता है अर्थात् खाया या चबाया भोजन जा रहा है।

'मोहन सोता है' इसमें सोने का व्यापार मोहन कर रहा है और उसका फल (सोने का सुख आदि) भी मोहन को मिल रहा है। इस प्रकार क्रियाएँ दो तरह की हैं। एक वे जिनका व्यापार और फल अलग अलग स्थानों पर पड़ता है। दूसरी वे जिनका व्यापार और फल एक ही वस्तु—करनेवाले—में रहते हैं। पहली क्रिया को सकर्मक और दूसरी को अकर्मक कहते हैं।

व्यापार या कार्य करनेवाले को कर्ता (Subject) कहते हैं और उस व्यापार का फल कर्ता से निकल कर जिस पर पड़ता है उसे कर्म (Object)।

इसलिए जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्ता को छोड़ कर कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक (Transitive) और जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता में ही रहता है वे अकर्मक (Intransitive) कहाती हैं।

बहुधा इन अर्थवाली क्रियाएँ अकर्मक होती हैं—होना, लज्जित होना, ठहरना, जागना पड़ना, क्षीण होना, डरना, जीना—मरना, मोना, धमकना।

कुछ क्रियाएँ प्रयोग के अनुसार सकर्मक भी होती हैं और, प्रकर्मक भी, जैसे—बदलना, भरना, ललचाना, खुजलाना, ।
 ३—‘तू भी बदल (अकर्मक) फलक कि जमाना बदल (अकर्मक) गया’, ‘पहल बदल कर (सकर्मक) उन्होंने कहा—
 गत तो ठीक है ।’ वूँद वूँद से घडा भरता है (अकर्मक), उसने
 आपँ भर कर (सकर्मक) कहा’ ‘ये चीजें देख कर मेरा जी लल-
 वाता है’ (अकर्मक), ‘ये चीजे मेर जी को ललचाती हैं’
 (सकर्मक) ‘मेरे हाथ खुजलाते हैं (अकर्मक), मेरी पीठ को
 तो जरा खुजलाओ (सकर्मक) ।

जब सकर्मक क्रियाआ द्वारा केवल व्यापारमात्र प्रकट होता है और कर्म की विग्रहा न हो तब वे भी अकर्मक हो जाती हैं ।
 जैसे—ईश्वर की कृपा से बहरा सुनता है और गूँगा बोलता है ।
 इस वाक्य मे ‘सुनता है’ और ‘बोलता है’ अकर्मक क्रियाएँ हैं ।

जब अकर्मक क्रियाओं के साथ उन क्रियाओं से बनी भाववाचक सहाएँ जोड दी जायँ तब वे सकर्मक हो जाती हैं जैसे—लडकी ने अच्छा नाच नाचा, मैं ऐसी चाल चला कि वे देखते ही रह गये । ऐसी सकर्मक क्रियाओं को सजातीय क्रिया कहते हैं और कर्म को सजातीय कर्म ।
 ऐसा कर्म किसी किसी सकर्मक क्रिया के साथ भी जुडा हुआ पाया जाता है, यथा—पक्षी अनोखी बोली बोल रहे हैं । मैंने उसे पाठ पढाया ।

कई सकर्मक क्रियाएँ एककर्मक (एक कर्मवाली) होती हैं, जैसे, मैंने खाना खाया और कई द्विकर्मक (दो कर्मवाली) होती हैं—जैसे मैंने उमे कथा सुनाई, मोहन ने उमे पाठ

पढाया, राम ने भित्तारी को पैसा दिया। इन वाक्यों में गे-ने कर्म हैं। पहले आये हुए 'उसे' और 'भित्तारी'- प्राणिवोधक कर्म, गौण कर्म हैं तथा पीछे आये हुए 'क्या' 'पाठ' और 'पैसा' वस्तु बोधक कर्म मुख्य हैं।

द्विकर्मक क्रियाओं के दो कर्मा में से गौण और मुख्य कर्म जानने की विधि यह है कि क्रिया के साथ प्रश्न के लिए 'किसको' और 'क्या' लगाया जाय। 'किसको' के उत्तर में जो आये वह गौण कर्म होगा और 'क्या' के उत्तर में जो आये वह मुख्य कर्म होगा। राम ने किसको क्या दिया' इस वाक्य का उत्तर यही होगा—राम ने भित्तारी को पैसा दिया। भित्तारी 'किसको' का जगह पर आया है इसलिए यह गौण कर्म है और पैसा 'क्या' का जगह पर आया है इसलिए यह मुख्य कर्म है।

गौण कर्म कभी कभी लुप्त भी रहता है। जैसे—आज पड़ितना ने महाभारत की कथा सुनाई।

अपूर्ण क्रियाएँ

उई अकर्मक क्रियाएँ ऐसी हैं जिनका आशय केवल कता से पूरा नहीं होता। उनके अर्थ को पूरा करने के लिए किसी और शब्द की आवश्यकता रहती है। ऐसी क्रियाएँ अपूर्ण अकर्मक क्रियाएँ कहलाती हैं जैसे—होना, रहना, बनना, निकलना, ठहरना, कहलाना। यह (मूर्ख) है, वह (वीमार) रहता है मेरे आगे तुम (चतुर) बनते हो। इन वाक्यों में कोष्ठ में लिये गये शब्द क्रियाओं के अर्थ को पूरा करने के लिए जोड़े गये हैं, इनके बिना अर्थ पूरा नहीं होता। अतः इन वाक्यों की क्रियाएँ अपूर्ण क्रियाएँ हैं।

इसी प्रकार कुछ एक सकर्मक क्रियाएँ भी ऐसी हैं जिनका आशय कर्म के रहते हुए भी पूरा नहीं होता। कोई शब्द अर्थ की पूर्ति के लिए उनके साथ जोड़ना ही पड़ता है। ऐसी क्रियाएँ अपूर्ण सकर्मक कहलाती हैं, जैसे—करना, बनावना, समझना, मानना आदि। जैसे—अपने बलिदान से उसने कुल का नाम (उज्ज्वल) फर दिया। राम ने विभीषण को (लकापति) बना दिया। मैंने, तो उन्हें (दिवता ही) समझा।

इन अपूर्ण क्रियाओं के आशय की पूर्ति के लिए जिन जिन शब्दों (जो सहा या विशेषण ही होते हैं) की आवश्यकता पड़ती है उन्हें 'पूरक' (complement) कहते हैं। ऊपर लिखे उदाहरणों में कोष्ठ के अन्तर्गत शब्द 'पूरक' हैं।

जब इन क्रियाओं का आशय पूरक के बिना भी पूरा होता है तो ये पूर्णक्रिया (अकर्मक वा सकर्मक) कहलाती हैं। जैसे—ईश्वर है, वह सदा वन में रहता है, हमारे आश्रम में प्रातःकाल एक तरकारी और सायंकाल केवल दाल बनती है, मैंने यह ग्रन्थ बनाया है।

यौगिक धातु

व्युत्पत्ति (बनावट) के विचार से धातुओं के दो भेद हैं—
१ मूलधातु, २ यौगिक धातु।

मूल धातु वे हैं जो किसी दूसरे शब्द से न बने हों।
जैसे—कर (ना), बैठ (ना), चल (ना), पढ़ (ना), आदि।

यौगिक धातु वे हैं जो दूसरे शब्दों से बनाये जाते हैं। ये तीन तरह से बनते हैं। १ धातु में प्रत्यय जोड़ने से सकर्मक

तथा प्रेरणार्थक धातु बनते हैं, जैसे—गिरना से गिराना या गिरवाना । २ सहा या विशेषण आदि दूसरे शब्द-भेदों में प्रत्यय जोड़ने से नाम-धातु बनते हैं, जैसे—धिककार से धिक्कारना, अपना से अपनाना । ३ संयुक्त क्रियाएँ दो या तीन धातुओं के मिलने से बनती हैं, जैसे—कर सकना, खा चुकना ।

१. प्रेरणार्थक क्रियाएँ

जिन क्रियाओं से यह जान पड़े कि कर्ता कार्य को आप न करके किसी दूसरे को उमके करने की प्रेरणा करता है वे प्रेरणार्थक क्रियाएँ (Causal Verbs) कहलाती हैं । जैसे—'मोहन मुनीम से चिट्ठी लिखवाता है', इस वाक्य में 'लिखवाता है' क्रिया से यह जान पड़ता है कि मोहन आप चिट्ठी न लिखकर मुनीम को चिट्ठी लिखने की प्रेरणा करता है, इसलिए 'लिखवाता है' प्रेरणार्थक क्रिया है । प्रेरणा करने वाले को 'प्रेरक कर्ता' और जिमको प्रेरणा की जाती है उसे 'प्रेरित कर्ता' कहते हैं । ऊपर के वाक्य में 'मोहन' मुख्य या प्रेरक कर्ता है । और 'मुनीम' गौण या प्रेरित कर्ता है । प्रेरित कर्ता करण कारक में प्रयुक्त होता है ।

आना, जाना, पाना, रुचना, होना आदि क्रियाओं को छोड़ कर शेष क्रियाओं से दो-दो प्रकार की प्रेरणार्थक क्रियाएँ बनती हैं, जिनमें पहले प्रकार की क्रियाएँ बहुधा सक्मक क्रिया ही के अर्थ में आती हैं, उनमें स्पष्ट प्रेरणा नहीं पाई जाती, पर दूसरी प्रकार की क्रियाओं से प्रेरणा

खाना खिलाना खिलवाना सुनना सुनाना सुनवाना
 सोना सुलाना सुलवाना कहना कहाना कहलवाना
 जागना जगाना जगवाना गिरना गिराना गिरवाना

मूल में जो क्रियाएँ अकर्मक होती हैं उनसे क्रमशः सकर्मक और प्रेरणार्थक क्रियाएँ बनती हैं तथा जो क्रियाएँ सकर्मक होती हैं और उनसे क्रमशः द्विकर्मक और प्रेरणार्थक, जैसे—‘घर गिरता है’ इस वाक्य में ‘गिरता है’ क्रिया अकर्मक है, इससे पहली प्रेरणार्थक क्रिया सकर्मक बनेगी, जैसे—कारीगर घर गिराता है, और दूसरी क्रिया वस्तुतः प्रेरणार्थक होगी, जैसे—कारीगर नौकर से घर गिरवाता है। ‘बच्चा दूध पीता है’ इसमें ‘पीता है’ क्रिया सकर्मक है, इसलिए इसमें पहली प्रेरणार्थक क्रिया द्विकर्मक बनेगी, जैसे—माता बच्चे को दूध पिलाती है और दूसरी वस्तुतः प्रेरणार्थक होगी, जैसे—माता धाय से बच्चे को दूध पिलवाती है।

प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के नियम

(१) मूल धातु के अन्त में ‘आ’ जोड़ने से पहली प्रेरणार्थक और ‘वा’ जोड़ने से दूसरी प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। जैसे—

उठना	उठाना	उठवाना
चलना	चलाना	चलवाना
पढ़ना	पढ़ाना	पढ़वाना
बदलना	बदलाना	बदलवाना
समझना	समझाना	समझवाना

दो अक्षरों के धातुओं में ‘ऐ’ और ‘औ’ को छोड़कर अन्य पहला दीर्घ स्वर प्रायः ह्रस्व हो जाता है। जैसे—

जागना	जगाना	जगवाना
काटना	कटाना	कटवाना
भीगना	भिगाना (भिगोना)	भिगवाना
जीतना	जिताना	जितवाना
भूलना	भुलाना	भुलवाना
डुबना	डुबाना (डुबोना)	डुबवाना
लेटना	लिटाना	लिटवाना
छोड़ना	छुड़ाना	छुड़वाना

(-) कुछ एकाक्षर (एक व्यंजन और एक स्वरवाले) धातुओं के अन्त में क्रमशः 'ला' और 'लरा' लगते हैं और दीर्घ स्वर ह्रस्व हो जाता है तथा कुछ एकाक्षर धातुओं से केवल एक प्रेरणार्थक क्रिया बनती है, उनके अन्त में 'ला' की जगह 'वा' लगता है।

सीना	सिलाना	सिलवाना	
पीना	पिलाना	पिलवाना	
देना	दिलाना	दिलवाना	
रोना	रुलाना, रुवाना	रुलवाना	
घोना	धुलाना	धुलवाना	
सोना	सुलाना	सुलवाना	
गाना	गवाना	गवाना	गिदवाना
घूना	घुवाना	ढोना	डुवाना
छूना	छुवाना	धोना	धुवाना

(३) कुछ धातुओं के पहले प्रेरणार्थक रूप 'आ' और 'वा' लगाने से बनते हैं तथा दूसरे प्रेरणार्थक रूप 'दा' और 'ल' लगाने से बनते हैं। जैसे—

कहना	कहाना, कहलाना	कहवाना कहलवाना
------	---------------	----------------

देखना	दिखाना, दिखलाना	दिखवाना, दिखलवाना
सीखना	सिखाना, सिखलाना	सिखवाना, सिखलवाना

(४) कुछ धातुओं के रूप अनियमित होते हैं ।

चुभाना	चुभोना	चुभवाना
भीगना	भिगोना	भिगवाना
खाना	खिलाना खाना	खिलवाना

कुछ एक धातुओं के रूप तो दोनों बनते हैं पर दोनों का अर्थ एक ही होता है । जैसे—

फटना	फटाना	या	फटवाना
सीना	सिलाना	या	सिलवाना
देना	दिलाना	या	दिलवाना

अकर्मक से सकर्मक बनाने के नियम

(१) दो अक्षरों के धातुओं में पहले स्वर को और तीन अक्षरों के धातुओं में दूसरे अक्षर के स्वर को लीधे करने से अकर्मक धातु सकर्मक बन जाते हैं ।

गडना	गाडना	पिसना	पीसना
मरना	मारना	लुटना	लूटना
निकलना	निकालना		

(२) कभी पहले 'इ' को 'ए' और 'उ' को 'ओ' हो जाता है—

दिखना	देखना	गुलना	खोलना
तुलना	तोलना	मुडना	मोडना

(३) कुछ धातुओं के अन्तिम 'ट' को 'ड़' होकर पहले 'अ' को 'आ' और 'उ' या 'ऊ' को 'ओ' हो जाता है । जैसे

फटना

टूटना

फूटना

पड़ना

छोड़ना

फोड़ना

(४) कृ० रूप अनियमित भी होते हैं। जैसे—

मिलना

सीना

टूटना

तोड़ना

रिक्ना

वेचना

कृ० धातुओं का सकर्मक और पहला प्रेरणार्थक रूप अनामलग होते हैं और दोनों में अर्थ का भी अन्तर रहता है। जैसे—

गडना का सकर्मक रूप गाडना और प्रेरणार्थक 'गडना' है। 'गाडना' का अर्थ है पृथ्वी के अन्दर दबाना और गडाना का अर्थ है चुभाना। इसी प्रकार 'दावना' और 'दवाना' के अर्थ में अन्तर है।

२—नामधातु क्रियाएँ

क्रिया को छोड़ अन्य शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से जो धातु बनते हैं, अथवा जो नाम (सज्ञा या विशेषण) ही धातु के समान प्रयुक्त होते हैं, उन्हें नामधातु कहते हैं। नामधातुओं से जो क्रियाएँ बनती हैं उन्हें 'नामधातु क्रियाएँ' कहते हैं।

जो नामधातु प्रत्यय लगाने में बनते हैं उनमें प्रायः 'आ', 'या' और 'ला' प्रत्यय लगाये जाते हैं। उनका पहला स्वर यदि दीर्घ हो तो ह्रस्व हो जाता है। 'या' प्रत्यय पर होने पर शब्द के अन्तिम स्वर को 'इ' हो जाता है।

शब्द

प्रत्यय

नामधातु

क्रिया का सामान्य रूप

नाज

आ

लजा

लजाना

गर्म

आ

गर्मा

गर्माना

हाथ	या	हथिया	हथियाना
वात	या	वतिया	वतियाना
मूठ	ला	मुठला	मुठलाना
दुस	आ	दुसा	दुसाना
विलग	आ	विलगा	विलगाना

कई नाम ही सीधे धातु के समान प्रयुक्त होते हैं—

रग	रँगना	गुजर	गुजरना
गाँठ	गाँठना	दुहरा	दुहराना
दाग	दागना	परीद	परीदना
एर्च	एर्चना	बदल	बदलना

अनुकरणवाचक शब्दों से भी नामधातु बनते हैं, उन्हें अनु-रणधातु भी कहते हैं। जैसे—

छनछन	छनछनाना	टर्	टराना
भिनभिन	भिनभिनाना	एटएट	एटएटाना
बडबड	बडबडाना	थरथर	थरथराना

३—संयुक्त क्रियाएँ

इनका विवेचन क्रिया के रूपान्तर के बाद किया जायगा। क्योंकि क्रिया का रूपान्तर जानने के बाद ही आसान होगा।

सातवाँ अध्याय

क्रियाओं के रूपान्तर

जिस तरह मज्ञा में लिंग, वचन और कारकों के कारण विकार (रूपान्तर) होता है उसी तरह क्रिया में भी काल, प्रकार, वाच्य लिंग, वचन तथा पुरुष के कारण विकार होता है—

कालकृत विकार—मैंन गया, मैं ग्याता हूँ, मैं ग्याऊँगा ।

प्रकारकृत विकार—मोहन ध्यान लगा कर पढता है । मोहन तुम्हें ध्यान रागा कर पढना चाहिए । मोहन तू ध्यान लगाकर पढ ।

वाच्यकृत विकार—मोहन पुस्तक पढता है, मोहन में पुस्तक पढी जाती है ।

लिंगकृत विकार—शेर चरता है, शेरनी चरती है ।

वचनकृत विकार—वह देखता है वे देखते हैं ।

पुरुषकृत विकार—मैं जाता हूँ, तुम जाते हो, वे जाते हैं ।

काल (Tense)

क्रिया के जिस रूप में उभरे होने या करने का समय पाया जाता है, उसे काल कहते हैं । काल के तीन भेद हैं—भूत वर्तमान, और भविष्यत् ।

जिन क्रियाओं का व्यापार अब से पहले समाप्त हो चुका है

अब भी चल रहा है, वे वर्तमान काल की क्रियाएँ कहाती हैं और जिन क्रियाओं का व्यापार अभी शुरू होना है वे भविष्यत् काल की क्रियाएँ कहाती हैं।

भूतकाल (Past Tense)

भूतकाल के छ' भेद हैं, (१) सामान्यभूत, (२) आसन्नभूत, (३) पूर्णभूत, (४) अप्रणभूत, (५) सदिग्धभूत, (६) हतुहतुमद्भूत।

(१) सामान्यभूत—क्रिया के जिस रूप से भूतकाल के किसी विशेष समय का निश्चय नहीं होता उसे सामान्यभूत कहते हैं। जैसे—मोहन ने मेला देखा, मैंने भोजन खाया। इन वाक्यों की क्रियाओं (देखा, खाया) से सामान्यभूत का ज्ञान होता है—अर्थात् यह ज्ञान नहीं होता कि देखने या खाने का व्यापार अभी अभी समाप्त हुआ है या काफी देर पहले का समाप्त हो चुका है।

सामान्यभूत-कारिक क्रिया बनाने की रीति—(क) अकारान्त धातुओं के आगे पुँल्लिग के एक वचन में 'आ' और बहुवचन में 'ए' और स्त्रीलिग के एकवचन में 'ई' और बहुवचन 'ई' लगाते हैं। जैसे —

	एकवचन	बहुवचन
पुँल्लिग	हँसा	हँसे
स्त्रीलिग	हँसी	हँसीं

(ख) आकारान्त और ओकारान्त धातुओं के आगे पुँल्लिग के एकवचन में 'ई' और बहुवचन में 'ये' या 'ए' तथा स्त्रीलिग के एकवचन में 'ई' और बहुवचन में 'ई' जोड़े जाते हैं।

शब्द विचार

खा	{	(पुं०) खाया खाये	रो	{	रोया रोये
		(स्त्री०) खाई खाई			रोई रोई

(ग) ईकारान्त और एकारान्त धातुओं को पुँल्लिंग में इकारान्त करके उनके आगे एप्रचन में 'या' और बहुवचन में 'ये' जोड़ देते हैं। ईकारान्त धातुओं के स्त्रीलिङ्ग के एकप्रचन में कोई परिवर्तन नहीं होता। बहुवचन में केवल अनुस्वार लग जाता है। एकारान्त धातुओं के रूप स्त्रीलिङ्ग में ईकारान्त धातुओं की तरह ही होते हैं—अर्थात् उनके एकप्रचन में 'ई' और बहुवचन में 'ई' जोड़ जाते हैं।

पाँ	{	(पु) पिया पिय	दे	{	(पु०) दिया दिये
		(स्त्री०) पाँ पाँ			(स्त्री०) दी दी

एकारान्त धातुओं में 'से' और 'ने' धातु अपवाद हैं। इनके रूप क्रमशः 'सेया', 'सेई' और 'रोया', 'रोई' बनते हैं।

(घ) ऊकारान्त धातुओं को उकारान्त बनाकर पुँल्लिंग में 'आ' और 'ए' तथा स्त्रीलिङ्ग में 'ई' और 'ई' जोड़ देते हैं।

छ	{	(पुं०)	छुआ	छुए
		(स्त्री०)	छुई	छुई

'जा' 'कर' और 'हो' धातुओं के रूप इस प्रकार होते हैं—

जा	{	(पु) गया गये या गए	कर	{	(पु०) किया किये
		(स्त्री०) गई गई			(स्त्री०) की की
हो	{	(पु०) हुआ हुए			
		(स्त्री०) हुई हुई			

(२) आसन्नभूत—क्रिया के जिस रूप से क्रिया के व्यापार का समय आसन्न (निकट) में ही समाप्त हुआ समझा जाय उसे आसन्नभूत कहते हैं । जैसे—बढ़ गया है, बढ़ सोया है ।

ऐतिहासिक घटना के कहने में बहुत बार पूर्णभूत के बदले आसन्नभूत का प्रयोग होता है । जैसे—अमरीका कोलम्बस ने खोजा है, ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया है । कई वैयाकरण 'पूर्ण वर्तमान' के नाम से इसे वर्तमान कात का भेद मानते हैं ।

आसन्नभूत-कालिक क्रिया बनाने की रीति—सामान्यभूत की क्रियाओं के रूपों के आगे क्रम से नीचे लिगे चिह्न लगाने से आसन्नभूत कालिक क्रिया के रूप बनते हैं ।

पुँल्लिंग तथा स्त्रीलिंग (दोनों में)

	एकवचन	बहुवचन
उत्तम पुरुष	हूँ	है
मध्यम पुरुष	हैं	हो
अन्य पुरुष	है	हैं

पुँल्लिंग

स्त्रीलिंग

	एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
उ० पुरुष	बैठा हूँ	बैठे हैं	बैठी हूँ	बैठी हैं
म० ,,	बैठा है	बैठे हो	बैठी है	बैठी हो
अ० ,,	बैठा है	बैठे हैं	बैठी है	बैठी हैं

(३) पूर्णभूत—क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसके व्यापार को समाप्त हुए बहुत समय गुजर चुका है वह कहलाता है । जैसे—पिया था ।

पूर्णभूत-कालिक क्रिया बनाने की रीति—सामान्यभूत के आगे नीचे लिखे चिह्न लगाने से पूर्णभूत के रूप बनते हैं ।

	पुँल्लिङ्ग		स्त्रीलिङ्ग	
तीनों पुरुषों में	{ था	ये	थी	थीं
	{ जागा	जागे	जागी	जागीं

(४) अपूर्णभूत—क्रिया के जिन रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी पर उसकी समाप्ति का पता न लगे वह अपूर्णभूत कहलाता है । जैसे—

वह पढ रहा था । तू सो रहा था ।

वह पढता था । तू सोता था ।

अपूर्णभूत-कालिक क्रिया बनाने की रीति—धातु के आगे नीचे लिखे चिह्न लगाने से अपूर्णभूत के रूप बन जाते हैं ।

	पुँल्लिङ्ग		स्त्रीलिङ्ग	
तीनों पुरुषों में	एक-एक	बहु-बहु	एक-एक	बहु-बहु
	ता था	ते थे	ती थी	ती थीं
	रहा था	रहें थे	रही थी	रही थीं
	देखता था	देखते थे	देखती थी	देखती थीं
	देख रहा था,	देख रहे थे,	देख रही थी,	देख रही थीं

(५) सन्दिग्धभूत—क्रिया के जिन रूप में भूतकाल तो पाया जाय किन्तु उसके होने में कुछ संदेह हो उसे सन्दिग्धभूत कहते हैं । जैसे—खाया होगा, पिया होगा ।

सन्दिग्धभूत कालिक क्रिया बनाने की रीति—सामान्यभूत के रूपों के आगे क्रमशः नीचे लिखे चिह्न लगाने से सन्दिग्धभूत के रूप बन जाते हैं ।

	पुँल्लिङ्ग		स्त्रीलिङ्ग	
	एकवचन	षट्ठु०	एकव०	षट्ठु०
उ० पु०	हूँगा	होगे	हूँगी	होगी
म० पु०	होगा	होगे	होगी	होगी
ष० पु०	होगा	होगे	होगी	होगी
उ० पु०	उठा हूँगा	उठे होंगे	उठी हूँगी	उठी होगी
म० पु०	उठा होगा	उठे होंगे	उठी होगी	उठी होगी
ष० पु०	उठा होगा	उठे होंगे	उठी होगी	उठी होगी

मध्यम पुरुष में तुम के साथ 'होगे' लगेगा पर आपरे साथ 'होगी'। 'हूँगी' की जगह प्रायः 'होऊँगी' बोला जाता है।

(६) हेतुहेतुमद्भूत—क्रिया के जिस रूप से यह पाया जाय कि कार्य का भूतकाल में होना सम्भव था किंतु किसी कारण से न हो सका उसे हेतुहेतुमद्भूत कहते हैं। जैसे—यदि आप आ जाते तो काम अवश्य हो जाता—अर्थात् आप के न आने के कारण काम नहीं हुआ।

हेतुहेतुमद्भूत-कालिक क्रिया बनाने की रीति—धातु के आगे नोचे लिगे चिह्न लगाने से हेतुहेतुमद्भूतकालिक क्रिया बनती है।

	पुँल्लिङ्ग		स्त्रीलिङ्ग	
तीनों पुरुषों में—	ता	से	ती	तीं
	खाता	खाते	खाती	खातीं

वर्तमान काल (Present tense)

वर्तमान काल के तीन भेद हैं—१ सामान्य वर्तमान, २ सद्भिद्य वर्तमान, ३ अपूर्ण वर्तमान।

(१) सामान्य वर्तमान—क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाय, सामान्य वर्तमान कहाता है। जैसे—यह आता है, वह देखता है।

सामान्य वर्तमान का प्रयोग स्वभाव प्रकट करने और ऐतिहासिक घटनाओं को साधारण रूप से वर्णन करने में भी 'होता' है। पहले प्रकार के वर्तमान को स्वभाव बोधक वर्तमान' कहते हैं, और दूसरे प्रकार के वर्तमान को 'ऐतिहासिक वर्तमान'। (स्वभाव बोधक वर्तमान) जैसे—पृथ्वी घूमती है, पानी नीचे की ओर बहता है। (ऐतिहासिक वर्तमान) जैसे—राजा जनक को निराश देखकर रामचन्द्र जी उठते हैं, धीरे धीरे धनुष के पास जाते हैं और उसे उठा कर त्रिना विसी कष्ट के उस पर चित्ला चढा देते हैं।

सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया बनाने की रीति—हेतुहेतु मद्भूत के आग क्रम से नीचे लिखे चिह्न लगाने से सामान्य वर्तमान के रूप बन जाते हैं।

एकवचन

बहुवचन

३० पु०

हैं

हैं

म० पु०

हो

हो

अ० पु०

हैं

हैं

पुंल्लिङ्ग

स्त्रील्लिङ्ग

एकव०

बहुवचन

एक०

बहु०

३० पु०

हैंसता हैं

हैंसते हैं

हैंसती हैं

हैंसती हैं

म० पु०

हैंसता है

हैंसते हो

हैंसती है

हैंसती हो

अ० पु०

हैंसता है

हैंसते हैं

हैंसती है

हैंसती हैं

(२) सन्दिग्ध वर्तमान—क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान की क्रिया के होने में संदेह पाया जाय सन्दिग्ध वर्तमान कहाता है। जैसे वह खाता होगा, वह जाता होगा।

सन्दिग्ध-वर्तमान-कालिक क्रिया बनाने की रीति—हेतुहेतु-मद्भूत के रूपों के आगे सन्दिग्धभूत के चिह्न लगाने से सन्दिग्ध वर्तमान के रूप बन जाते हैं।

पुँल्लिङ्ग

स्त्रीलिङ्ग

एकवचन

बहु०

एक०

बहु०

उ० पु० खाता हूँगा खाते होंगे खाती हूँगी खाती होंगी

म० पु० खाता होगा खाते होंगे खाती होगी खाती होगी

अ० पु० खाता होगा खाते होंगे खाती होगी खाती होंगी

(३) अपूर्ण वर्तमान—क्रिया का वह रूप जिससे यह मालूम हो कि क्रिया का व्यापार अभी जारी है, अपूर्ण वर्तमान कहाता है। जैसे—वह जा रहा है। मैं खा रहा हूँ।

अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया बनाने की रीति—धातु के आगे नीचे लिखे प्रत्यय जोड़ने से अपूर्ण वर्तमान के रूप बन जाते हैं।

पुँल्लिङ्ग

स्त्रीलिङ्ग

एकव०

बहु०

एकव०

बहु०

उ० पु० रहा हूँ रहे हैं रही हूँ रही हैं

म० पु० रहा है रहे हो रही है रही हो

अ० पु० रहा है रहे हैं रही है रही हैं

भविष्यत् काल (Future tense)

के दो भेद हैं—१ सामान्य

भविष्यत् ।

(१) सामान्य भविष्यत्—क्रिया का वह रूप जिसमें सामान्य रीति पर क्रिया के आगे होने की सूचना मिले सामान्य भविष्यत् कहता है। जैसे—वह पढ़ेगा। वह गेलेगा।

घनाने की रीति—धातु के आगे नीचे लिखे प्रत्यय लगाने पर सामान्य भविष्यत् काल के रूप बनते हैं।

	एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
उ० पु०	उँगा	उँगे	उँगी	उँगी
म० पु०	एगा	ओगे	एगी	ओगी
अ० पु०	एगा	एँगे	एगी	एँगी

आ' 'ई' 'ऊ' या ओ' जिन धातुओं के अन्त में हों उन्के आगे 'ए' और 'ऐ' के बदले विकल्प से 'वे' और 'वें' भी लगाये जाते हैं। जैसे—खाएगा, खावेगा, खोएगा, खोवेगा। आकारान्त धातुओं के आगे 'ए' और 'ऐ' के बदले 'य' और 'यें' तथा इकारान्त धातुओं के आगे 'ये' 'यें' लगाये जाते हैं। जैसे—खाएगा, खायगा, खावेगा, जायेंगे, जायेंगे, जायेंगे। इकारान्त तथा ऊकारान्त धातुओं के बाद 'वे' 'वें' में भिन्न भविष्यत् काल का कोई प्रत्यय हो तो उनका अन्त्य स्वर ह्रस्व हो जाता है। जैसे—पिऊँगा, पिऐँगे, पियेँगे या पीयेँगे। छुऊँगा, छुएँगा, छुयेँगा।

एकारान्त धातुओं के बाद 'ए' 'ऐ' के स्थान में 'रे' 'वें' होजाता है। जैसे—सेवेंगे, सेवेँगे। परन्तु 'दे' और 'ले' धातु के अन्तिम एकार का लोप ही जाता है, इसलिए उनके रूप होने हैं—दूँगा, दूँगा, दोगे लोग।

सभाव्य भविष्यत्—क्रिया के जिस रूप से भविष्यत्

की सभावना पाई जाय वह सभाव्य भविष्यत् कहाता है।

जैसे—शायद आज वह लाहौर आवे।

वनाने की रीति—सामान्य भविष्यत् रूप से 'गा' 'गे' 'गी'

आदि के प्रथक् कर देने से सभाव्य भविष्यत् के रूप बन जाते हैं।

वर्तमान और भविष्यत् कालों में भी हेतुहेतुमद्भूत की भाँति कार्य-कारण का भाव होता है। जैसे—जो सोता है सो प्योता है (वर्तमान), जायगा सो पायगा (भविष्यत्)। इन्हे हेतुहेतुमद् वर्तमान और हेतुहेतुमद् भविष्यत् कह सकते हैं।

२ प्रकार (Mood)

(क्रिया के कई एक रूपों से केवल काता का ही नहा अपितु उसके विधान की रीति का भी ज्ञान होता है। कोई कार्य निश्चित तौर से हो रहा है (राम पढ़ रहा है), किसी के होने में सदेह है (कदाचित् राम पढ़ रहा हो), किसी को करने की आज्ञा दी जाती है (राम, जा, तू पढ़)—इन सब अर्थों को प्रकट करने के लिए कई रीतियों से क्रिया का विधान किया जाता है। इन्हीं विधान की रीतियों को जतलाने वाले क्रिया के रूप क्रिया के 'अर्थ'—या 'प्रकार'—कहलाते हैं।

हिन्दी में क्रियाओं के मुख्य तीन 'अर्थ' या 'प्रकार' होते हैं।

१ निश्चयार्थ, २ सभाव्यार्थ, ३ प्रवर्त्तनार्थ या विध्यर्थ।

निश्चयार्थ—क्रिया के जिम रूप से किसी विधान का

निश्चय सूचित होता है उसे निश्चयार्थ कहते हैं। इसे
माधारण प्रकार' भी कहा जाता है।

सामान्य वर्तमान अपूर्णवर्तमान, सामान्यभूत, आसन्नभूत
पूर्णभूत, अपूर्णभूत तथा सामान्य भविष्यत् की क्रियाएँ इसी प्रकार
की होती हैं। जैसे—राम पढ़ता है, राम पढ़ रहा है, राम पढ़ता
था राम पढ़ रहा था, राम पढ़ेगा।

समावनार्थ—वह रूप जिससे समावना (अर्थात्
अनुमान, इच्छा कर्तव्य या सन्देह) पाई जाय समावनार्थ
कहलाता है। सदिग्ध भूत सदिग्धवर्तमान तथा समाव्य
भविष्यत् के रूप इसी प्रकार के होते हैं। हेतुहेतुमद्भूत की क्रियाएँ
भी इसी रूप के अन्तर्गत हैं। जैसे—(अनुमान) राम अभी तक
यहाँ नहीं पहुँचा कदाचित् वह रास्ते में ही वात करने लग गया
हो। (इच्छा) राम तुम अपनी श्रेणी में प्रथम रहो। (कर्तव्य)
मोहन तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। (सन्देह)
न जान वह अपने घर पर होगा या नहीं? (हेतुहेतुमद्भूत)
यदि वे स्वयं एक बार यहाँ आगये होते तो सब फैसला
हो जाता।

प्रवर्त्तनार्थ या विधर्थ—क्रिया के जिस रूप में प्रवर्त्तना
(किसी काम में प्रवृत्त करना या लगाना पाया जाय)
उमें प्रवर्त्तनार्थ या विधर्थ कहते हैं। आज्ञा, प्रार्थना
ति, प्रश्न, उपदेश आदि को प्रकट करने वाले क्रिया के
इसक अन्तर्गत है। (प्रार्थना) परमात्मन ' दुष्कर्मों से

वचाइये । (प्रश्न) मैं लाहौर चला जाऊँ ? (अनुमति) हाँ जाओ ।
(उपदेश) माता पिता का कहना मानो ।

त्रिधिक्रिया के दो भेद हैं—सामान्य विधि और परोक्ष विधि ।

जिस क्रिया से आज्ञा, प्रार्थना आदि का सामान्य रूप से बोध हो उसे सामान्य विधि क्रिया कहते हैं । जैसे—घर जाओ । महात्मन् ! विराजिए ।

जिस क्रिया से आज्ञा आदि का पालन आगे को (परोक्ष में) हो उसे परोक्ष विधि क्रिया कहते हैं जैसे—बड़े आनन्द में रहना, अपने कुशल का समाचार भेजते रहियेगा । परोक्षविधि की क्रिया भविष्यत् काल की होती है ।

विधि क्रिया बनाने के नियम—

(क) सामान्य विधि क्रिया मध्यम पुरुष एकवचन 'तू' के आगे धातु जोड़ने से बनती है जैसे—तू चल, तू खा ।

(ख) 'तुम' मध्यम पुरुष बहुवचन के आगे धातु के अन्त में 'ओ' जोड़ा जाता है । जैसे—तुम चलो । तुम मत डरो ।

(ग) मध्यम पुरुष 'आपके' सामने धातु के आगे 'इये' प्रत्यय लगाया जाता है—आप सुनिये । आप ठहरिये ।

(घ) प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष विधि के वे ही रूप होते हैं जो सम्भाव्य भविष्यत् के—अर्थात् सामान्य भविष्यत् के रूपों के आगे से 'गा' 'गे' 'गी' हटा देने पर विधि के रूप बन जाते हैं । जैसे—बह करे, मैं जाऊँ ।

परोक्ष विधि में धातु के आगे-ट्यो, ते रहियो ते रहना अथवा रहियेगा लगत है। जैसे—सजा करियो। सेवा करते रहियो। दुदियो में स्कूल का काम करते रहना। आप जग मरे पोछे घर में न्यबाल करते रहियेगा।)

क्रियाओं के कुछ फुटकर रूप

काल तथा प्रकारवृत्त उपरिलिखित रूपों के अतिरिक्त क्रिया के कुछ और फुटकर रूप होते हैं, जैसे—

(१) पूर्वकालिक—जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर तत्पश्चात् ही दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है और पहली क्रिया पर वाक्य समाप्त नहीं होता तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यह धातु के अन्त में 'कर' के अथवा 'करके' लगाने से बनती है। यह अवि कारी क्रिया है। हाथ में पुस्तक लेकर यहाँ आओ। हाथ मुँह दोक खाना खालो। स्नान करके तुम्हारे साथ चलूँगा।

(२) तात्कालिक क्रिया—यह क्रिया भी मुख्य क्रिया के अधीन होती है। इसमें मुख्य क्रिया के साथ होने वाले वाक्य की समाप्ति का बोध होता है। धातु के साथ 'ते' प्रत्यय मिलाकर उसके आगे 'ही' जोड़ने से यह क्रिया बनती है।

यहाँ से जाते ही मैं उससे मिला। खाना खाते ही स्कूल को चल पडा।

(३) अपूर्णक्रियाद्योतक—इससे मुख्य क्रिया के साथ होने वाले व्यापार की अपूर्णता सूचित होती है। इसका रूप भी तोकालिक क्रिया के समान होता है पर साथ में 'ही' -

जुड़ता। मैंने उसे यहाँ आते देखा था। तुम्हें झूठ बोलते शर्म नहीं आती।

(४) पूर्णक्रियाद्योतक—इससे मुख्य क्रिया के साथ होनवाले व्यापार की पूर्णता सूचित होती है। इसमें प्रायः धातु के सामान्यभूत रूप के अन्तिम 'आ' को 'ए' हो जाता है।

भूत के मारे जान निकली जाती है। इस धार्मिक-सम्राट में अपने प्राणों की आहुति देने को हम कम्मर फूसे बैठे हैं।

३. वाच्य

वाच्य क्रिया के उभ रूपान्तर को कहते हैं जिसमें यह जाना जाय कि वाच्य में क्रिया द्वारा किये गये विधान (कही गई बात) का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या केवल भाव (धातु का अर्थ) है।

वाच्य तीन होते हैं—१ कर्तृवाच्य (Active Voice) २ कर्मवाच्य (Passive Voice) ३ भाववाच्य (Impersonal Voice)

कर्तृवाच्य में क्रिया द्वारा किये गये विधान (कही गई बात) का मुख्य विषय कर्ता होता है। कर्मवाच्य में क्रिया के विधान का मुख्य उद्देश्य कर्म तथा भाववाच्य में बात का अर्थ ही मुख्य होता है। जैसे—'राम चिट्ठी लिखता है' इस वाक्य में 'लिखता है' क्रिया का उद्देश्य 'राम' (कर्ता) है, 'राम लिखता है' यही मुख्य वाक्य है, 'चिट्ठी' (कर्म) का वर्णन 'राम ने चिट्ठी लिखी जाती है' इसमें 'लिखी' (कर्म) का वर्णन

जाती है' क्रिया के विधान का निपय चिट्ठी (कर्म) है, 'चिट्ठी लिखी जाती है' यह मुख्य अश है, 'राम से' (कर्ता) गौण है। 'मुझ से बैठो नहीं जाता' इसमें बैठा जाता' यह क्रिया का भाव मुख्य है। अतः पहले वाक्य में 'लिखता है' क्रिया कर्तृवाच्य, दूसरे में लिखी जाती है' क्रिया कर्मवाच्य और तीसरे में 'बैठा जाता' क्रिया भाववाच्य है।

कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। क्रिया का सीधा सम्बन्ध कर्ता से होता है अतएव क्रिया के लिङ्ग और वचन मुख्यतया कर्ता के अनुसार होते हैं।



कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों तरह की क्रियाओं का प्रयोग होता है और कर्ता बिना विभक्ति के होता है अर्थात् उसके साथ 'ने' चिह्न नहा लगता। जैसे—गोविन्द दूध पीता है, लड़के गेंद खेलते हैं, स्त्रियाँ पानी भरती हैं। अपूर्णभूत और हेतुहेतुमद्भूत को छोड़ कर शेष भूतकाल की सकर्मक क्रियाओं में जहाँ कर्म बिना विभक्ति के आता है, क्रिया के लिङ्ग और वचन कर्म के अनुसार होते हैं और जहाँ कर्म विभक्ति सहित होता है वहाँ क्रिया सदा एकवचन पुल्लिङ्ग और अन्य पुरुष में रहती है तथा कर्ता के साथ 'ने' विभक्ति लगती है। जैसे—मोहन ने आम तोड़े। मोहन ने नासपातियों तोड़ीं। मोहन ने राम को हराया। कर्ता के साथ क्रिया के लिङ्ग, वचन के न मिलने पर भी यदि वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो तो कर्तृवाच्य ही होगा।

कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सम्यन्त्र कर्म से होता है। अतएव उसके लिङ्ग और वचन कर्म के अनुसार होते हैं और कर्म निर्विभक्तिक कर्ता कारक के रूप में आता है तथा कर्ता करणकारक में रक्खा जाता है या कर्ता के साथ 'द्वारा' शब्द जोड़ दिया जाता है। जैसे—बच्चे से दूध पिया जाता है, स्त्रियों द्वारा कपड़ सिण जाते हैं। परन्तु जब कर्म के साथ 'को' विभक्ति हो तो क्रिया पुँल्लिङ्ग एकवचन और अन्यपुरुष में रहती है। जैसे—हमको आजकल में बुलाया जायगा। कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रियाओं में होता है अर्थात् इसमें कर्म का होना आवश्यक है।

जानना, भूलना, एोना, आठि कुठ सकर्मक क्रियाएँ बहुधा कर्मवाच्य में नहीं आती।

द्विकर्मक क्रियाओं के कर्मवाच्य में प्रधान कर्म ही क्रिया के विधान का मुख्य विषय बनता है, गौण कर्म ज्यों का त्यों रहता है। जैसे—'माता बच्चे को दूध' पिलाती है वा कर्मवाच्य होगा 'माता से बच्चे को दूध पिलाया जाता है'।

भाववाच्य में भाव (घातु का अर्थ) की प्रधानता होती है, कर्ता या कर्म की नहीं। यह अकर्मक क्रियाओं से ही बनता है और इसमें क्रिया सदा पुँल्लिङ्ग एकवचन और अन्यपुरुष में रहती है। इसका प्रयोग अधिकतर निपेधार्थक वाक्यों में होता है। जैसे—सोया नहीं जाना, गैठा नहीं जाता।

कर्तृवाच्य में कर्मवाच्य और भाववाच्य बनाने की रीति—

कर्तृवाच्य की क्रिया को सामान्यभूत के रूप में लाकर उस के साथ 'काल' 'पुन्प' 'वचन' और 'लिंग' के अनुसार 'जाना' क्रिया के रूप जोड़ने में सकर्मक कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य और अकर्मक कर्तृवाच्य से भाववाच्य क्रिया बन जाती है।

सकर्मक कर्तृवाच्य

कर्मवाच्य

चौकीदार ने चोर को पकड़ा है। चौकीदार से चोर पकड़ा गया है।
हरि ग्रन्थ पढ़ेगा। हरि में ग्रन्थ पढ़ा जायगा।

अकर्मक कर्तृवाच्य

भाववाच्य

मैं नहा उठता मुझसे उठा नहीं जाता।
गाय नहा चलती गाय से चला नहीं जाता।

हिन्दी में कर्मवाच्य क्रिया का उपयोग सर्वत्र नहीं होता, उसका प्रयोग बहुधा नीचे लिखे स्थानों में ही होता है—

(१) जत्र क्रिया का कर्ता अज्ञात हो अथवा उसके व्यक्त करने की आवश्यकता न हो, जैसे—चोर पकड़ा गया है, आज हुकम सुनाया जायगा।

(२) कानूनी भाषा और कागज-पत्रों में प्रभुता जतान के लिए, जैसे—आम जनता को सूचित किया जाता है कि नियम-भंग करने वालों को कड़ा दण्ड दिया जायगा।

(३) अशान्यता के अर्थ में, जैसे—रोगी से अन्न नहीं खाया जाता। हमसे तुम्हारी दुर्दशा न देखी जायगी।

कर्मवाच्य के वचने हिन्दी में बहुधा नीचे लिखी रचनाएँ आती हैं ।

(१) कभी कभी सामान्य वर्तमानकारा की अन्यपुरुष बहुवचन क्रिया का उपयोग कर कर्ता का अध्याहार करते हैं, जैसे—
कहते हैं (कहा जाता है) । सुनते हैं (सुना जाता है) ।

(२) कभी कभी कर्मवाच्य की समानार्थिनी अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है जैसे घर धनता है (बनाया जाता है) । वह टाढ़ाई में मरा (मारा गया) । क्यारी सिंच रही है (सँची जा रही है) ।

(३) कुछ सकर्मक क्रियार्थक मझाओं के अधिकरण कारक के साथ 'आना' क्रिया के विवक्षित काल का उपयोग किया जाता है जैसे—सुनने में आया है (सुना गया है) । देखने में आता है (देखा जाता है) ।

क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष ✓

मझा के समान क्रिया के भी पुँल्लिंग और स्त्रीलिंग ये दो लिंग तथा एकवचन और बहुवचन ये दो वचन होते हैं और सर्पनाम की तरह इसके उत्तम, मध्यम तथा अन्य (या प्रथम) ये तीन पुरुष होते हैं । क्रिया के पुरुष लिंग और वचन कहीं तो कर्ता के अनुसार होते हैं, कहीं कर्म के अनुसार और कहीं इन दोनों में से किसी के अनुसार भी नहीं होते । इस प्रकार क्रियाओं का तीन प्रकार से प्रयोग होता है ।

✓ कर्तरिप्रयोग—जिस में क्रिया के पुरुष, लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं उसे कर्तरिप्रयोग कहते हैं। समस्त कर्तृवाच्य क्रियाओं में कर्तरिप्रयोग नहीं होता। अरु मरु क्रियाओं के सम्पूर्ण कालों में तथा सर्मरु क्रियाओं के अपूर्णभूत और हेतुहेतुमद्भूत—भूतकाल के इन दो भेदों— और वर्तमान तथा भविष्यकाल के इन रूपों में कर्तृवाच्य में कर्तरिप्रयोग ही होता है। इनमें कर्ता निर्विभक्तिरु रहता है। जैसे—राम हैंमा। सीता हैंसी। लड़का बैठा है। लड़के बैठे हैं। लड़कियाँ पढ़ रही थीं। वह सोया होगा। यदि वह आ जाता तो राम अवश्य हो जाता। लड़के प्रार्थना करते हैं। लड़कियाँ पाठ पढ़ती हैं। मैं पाठ पढ़ूँगा। तुम पाठ पढ़ोगे। वह पाठ पढ़ेगा।

✓ कर्मणिप्रयोग—जिसमें क्रिया के लिंग वचन तथा पुरुष कर्म के अनुसार होते हैं उसे कर्मणिप्रयोग कहते हैं।


कर्मणि प्रयोग दो प्रकार के होते हैं। (क) कर्तृवाच्य कर्मणि प्रयोग और (ख) कर्मवाच्य कर्मणिप्रयोग। साधारणतया कर्तृवाच्य की अपूर्णभूत और हेतुहेतुमद्भूत को छोड़ शेष समस्त भूतकालिक क्रियाएँ तथा कर्मवाच्य की सारी क्रियाएँ कर्मणिप्रयोग में आती हैं। कर्मणिप्रयोग में कर्म निर्विभक्तिरु होता है, परन्तु कर्तृवाच्य कर्मणिप्रयोग में कर्ता के साथ 'ने' विभक्ति जुड़ती है तथा कर्मवाच्य कर्मणिप्रयोग में कर्ता कर्मण में होता है पर उमके

साथ 'द्वारा' शब्द जुड़ता है जैसे—(कर्तृवाच्य) राम ने भोजन खाया, मोहन ने पुस्तकें पढ़ी, ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया था, ये कमरे आपने बनवाये हैं लड़कों ने पुस्तकें पढ़ी होंगी। (कर्मवाच्य) यह पत्र राम द्वारा लिखा गया है। ये चिट्ठियाँ राम द्वारा भेजी गई थीं।

३ भावे प्रयोग—जिस क्रिया के लिंग, उचन और पुरुष कर्ता या कर्म के अनुसार नहीं होते, अर्थात् जो सदा अन्य पुरुष पुँल्लिंग तथा एकउचन में रहती है, उसे भावे-प्रयोग कहते हैं। भावे प्रयोग तीन तरह का होता है—

१ कर्तृवाच्य भावे प्रयोग २ कर्मवाच्य भावे प्रयोग ३ भाववाच्य भावे प्रयोग। कर्तृवाच्य भावे प्रयोग के सकर्मक धातुओं में कर्ता और कर्म दोनों सविभक्तिक होते हैं, तथा अकर्मक क्रियाओं में केवल कर्ता ही सविभक्तिक होता है। कर्मवाच्य भावे प्रयोग में कर्म सविभक्तिक होता है, और कर्ता प्रायः लुप्त रहता है। भाववाच्य की समस्त क्रियाएँ भावे प्रयोग में आती हैं। यदि कर्ता की आवश्यकता हो तो उसे करण कारक में रखते हैं। (कर्तृवाच्य) राम ने रावण को मारा, राम ने राक्षसों को मारा। इन वृक्षों को दुष्यन्त ने धोया है। इन वृक्षों को धालकों ने धोया है। (कर्मवाच्य) अँरों दिखलाने के लिए राम को लाहौर भेजा जायगा। (भाववाच्य) यहाँ बैठा नहीं जाता। वाच्य और उनके प्रयोगों को स्पष्ट करने के लिए आगे नमूना दिया जाता है—

क्रिया



भावेप्रयोग कतरिप्रयोग भावप्रयोग कर्मणिप्रयोग भावेप्रयोग
केवल आसन्नभूत, सामान्यभूत, पूर्णभूत, और सद्भिग्भूत
में कर्ता सविभक्तिक होता है शेष में निर्विभक्तिक होता है।

ग्रीलना, बकना, समझना, जनना, पुकारना ये सकर्मक
क्रियाएँ और सजातीय सकर्मक क्रियाएँ अपूर्णभूत और हेतुहेतु
सद्भूत को छोड़ भूतनाल के अन्य भेदों में विस्लप से कर्मणि-
प्रयोग में आती है। लाना, ले जाना, भूलना और नियताबोधक

सकर्मक मयुक्त क्रियाएँ कर्तरिप्रयोग में ही आती हैं ।

नहाना, छीरना क्रियाएँ विकल्प में भावेप्रयोग में आती हैं ।

बोलना—मैं बुढ़ न बोली

मैंने भूढ़ नहीं बोला

नाचना—वह नाच नाची

उसने नाच नाचा

लाना—वर्षा अपूर्व शोभा लाई

नित्यता-बोधक—'मय ग्याल नित्य कान्ह की वसी सुना विचे'

नहाना—हम खूब नहाए

हमने खर नहाया

क्रियाओं की रूपावली (Conjugation of Verbs)

दिग्दर्शन के लिए एक अकर्मक और एक सकर्मक धातु की रूपावली नीचे दी जाती है । इसी के अनुसार दूसरे धातुओं की रूपावली भी समझनी चाहिये ।

अकर्मक 'उठ' धातु कर्तृवाच्य

मामान्यभूत

पुँल्लिग

स्त्रीलिग

एकवचन बहुवचन

एकवचन बहुवचन

उ० मैं उठा हम उठे

मैं उठी हम उठीं

म० तू उठा तुम उठे

तू उठी तुम उठीं

अ० वह उठा वे उठे

वह उठी वे उठीं

कर्म श्रौलिङ्ग (जैसे—जरोरी)

एकवचन मैंने हमने, तूने, तुमने उसने, उन्होंने, खाई ।
 बहुवचन " " " " " खाई ।

आमन्नभूत

कर्म पुँलिङ्ग

एकवचन मैंने हमने, तूने, तुमने, उसने उहोंने, खाया है ।
 बहुवचन " " " " " खाए हैं ।

कर्म स्त्रीलिङ्ग

एकवचन मैंने हमने तूने, तुमने उसने उन्होंने, खाई है ।
 बहुवचन " " " " " खाई हैं ।

पूर्णभूत

कर्म पुँल्लिङ्ग

एकवचन मैंने, हमने, तूने तुमने, उसने, उन्होंने, खाया था ।
 बहुवचन " " " " " खाये थे ।

कर्म स्त्रीलिङ्ग

एकवचन मैंने, हमने तूने तुमने, उसने, उन्होंने, खाई थी ।
 बहुवचन " " " " " खाई थीं ।

अपूर्णभूत

कर्ता पुँलिङ्ग

पुन्य	एकवचन	बहुवचन
उ०	मैं खाता था (खा रहा था)	हम खाते थे (खा रहे थे)
म०	तू खाता था "	तुम खाते थे " "
अ०	वह खाता था "	वे खाते थे "

कर्ता स्त्रीलिंग

पुरुष	एकवचन	बहुवचन
उ०	मैं खाती थी (खा रही थी)	हम खाती थीं (खा रही थीं)
म०	तू खाती थी	तुम खाती थीं
अ०	वह खाती थी	वे खाती थीं

सन्निग्धभूत

कर्म पुँल्लिग

एकवचन	मैंने, हमने	तूने, तुमने, उसने	उन्होंने, खाया होगा।
बहुवचन	" " " "	" " " "	" खाए होंगे।

कर्म स्त्रीलिंग

एकवचन	मैंने, हमने, तूने, तुमने, उसने, उन्होंने,	खाई होगी।
बहुवचन	" " " " " "	" खाई होंगी।

हेतुहेतुमद्भूत

कर्ता पुँल्लिग

कर्ता स्त्रीलिंग

उ०	मैं खाता	हम खाते	मैं खाती	हम खाती।
म०	तू खाता	तुम खाते	तू खाती	तुम खाती।
अ०	वह खाता	वे खाते	वह खाती	वे खाती।

सामान्यवर्तमान

उ०	मैं खाता हूँ	हम खाते हैं	मैं खाती हूँ	हम खाती हूँ।
म०	तू खाता है	तुम खाते हो	तू खाती है	तुम खाती हो।
अ०	वह खाता है	वे खाते हैं	वह खाती है	वे खाती हैं।

सन्धि वर्तमान

कर्ता पुँल्लिग

कर्ता स्त्रीलिग

पुरुष एक०

बहु०

एक०

बहु०

उ० मैं खाता हूँगा हम खाते होंगे मैं खाती हूँगी हम खाती होंगी
 म० तू खाता होगा तुम खाते होंगे तू खाती होगी तुम खाती होगी
 अ० वह खाता होगा वे खाते होंगे वह खाती होगी वे खाती होगी

अपूर्ण वर्तमान

उ० मैं खा रहा हूँ हम खा रहे हैं मैं खा रही हूँ हम खा रही हैं
 म० तू खा रहा है तुम खा रहे हो तू खा रही है तुम खा रही हो
 अ० वह खा रहा है वे खा रहे हैं वह खा रही है वे खा रही हैं

सामान्य भविष्यत्

उ० मैं खाऊँगा हम खाएँगे मैं खाऊँगी हम खाएँगी
 म० तू खायगा तुम खाओगे तू खायगी तुम खाओगी
 अ० वह खायगा वे खाएँगे वह खायगी वे खाएँगी

सम्भान्य भविष्यत्
 (तेनों लिग)

उ० मैं खाऊँ

म०

अ०

उ० मैं

म० तू खा

अ० वह

सकर्मक 'खा' धातु कर्मपाठ्य

सामान्यभूत

कर्म पुँल्लिङ्ग

कर्म स्त्रीलिङ्ग

एकवचन

बहुवचन

एकवचन

बहुवचन

उ० मैं खाया गया	हम खाये गये	मैं खाई गई	हम खाई गई
म० तू खाया गया	तुम खाए गये	तू खाई गई	तुम खाई गई
अ० वह खाया गया	वे खाये गए	वह खाई गई	वे खाई गई

आसन्नभूत

मैं खाया गया हूँ	हम खाए गये हैं	मैं खाई गई हूँ	हम खाई गई हैं
तू खाया गया है	तुम खाये गए हो	तू खाई गई है	तुम खाई गई हो
वह खाया गया है	वे खाये गये हैं	वह खाई गई है	वे खाई गई हैं

पूर्णभूत

कर्म पुँल्लिङ्ग

एकवचन

बहुवचन

उ० मैं खाया गया था	हम खाए गये थे
म० तू खाया गया था	तुम खाये गये थे
अ० वह खाया गया था	वे खाये गये थे

कर्म स्त्रीलिङ्ग

उ० मैं खाई गई थी	हम खाई गई थीं
म० तू खाई गई थी	तुम खाई गई थीं
अ० वह खाई गई थी	वे खाई गई थीं

अपूर्णभूत
कर्म पुँल्लिङ्ग

एकवचन

- उ० मैं खाया जाता था
म० तू खाया जाता था
अ० वह खाया जाता था

बहुवचन

- हम खाये जाते थे
तुम खाये जाते थे
वे खाये जाते थे

कर्म स्त्रीलिङ्ग

- उ० मैं खाई जाती थी
म० तू खाई जाती थी
अ० वह खाई जाती थी

- हम खाई जाती थीं
तुम खाई जाती थीं
वे खाई जाती थीं

मन्दिग्ध भूत
कर्म पुँल्लिङ्ग

- उ० मैं खाया गया हूँगा
म० तू खाया गया होगा
अ० वह खाया गया होगा

- हम खाये गये होंगे
तुम खाये गये होंगे
वे खाये गये होंगे

कर्म स्त्रीलिङ्ग

- उ० मैं खाई गई हूँगी
म० तू खाई गई होगी
अ० वह खाई गई होगी

- हम खाई गई होंगी
तुम खाई गई होगी
वे खाई गई होंगी

हेतुहेतुमद्भूत
कर्म पुँल्लिङ्ग

- उ० मैं खाया जाता
म० तू खाया जाता
अ० वह खाया जाता

- हम खाये जाते
तुम खाये जाते
वे खाये जाते

कर्म स्त्रीलिंग

एकवचन

उ० मैं खाई जाती
म० तू खाई जाती
अ० वह खाई जाती

बहुवचन

हम खाई जातीं
तुम खाई जातीं
वे खाई जातीं

हेतुहतुमद्भूत (पूर्ण)

कर्म पुँल्लिङ्ग

उ० मैं खाया गया होता
म० तू खाया गया होता
अ० वह खाया गया होता

हम खाये गये होते
तुम खाये गये होते
वे खाये गये होते

कर्म स्त्रीलिंग

उ० मैं खाई गई होती
म० तू खाई गई होती
अ० वह खाई गई होती

हम खाई गई होतीं
तुम खाई गई होतीं
वे खाई गई होतीं

सामान्यवर्तमान

कर्म पुँल्लिङ्ग

उ० मैं खाया जाता है
म० तू खाया जाता है
अ० वह खाया जाता है

हम खाये जाते हैं
तुम खाये जाते हो
वे खाये जाते हैं

कर्म स्त्रीलिंग

उ० मैं खाई जाती हूँ
म० तू खाई जाती है
अ० वह खाई जाती है

हम खाई जाती हूँ
तुम खाई जाती हो
वे खाई जाती हूँ

सन्धि वृत्तमान
कर्म पुँल्लिंग

एकवचन

- उ० मैं खाया जाता हूँगा
म० तू खाया जाता होगा
अ० वह खाया जाता होगा

बहुवचन

- हम खाये जाते होंगे
तुम खाये जाते होंगे
वे खाये जाते होंगे

कर्म स्त्रीलिंग

- उ० मैं खाई जाती हूँगी
म० तू खाई जाती होगी
अ० वह खाई जाती होगी

- हम खाई जाती होंगी
तुम खाई जाती होगी
वे खाई जाती होंगी

अपूर्ण वृत्तमान
कर्म पुँल्लिंग

- उ० मैं खाया जा रहा हूँ
म० तू खाया जा रहा है
अ० वह खाया जा रहा है

- हम खाये जा रहे हैं
तुम खाये जा रहे हो
वे खाये जा रहे हैं

कर्म स्त्रीलिंग

- उ० मैं खाई जा रही हूँ
म० तू खाई जा रही है
अ० वह खाई जा रही है

- हम खाई जा रही हैं
तुम खाई जा रही हो
वे खाई जा रही हैं

सामान्य भविष्यत्

कर्म पुँल्लिंग

- उ० मैं खाया जाऊँगा
म० तू खाया जायगा
अ० वह खाया जायगा

- हम खाये जाएँगे
तुम खाये जाओगे
वे खाये जाएँगे

कर्म स्त्रीलिंग

एकवचन

उ० मैं खाई जाऊँगी

म० तू खाई जायगी

अ० वह खाई जायगी

बहुवचन

हम खाई जायँगी

तुम खाई जाओगी

वे खाई जायँगी

सम्भाव्य भविष्यत

कर्म पुल्लिंग

उ० मैं खाया जाऊँ

म० तू खाया जाय

अ० वह खाया जाय

हम खाये जायँ

तुम खाये जाओ

वे खाये जायँ

कर्म स्त्रीलिंग

उ० मैं खाई जाऊँ

म० तू खाई जाय

अ० वह खाई जाय

हम खाई जायँ

तुम खाई जाओ

वे खाई जायँ

संयुक्त क्रियाएँ (Compound Verbs)

दो (कभी कभी तीन) मूल धातुओं के मेल से जब कोई क्रिया बनती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। "मैं भोजन कर चुका" "मैं हाँकी खेल सकता हूँ", इत्यादि वाक्यों में 'कर चुका' और 'खेल सकता हूँ' संयुक्त क्रियाएँ हैं, जो नीचे दिए हुए क्रिया के सामान्य रूपों से बनी हैं। कर चुका—(करना + चुकना), खेल सकता हूँ—(खेलना + सम्ना)।

संयुक्त क्रियाओं में पहली क्रिया प्रायः मुख्य होती है और दूसरी उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देती है। 'मैं हाँकी खेलना हूँ' से पता लगता है कि मैं खेलने का काम कर रहा हूँ।

करता हूँ। 'मैं हॉकी खेल सकता हूँ'—यह प्रकट करता है कि मुझमें हॉकी खेलने का सामर्थ्य है—मुझे खेलना आता है। इस प्रकार 'सकना' क्रिया ने 'खेलना' क्रिया के अर्थ में विशेषता पैदा कर दी है।

भिन्न भिन्न अर्थों में आने वाली कुछ सयुक्त क्रियाएँ तथा उनके बनाने की रीति नीचे दी जाती है।

(क) आरम्भबोधक और अवकाशबोधक—क्रिया के सामान्य रूप के ना' को 'ने' करके आगे 'लगना' और 'देना' या 'पाना' क्रिया लाने से क्रमशः आरम्भबोधक और अवकाशबोधक क्रियाएँ बन जाती हैं। (आरम्भबोधक) जैसे—मैंह रसने लगा। मैं सोने लगा हूँ। (अवकाशबोधक) जैसे—मुझे जाने दो। नहीं तुम जाने न पाओगे।

(ख) समाप्तिबोधक और शक्तिबोधक—धातु के आगे 'चुक्ना' और 'सकना' क्रिया जोड़ने से क्रमशः समाप्तिबोधक और शक्तिबोधक सयुक्त क्रियाएँ बनती हैं। (समाप्तिबोधक) जैसे—भोजन कर चुका। (शक्तिबोधक) जैसे—चल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ।

(ग) विवशताबोधक—क्रिया के सामान्य रूप के आगे 'पड़ना' या 'होना' क्रिया जोड़ने से विवशता प्रकट होती है। जैसे—उसके बचाव के लिए झूठ बोलना होगा या बोलना पड़ेगा, कर्मों का फल भोगना पड़ता है।

(घ) नित्यताबोधक—सामान्यभूतकालिक क्रिया के आगे 'करना' जोड़ने से नित्यता प्रकट होती है। जैसे—कल से मैं आया रहूँगा, वे घूमने जाया करते हैं।

(ड) इच्छाबोधक—क्रिया के साधारण रूप या सामान्यभूत के आगे 'चाहना' क्रिया जोड़ने से इच्छाबोधक सयुक्त क्रिया बनती है। जैसे—मैं आज ही यह काम करना चाहता हूँ या किया चाहता हूँ। क्रिया के सामान्यभूत के रूप के आगे 'चाहना' जोड़ने से व्यापार का तत्काल होना भी प्रकट होता है। जैसे—गाड़ी आया चाहती है। मकान मिरा चाहता है। बादल बरसा चाहते हैं।

(च) तत्कालबोधक और अनुमतिबोधक—सामान्यभूतकालिक क्रिया के अन्तिम स्वर को 'ए' में बदलकर आगे 'देना' या 'डालना' क्रिया लगाने से 'तत्कालबोधक' सयुक्त क्रिया बनती है। जैसे—अभी लिये देता हूँ या लिये डालता हूँ। 'देना' क्रिया के जोड़ने से अनुमतिबोधक क्रिया भी बनती है—मुझे जाने दीजिये।

धातु के साथ 'डालना' जोड़ने से धातु का अर्थ जोरदार हो जाता है। जैसे—खा डालना, तोड़ डालना, मार डालना।

(छ) सातत्य (लगातार रहना) बोधक—हेतुहेतुमद्भूतकालिक क्रिया के आगे, और सामान्यभूतकालिक क्रिया के अन्तिम स्वर को 'ए' में बदल कर उसके आगे 'चलना', 'जाना' और 'रहना' लगाने से सातत्यबोधक सयुक्त क्रियाएँ बनती हैं। जैसे—आगे बढ़ते (बढ़े) चलो। काम करते (किये) जाओ। मैं उससे डरता रहता हूँ। बकते रहो (बके जाओ), मुझे कुछ परवाह नहीं।

(ज) जब दो समान अर्थवाली या समान ध्वनिवाली क्रियाओं का संयोग होता है, तब उन्हें पुनरुक्त सयुक्त क्रियाएँ कहते हैं, जैसे—पढ़ना लिखना, करना धरना, समझना-बुझना।

जो क्रिया केवल यमक (ध्वनि) मिलाने के लिए आती है वह निरर्थक होती है, जैसे—पूछना ताड़ना, होना हवाना ।

पुनरुक्त क्रियाओं में दोनों क्रियाओं का रूपान्तर होता है, परन्तु महायक क्रिया केवल पिछली क्रिया के साथ आती है, जैसे—अपना काम देखो भालो । यह वहाँ आया जाया करता है । मिल जुलकर काम करो ।

(क) संयुक्त क्रियाओं में कभी कभी सहकारी क्रिया के उदन्त के आगे दूसरी सहकारी क्रिया आती है, जिससे तीन अथवा चार धातुओं की भी संयुक्त क्रिया बन जाती है जैसे—इसकी तत्काल सफाई कर लेनी चाहिए । वहाँ वह काम करना पड़ रहा । हम यह पुस्तक उठा ले जा सकते हैं ।

क्रिया का पद-परिचय

क्रिया के पद परिचय में नीचे लिखी बातें होनी चाहिए—
भेद (सकर्मक अथवा अकर्मक) वाच्य, काल, प्रकार, लिङ्ग, वचन, पुरुष, वाक्य में उसका सम्बन्धो शब्द ।

उदाहरण—(१) गाना गाने ही मैंने लिख-भेजा ।

(२) उससे वृत्त सुनकर उसे जेल भेजा जावेगा ।

(३) यदि वे आएँ तो उनसे कहना ।

(४) घपा होती तो कीचड़ हो गया होता ।

गाने ही—क्रिया, सकर्मक, कर्तृवाच्य, तात्कालिक, गाना इसका कर्म है ।

लिख भेजा—संयुक्त क्रिया, सकर्मक, कर्तृवाच्य, सामान्यभूत-काल, निश्चयार्थ, पुँल्लिङ्ग, एकवचन, अन्यपुरुष (कर्मणिप्रयोग) पत्र' शब्दका कर्म है ।

सुनकर—प्रकालित क्रिया, सकर्मक, कर्तृवाच्य, 'वृत्त' इसका कर्म है।

भेजा जावेगा—क्रिया, सकर्मक, कर्मवाच्य, सामान्य भविष्यत्, पुँल्लिङ्ग, अन्यपुरुष, एकवचन, (भावेप्रयोग)।

आएँ—क्रिया अकर्मक, कर्तृवाच्य, सभाव्य भविष्यत्, अन्य पुरुष बहुवचन, 'वे' इसका कर्ता है।

कहना—क्रिया, सकर्मक, कर्तृवाच्य, प्रवर्तना (त्रिधि) परोक्ष, मध्यमपुरुष, एकवचन।

होती—क्रिया, अकर्मक, कर्तृवाच्य, हेतुहेतुमद्भूत, स्त्रीलिङ्ग एकवचन, अन्यपुरुष, 'वर्षा' इसका कर्ता है।

हो गया होता—मयुक्तक्रिया, अकर्मक, कर्तृवाच्य, हेतुहेतुमद्भूत, पुँल्लिङ्ग, एकवचन अन्यपुरुष, 'कीचड' इसका कर्ता है।

अभ्यास

✓ १ क्रिया किसे कहते हैं ? धातु, क्रिया और क्रिया के सामान्य रूप में क्या सम्बन्ध है।

✓ २ क्रिया कर सकर्मक और कब अकर्मक कहलाती है, पुरक किसे कहते हैं ?

३ निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया सकर्मक है या अकर्मक ? यदि कोई पुरक हो तो वह भी बताओ—

(क) मैं बैठता हूँ (ख) प्रश्न ठीक बैठा (ग) मैं वहाँ बिठाऊँगा (घ) मैं भूला (ङ) वह मेरी बात भूल जायगी (च) मैं भगी से छू गया (छ) उसने मेरा वस्त्र छुआ (ज) दान तो वह देता है (झ) भोले बनते हो (ञ) उमे बहुत समझाया पर मैंने उसे दुष्ट पाया।

४ कर्म कितने प्रकार का होता है ? उदाहरण



५ नीचे लिखी क्रियाओं में कौन सा मूत्र, कौन सी सयुक्त और कौन सी नामधातु है ? प्रत्येक के विशेष अर्थ लिख कर उ हें वाक्यों में प्रयुक्त करके दिखाओ—

देखना, देखते रहना, देखा जाना, देखा चाहना, देख बैठना, देख जागा, देख डालना, देख मकाना, देख चुकना, देख भाल करना, दुहराना, उदलना, बदलते रहना, बदल डालना, कर चुकना, ठराना, हथियाना, ग्या सकना, खागा, ग्या जाना, ग्याया जाना, खाते जाना, खा बैठना ।

६ प्रेरणार्थक क्रियाएँ कि-ह कहते हैं ? वे क्यों फर बना जाती हैं ? निम्नलिखित वाक्यों में क्रियाभा का प्रेरणार्थक रूप बनाओ—

(क) म तुम्हें बहुत कुछ दूँगा (ख) नू सोया है (ग) यह जागी है (घ) मेरी लड़की ने तुमसे कह दिया (ङ) वेद मन्त्र पढ़ा । (च) कपड़े सिये जा रहे हैं ।

७ नीचे लिख धातुओं के सक्रमक रूप लिखो—

मर (ना), खुल (ना), रह (ना), दिख (ना), कर (ना), ।

८ वाच्य किसे कहते ह ? वाच्य कितने हैं ? प्रयोग क्या होते हैं ?

९ काल और प्रकार किसे कहते हैं ? इनके भेद और भेदान्तर लिखो ? हर एक का लक्षण और दो दो उदाहरण भी दो ।

१० छोड़ (ना) दे (ना) और सो (ना) धातुओं की रूपायली प्रत्येक वाच्य, काल और प्रकार में लिखो ।

११ नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया का पद परिचय दो—

मेरे लिए कुछ देते तुमको बुरा लगता है । मुझमें चुप नहीं रहा जाता । अगर मैं चाहता तो उसे भेज दिया होता ।

आठवाँ अध्याय

क्रियाविशेषण (Adverb) ✓

अब तक शब्दों के जिन भेदों का वर्णन हुआ है वे विकारी हैं। उनके रूप, लिङ्ग, वचन, पुरुष और वाच्य के कारण बदलते रहते हैं। आगे जिन शब्दों का वर्णन होगा वे अविकारी या अव्यय कहलाते हैं। अर्थात् इन शब्दों का सब लिङ्गों सब विभक्तियों और सब वचनों में एक ही रूप रहता है। इनमें पहला क्रियाविशेषण है। जिसे अव्यय में क्रिया की कोई विशेषता जानी जाय उसे क्रियाविशेषण कहते हैं। जैसे—‘जल्दी चलो’ ‘अभी आओ’ ‘भलीभाँति पहुँच गया’ ‘थोड़ा खाया’ इन वाक्यों में ‘जल्दी’ ‘अभी’ ‘भलीभाँति’ ‘थोड़ा’ ये चारों अपने अपने साथ की क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं, अतः ये क्रियाविशेषण हैं।

क्रियाविशेषणों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द भी क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्योंकि क्रियाविशेषण की विशेषता प्रकट करते हुए परम्परा सम्बन्ध में वे क्रिया की विशेषता ही प्रकट करते हैं। जैसे ‘बहुत थोड़ा खाया’ में ‘बहुत’ और ‘थोड़ा’ दोनों क्रियाविशेषण हैं।

अर्थ को लक्ष्य में रखकर क्रियाविशेषण के चार भेद किये जा सकते हैं—

कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक।

(क) कालवाचक—जिस क्रियाविशेषण से समय अवधि तथा किसी क्रिया के बार बार होने का ज्ञान हो उसे कालवाचक क्रियाविशेषण कहते हैं। जैसे—आज कल, परसों, तरसों, अब, जत्र, कब, तत्र अभी, जभी, कभी, फिर, तुरन्त, पहले पीछे, प्रथम, निदान, आजकल, नित्य, सदा, सनत, निरन्तर, अथ तरु, कभी कभी, अब भी, दिन भर, कब का, बार बार, बहुधा, प्रतिदिन आदि।

(ख) स्थानवाचक—जो विशेषण क्रिया के स्थान और दिशा आदि का बोध कराये वह स्थानवाचक क्रिया-विशेषण कहाता है। जैसे—यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, आगे, पीछे, नीचे, ऊपर, बाहर भीतर, सर्वत्र, साथ, पास, दूर, सामन, इधर, उधर, जिधर, किधर, चारों ओर, आर-पार आदि।

(ग) परिमाणवाचक—क्रिया के परिमाण बताने वाले शब्द परिमाण-वाचक क्रिया-विशेषण कहाते हैं। जैसे—बहुत, अति, अत्यन्त, खूब, कुछ, किंचित्, ज़रा, निपट, धिलकुल, सर्वथा, इतना, उतना, थोडा-थोडा, केवल, पर्याप्त आदि।

(घ) रीति वाचक—जो शब्द क्रिया करने की रीति बताते हैं, वे रीतिवाचक क्रियाविशेषण कहाते हैं। इनकी संख्या बहुत बडी है। जिनका समावेश दूमरे वर्गों में नहीं हो सकता उनका इसी में समावेश होता है। रीतिवाचक विशेषण प्राय नीचे लिखे अर्थों में आते हैं।

प्रकार—धीरे धीरे, अचानक, अनायास, एकाएक, सहसा

सुखपूर्वक, शान्ति से, हँसता हुआ, मन से, घड़ाधड़, भटपट, आप ही आप, शीघ्रता से, ध्यातपूर्वक ।

निश्चय—अशय, ठीक, सचमुच, अलगत्ता, वास्तव में, वेशक ।

अनिश्चय—कदाचित्, शायद, सम्भवत, बहुत करके ।

स्वांश्रुति—हाँ जी, ठीक, सच ।

हेतु—इमलिए, अतएव, क्योंकि, किसलिए, काहे को ।

निषेध—नहीं, मत, न ।

अवधारण—तो, ही ।

क्रियाविशेषण की बनावट

दूर, अचानक, फिर, नहीं आदि क्रियाविशेषण मूल क्रिया-विशेषण हैं । ये किसी दूसरे शब्द में प्रत्यय लगाने से नहीं बने । पर बहुत से क्रियाविशेषण ऐसे हैं जो शब्दों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं । इन्हे यौगिक क्रियाविशेषण कहा जाता है । ये नीचे लिखे शब्द-भेदों से बनते हैं ।

सत्रा से—सत्रेरे, मन से, कमश, रात को, प्रेमपूर्वक, क्षण-मात्र, प्रेमवश नियमानुसार, दिन भर, महीने तक ।

मर्जनाम से—यहाँ, वहाँ, अत्र, वध, तत्र, जव, इधर, उधर, जिधर, किधर, इतना, उतना, जितना, अभी, तभी, ज्यों, त्यों आदि ।

विशेषण से—धीरे, चुपके, पहले, ऐसे, बहुधा आदि ।

क्रिया से—आते-जाते, करते हुए, बैठे हुए, चाहे, सर्दी के मारे इत्यादि ।

अव्ययों के भेद से—यहाँ तक, भट से, ऊपर को ।

शब्दों की द्विरुक्ति से—दिन दिन, हाथों-हाथ, साफ साफ, पक्काएक धीरे-धीरे, जहाँ-जहाँ आदि ।

धीरे धीरे—क्रियाविशेषण, प्रकारवाचक, 'चल रहा था' क्रिया का विशेषण ।

यहाँ—क्रियाविशेषण, स्थानवाचक, 'चल रहा था' क्रिया का विशेषण ।

इतने म—क्रियाविशेषण, कालवाचक, 'निकला' क्रिया का विशेषण ।

फुफफारता हुआ—क्रियाविशेषण, प्रकारवाचक, 'निकला' क्रिया का विशेषण ।

बहुत—क्रियाविशेषण, परिमाणवाचक, 'डर गया' क्रिया का विशेषण ।

अभ्यास

१ क्रियाविशेषण किसे कहते हैं ? इसके कितने भेद हैं ? हर एक के चार चार उदाहरण लिखो ।

२ नीचे लिखे वाक्यों में क्रियाविशेषणों का पद परिचय दो—
जल्दी से काम करना ठीक नहीं । जहाँ ऐसा होता है वहाँ काम खराब हो जाता है । आजकल घोर आन्दोलन चला हुआ है कि सच पूछिये तो कुछ ।

३ क्रियाविशेषण कैसे सहित लिखो । कुछ

नवाँ अध्याय

सम्बन्धबोधक अव्यय (Postpositions)

जो अव्यय सज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ आकर वाक्य के दूरे शब्दों से उसका सम्बन्ध सूचित करते हैं, उन्हें सम्बन्धबोधक अव्यय कहा जाता है। ये अव्यय प्रायः सज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं पर कभी कभी सज्ञा या सर्वनाम से पूर्व भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे—परिश्रम (के) बिना मनुष्य का कुछ नहीं बनता, बिना परिश्रम (के) कुछ नहीं मिलता, मारे दुस्त्र (के) वह व्याकुल था। राजार से स्टेशन तक दो मील है—इन वाक्यों में 'बिना' 'मारे' और 'तक' सम्बन्धबोधक अव्यय हैं।

सम्बन्धबोधक अव्ययों के तीन भेद किये जा सकते हैं—

(क) जिनका प्रयोग नित्य विभक्तियों के साथ होता है—भीतर, समीप, पास, नजदीक, बराबर, पीछे, पहले, आगे, परे आदि। जैसे—घर के भीतर, घर की ओर, घर के निकट, घर के बिना घर के बराबर, घर से आगे, घर से परे।

इन अव्ययों से पहले प्रायः सम्बन्धकारक की विभक्तियाँ (का—के—की, रा—रे—री) आती हैं। कुछ अव्यय ऐसे भी हैं जिनके पहले नित्य ही अपादान की विभक्ति आती है और कुछ ऐसे हैं जिनमें सम्बन्धकारक तथा अपादान दोनों का प्रयोग होता है। जैसे—मैं इन से पहले आया हूँ, उनका घर तुम्हारे मकान से परे है। घर से बाहर, घर के बाहर, तुम से पीछे, मकान के पीछे। मुझ से पहले, उस के पहले।

धीरे धीरे—क्रियाविशेषण, प्रकारवाचक, 'चल रहा था' क्रिया का विशेषण ।

यहाँ—क्रियाविशेषण, स्थानवाचक, 'चल रहा था' क्रिया का विशेषण ।

इतने म—क्रियाविशेषण, कालवाचक, 'निकला' क्रिया का विशेषण ।

फुफकारता हुआ—क्रियाविशेषण, प्रकारवाचक, 'निकला' क्रिया का विशेषण ।

बहुत—क्रियाविशेषण, परिमाणवाचक, 'डर गया' क्रिया का विशेषण ।

अभ्यास

१ क्रियाविशेषण किस कहते हैं ? इसके कितने भेद हैं ? हर एक के चार चार उदाहरण लिखो ।

२ नीचे लिखे वाक्यों में क्रियाविशेषणों का पद परिचय दो—
जल्दी से काम करना ठीक नहीं । जहाँ ऐसा होता है वहाँ काम खराब हो जाता है । आजकल इतना घोर आन्दोलन चला हुआ है कि सच पूछिये तो कुछ सहता ही नहीं ।

३ क्रियाविशेषण कैसे धनते हैं, इसके कुछ नियम उदाहरण सहित लिखो ।

(ए) कुछ अव्यय ऐसे हैं जिनसे पहले विभक्तिरहित मझा ही आता है। जैसे—पर्यन्त, सहित समेत, तक, पर, रहित, हीन सा, मात्र, भर, सरीग्रा—वर्ष पर्यन्त में यहाँ रहूँगा। भरत मरीखा भाई घड़ी कठिनता से मिलता है। दिन भर कुछ नहीं खाया। घर तक जाना कठिन हो गया है।

(ग) कुछ अव्यय एमे हैं जिनके पहले विभक्ति रहित तथा विभक्ति रहित दोनों तरह की मझाएँ आती हैं। जैसे—द्वारा, बिना, योग्य तले अनुसार—गोपाल द्वारा (गोपाल के द्वारा) मुझे यह कार्य मिला। सीता बिना (सीता के बिना) राम और लक्ष्मण का जगल में रहना कठिन था।

मुख्य मुख्य सम्बन्ध-शब्दोंको सूची और उनका प्रयोग नीचे दिया जाता है—

ओर	राम की ओर	आगे	मोहा के आगे
नाई	पण्डित की नाई	पीछे	तुम्हारे पीछे
मामने	राजा के सामने	पहले	उपा के (से) पहले
रहे	दो घड़ी दिन रहे	द्वारा	हरि के द्वारा
ऊपर	दर के ऊपर	समान	उसके समान
नीचे	पेड़ के नीचे	तुल्य	अपि के तुल्य
तले	दीवार के तले	सदृश	तुम्हारे सदृश
भीतर	घर के भीतर	प्रतिकूल	मेरे प्रतिकूल
पाम	रानी के पाम	विरुद्ध	मेरे विरुद्ध
निकट	उसके निकट	मध्य	दोनों के मध्य
समीप	उसके समीप	विषय	उसके विषय में

तक	नो दिन तक	बाहर	घर के बाहर
निमित्त	उसके निमित्त	परे	शक्ति से परे
कारण	मेरे कारण	समेत	पुस्तक समेत

साधारणतः सम्बन्धबोधक शब्दों के पीछे विभक्ति नहीं आती पर कहीं कहीं विभक्ति लग भी जाती है। जैसे—मेरे सामने की बात है, दिवाली के आस पास की खबर है।

कई कालवाचक और स्थानवाचक अव्यय सम्बन्धबोधक और क्रियाविशेषण दोनों होते हैं। जब उनका प्रयोग सज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है तब ये सम्बन्धबोधक अव्यय होते हैं और जब क्रिया को विशेषता प्रकट करते हैं तब क्रियाविशेषण होते हैं। जैसे—यह काम पहले करो (क्रियाविशेषण), यह काम नहाने से पहले करो (सम्बन्धबोधक)। मोहन यहाँ आया था (क्रियाविशेषण) मैंने उसे तुम्हारे यहाँ भेज दिया है (सम्बन्धबोधक)।

सम्बन्धबोधक अव्यय का पद परिचय

इस में केवल सम्बन्धबोधक अव्यय लिखकर वह शब्द बताना होता है जिससे उसका सम्बन्ध हो जैसे—घर के पीछे।

पीछे—सम्बन्धबोधक अव्यय, घर सम्बन्धी पद।

अभ्यास

१ सम्बन्धबोधक अव्यय किसे कहते हैं ? चार ऐसे सम्बन्धबोधक अव्ययों का वाक्यों में प्रयोग करो जो विभक्ति सहित

साथ आए हों और चार ऐसे जो विभक्ति रहित शब्द के साथ आए हों तथा चार ऐसे जिनका दोनों प्रकार से प्रयोग हुआ हो ।

२ नीचे लिखे वाक्यों के खाली स्थानों में उपयुक्त सम्बन्ध बोधक अव्यय लिखो—

आज मेरे—आपकी दावत है । रामचन्द्र जी के—लक्ष्मण जी चौदहवय—वन में रहे ।

वे घर से—निकले ही थे कि पेड़ के—से एक साँप उनकी—आता दिखाई दिया ।



दसवाँ अध्याय

योजक (समुच्चय बोधक) (Conjunctions)

दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाने-वाले अव्यय योजक कहलाते हैं। जैसे—राम और लक्ष्मण दोनों वन को चले। प्रातः काल सैर पर जाना या सन्ध्या करना मेरे यही दो काम हैं। तुम हरिद्वार चले ही हो फिर मैं वहाँ जाऊँ क्या करूँगा। उपरिलिखित वाक्यों में 'और' 'या' तथा 'फिर' क्रमशः दो शब्दों, दो वाक्यांशों तथा दो वाक्यों को मिलाते हैं अतः ये योजक अव्यय हैं।

योजक अव्ययों के तीन मुख्य भेद हैं—१ सयोजक, २ विकल्पबोधक, ३ भेदबोधक।

१ सयोजक—अनेक अर्थों का संयोग (मेल, मग्न, या समुच्चय) प्रकट करनेवाले अव्यय को सयोजक कहते हैं। इनके द्वारा दो शब्दों वाक्यांशों या वाक्यों का मेल प्रकट होता है। मुख्य सयोजक अव्यय ये हैं—और तथा, एवं भी। जैसे— मैं तथा राम दोनों कल दिल्ली जावेंगे और वहाँ से तुम्हारे लिए एक जोड़ा धोती एवं तुम्हारी भाभी के लिए एक जोड़ा साड़ी लेते आरेंगे।

२ विकल्पबोधक—अनेक अर्थों में विकल्प प्रकट करनेवाले अव्यय को विकल्प-बोधक कहते हैं। वा, या

चाहे, अथवा, किंवा, कि, या—या, चाहे—चाहे, क्या—क्या, न—न, न कि, नहा तो, आदि विकल्पबोधक अव्यय हैं। जैसे—
 किसी गाँव या शहर या देश का वर्णन करते समय वहाँ के प्राकृतिक दृश्यों अथवा जनता के रहन सहन किंवा वहाँ की विशेषताओं का वर्णन करना आवश्यक है—नहीं तो वह वर्णन चाहे कितनी ही सुललित भाषा में हो अधूरा ही कहा जायगा।
 अतएव या तो वह वर्णन तुम स्वयं लिखो या अपने भाई से महायता लो और एक ऐसा लेख लिखो जिसमें स्याम देश के क्या प्राकृतिक दृश्य और क्या वहाँ की सभ्यता सब का पूरा वर्णन हो। तुम यह बताओ, तुम यह कर सकोगे कि मैं और किसी को दूँ। न यह स्वयं पढ़ता है और न किसी और को पढ़ने देता है।

३ भेदबोधक—एक बात का दूसरी बात से भेद बतलाने वाले अव्यय को भेद बोधक कहते हैं। ये कई तरह के होते हैं।

(क) विरोधदर्शक—ये अव्यय दो वाक्यों में से पहल का निषेध या परिमिति सूचित करते हैं। पर, परन्तु, किन्तु मगर वरन्, बल्कि इस श्रेणी के हैं। राममोहन दत्त्रि है पर है नेक मैं वहाँ जाने को तैयार था परन्तु तुम्हारे समय पर न पहुँचने के कारण मुझे भी अपना विचार छोड़ना पड़ा। मैं केवल सँपेरा नहीं किन्तु भाषा का कवि भी हूँ। वे तो मान जाँयगे, मगर तुम भी मानो तब न। वह केवल नेक ही नहीं है वरन् उसका आचर

भा जनतामात्र के लिए आदर्श है। वह केवल मिल लगाकर ही काम नहीं करता बल्कि काम जानता भी है।

(द) परिणाम दर्शक पारणवाचक और वञ्च्य सूचक—इसलिए, मो, अत, अतएव, क्योंकि जोनि, इसीलिए कि ताकि आदि इस श्रेणी के अव्यय हैं। वर्षा हुई है अत (इसलिए) आज कोंचड़ होगा। वे मेरा कहता न मानेंगे, अतएव (इसलिए) तुमहीं उनके पास जाओ। क्योंकि वह कल वहाँ समय पर नहीं आया इसलिए मुख्याध्यापक ने उसे निकाल दिया। उसने स्वयं ही त्यागपत्र दे दिया ताकि भगडा न बड़े। हम तुम्हें ही इस काम पर भेजना चाहते हैं ताकि काम पूरी तरह हो जाय। तुम दूसरों को समय पर आने के लिए कह रहे थे मो पहले तुम्हें स्वयं ही समय पर पहुँचना चाहिए।

(ग) मकेनरोधक—यदि—तो जो—तो, यद्यपि—तथापि चाहे—पर, आदि एक साथ आने वाले अव्यय इस श्रेणी के अव्यय कहे जाते हैं।

यदि वह आ गया तो काम बन जायेगा। जो तुम अमृत सर जाना चाहते हो तो ऋतपट तैयार हो जाओ। यद्यपि वह बहुत भी सिफारशें लेकर आया है तथापि उसका काम बनता नहीं दीर्घता। चाहे वह कितनी मेहनत करे पर वह परीक्षा में सफल न होगा।

(घ) स्वरूपवाचक—इन अव्ययों द्वारा पहली धातु का और अधिक स्पष्टीकरण होता है। अर्थात्, याने, मानो, यहाँ तक कि इसी श्रेणी के हैं।

आहा, वह कितनी सुन्दर थी मानो स्वर्ग से उतरी हुई कोई

शब्द विचार

परी हो। उनमें से कोई भी समय पर नहीं पहुँचा, यहाँ तक कि स्वयं मन्त्रो गहोत्य भी १० वजे तक न आए।

योजक का पद-परिचय

योजक के पद परिचय में केवल उनके प्रकार का वर्णन कर उन शब्दा वाक्यांशों या वाक्य-खण्डों का निर्देश करना होता है जिनमें वे मिलाते हैं।

१ यदि वह आ गया तो काम बन जाएगा।

२ आज वर्षा हुई है अतः कीचड़ होगा।

३ मैं और राम कल दियो जायेंगे।

यदि—तो—योजक मन्त्रेतरोधरु, 'वह आ गया' और 'काम बन जाएगा' को मिलाते हैं।

अतः—योजक कारण सूचक, 'वर्षा हुई है' और 'कीचड़ होगा' को मिलाता है।

और—योजक संयोजक, 'मैं' तथा 'राम' को मिलाता है।

अभ्यास

१ योजक किसे कहते हैं? इसके कितने भेद हैं? दो दो उदाहरणों से उनको समझाओ।

२ निम्नलिखित योजकों का अपने वाक्यों में प्रयोग करो—
या, ताकि, इसलिए, क्योंकि, अर्थात्, न—न, मानो।

३ रिक्त स्थानों में योजक जोड़ो—

(क) जान गई—अभिमान न गया।

(ख) भाग जाओ—पकड़े जाओगे।

(ग) सत्य यह है—प्रभु किसी को गरीबी न दे।

(घ) चोरी की—पकड़ा गया।

(ङ) —वह यहाँ चला जाता—यह आपत्ति न जाती।

ग्यारहवाँ अध्याय

द्योतक (विस्मयादिवोधक Interjections)

जिन शब्दों से वक्ता के विस्मय, हर्ष, शोक, लज्जा, ग्लानि आदि मनोभाव प्रकट होते हैं उन्हें द्योतक या विस्मयादिवोधक अव्यय कहते हैं।

भिन्न भिन्न मनोविरारों को सूचित करने के लिए भिन्न भिन्न अव्यय प्रयोग में लाये जाते हैं, जैसे—

हर्षवोधक—अहा ! वाहवा ! धन्य धन्य ! शाश्वत ! इत्यादि ।

शोकवोधक—आह ! वाह ! उह ! हा हा ! बाप रे ! राम ! हा ईश्वर ! त्राहि ! त्राहि !

आश्चर्यवोधक—अहो ! हँ ! ऐं ! ओहो ! क्या ! आदि ।

स्वीकृतियोधक—ठीक ! अच्छा ! हाँ ! जी हाँ !

तिरस्कारवोधक—छि ! हट ! अरे ! दुर ! धिक् ! चुप !

मन्वोधनवोधक—अरे, रे ! अरी, री ! अजी ! ओ !

अनुमोदनवोधक—ठीक ! वाह ! अच्छा ! शाश्वत ! हाँ हाँ ! आदि ।

कई एक महानों, क्रियाएँ, विशेषण और क्रियाविशेषण भी विस्मयादिवोधक हो जाते हैं। जैसे—भगवान अच्छा, लो, हट, चुप, क्यों !

कभी कभी वाक्यांश या वाक्य भी द्योतक हो जाते हैं।
क्यों न हो ! बहुत अच्छा ! सर्वनाश हो गया ॥

अभ्यास

१. निम्नलिखित वाक्यों के प्रत्येक शब्द का परिचय दो ।

भीतर से निकल कर सड़क पर जाते हुए मनुष्य को उ होने चोर समझा और उसे पकड़ने के लिए दौड़े । ज्योही उसको ये आदमी दीखे वह बोल उठा—हाय ! तुरे फसे । अब परमात्मा ही हमें इस भीषण संकट से बचाये ।

२ साथ, यह, हाँ, कुछ, क्या, जो, जागे, भीतर, इनका भिन्न भिन्न शब्द भेदों के रूप में वाक्यों में प्रयोग करो ।

३ तीन ऐसे वाक्य बनाओ जिनसे हय, घृणा और आश्चर्य के भाव प्रकट हों ।

४ हाय, बिन्दू, जोशी, धय । इन अव्ययों का वाक्यों में प्रयोग करो ।

वारहवो अध्याय

शब्दों की व्युत्पत्ति

पिछले अध्यायों में शब्दों के भेदों तथा उनके रूपान्तरों आदि का वर्णन किया गया है। अब आगे यह उतलाया जायगा कि सज्ञा आदि शब्दों के पारस्परिक मेल में अथवा उनके साथ अन्य प्रत्ययों का मेल होने से किस तरह नये शब्द बनते हैं। इस प्रकार शब्द बनाने को शब्द-रचना कहते हैं। बने हुए शब्द के मूल अर्थात् प्रकृति और प्रत्यय के बताने को व्युत्पत्ति कहते हैं।

शब्दों के वर्गीकरण में बताया जा चुका है कि यौगिक तथा योगरूढि शब्द किसी शब्द और शब्दाश के योग से अथवा दो शब्दों के योग से बनते हैं। इस तरह इन शब्दों की उत्पत्ति तीन तरह से कही जा सकती है—१ शब्द के पूर्व शब्दाश के लगाने से, २ शब्द के पीछे शब्दाश के लगाने से, ३ दो शब्दों के मेल से। शब्द के पूर्व जो शब्दाश लगते हैं वे उपसर्ग (Prefixes) कहते हैं, शब्द के पीछे जो शब्दाश लगते हैं वे प्रत्यय (Suffixes) कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक म्वतत्र शब्द बनाते हैं तो इस मेल को समास कहा जाता है। सारांश यह कि नये शब्द उपसर्ग या प्रत्यय के लगाने से अथवा समास द्वारा बनते हैं।

१ उपसर्ग

उपसर्ग वे शब्दाश हैं जो किसी शब्द के आदि में आकर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या

उसके अर्थ को सर्वथा बदल देते हैं। जैसे—जय शब्द का अर्थ है 'जीत', पर यदि उसके आदि में 'परा' जोड़ दिया जाय तो 'परानय' का अर्थ हो जाता है 'हार', जो मूल शब्द के अर्थ से सर्वथा विपरीत है। इसी तरह 'वत्' शब्द से पहले 'प्र' उपसर्ग लगाएँ तो 'प्रवत्' शब्द का अर्थ हो जाता है अधिक बल वाला, पर यदि 'प्र' की जगह 'निर्' उपसर्ग लगा दिया जाय तो 'निर्वत्' शब्द का अर्थ हो जाता है बलरहित (कमजोर)।

हिन्दी में जो उपसर्गयुक्त शब्द मिलते हैं, वे प्रायः संस्कृत के तत्सम शब्द हैं। अन्य शब्दों में भी जो उपसर्ग लगते हैं वे प्रायः संस्कृत उपसर्गों के अपभ्रंश ही हैं। ठेठ हिन्दी में तो एक आधा ही उपसर्ग है। अतः पहले संस्कृत के उपसर्ग, उनके अर्थ तथा उदाहरण लिखे जाते हैं।

संस्कृत के उपसर्ग

अति = अधिक ऊपर—अतिदीर्घ, अतिरिक्त।

अधि = ऊपर, श्रेष्ठ—अधिकार, अध्यक्ष, अधिपति।

अनु = पीछे, समान—अनुज, अनुचर, अनुसूच।

अप = बुरा, निरुद्ध—अपमान, अपकर्ष, अपशब्द।

अभि = ओर, सामने, इच्छा—अभिमुख, अभ्यागत अभिप्राय।

अव = नीचे, हीन—अवगुण, अवतार, अवनति।

आ = तक समेत, उलटा—आजीवन, आकर्षण, आगमन।

उत् = ऊपर, श्रेष्ठ—उत्पत्ति, उत्कर्ष, उत्तम।

उप = समीप, गौण—उपबृल, उपवन, उपनाम।

दुर, दुस् = बुरा, कठिन—दुराचार, दुर्गम, दुस्तर, दुष्कर ।

नि = नीचे, बहुत—निपात, निरोध, निधान ।

निस्, निर् = निषेध—निश्चल, निश्चय निरपराध, निर्गुण, निर्मल ।

परा = पीछे, उलटा—पराजय, पराभव ।

परि = आस पास, सब तरफ, पूर्ण—परिजन, परिक्रमा, परितोष ।

प्र = अधिक, ऊपर—प्रचार, प्रमल, प्रभाव ।

प्रति = विरुद्ध, सामने, हरएक—प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रतिदिन ।

वि = भिन्न विशेष—विदेश, विख्यात, विज्ञान ।

सम् = अच्छा, साथ, पूर्ण—संस्कार, संगम, सन्तोष, सम्मान ।

सु = अच्छा, सहज—सुपुत्र, सुकर्म, सुगम ।

कभी कभी एक ही शब्द के साथ दो-तीन उपसर्ग भी आते हैं, जैसे—निराकरण (निर् + आ + करण), ममालोचना (सम् + आ + लोचना), प्रत्युपकार (प्रति + उप + कार)

इनके अतिरिक्त कुछ संस्कृत के विशेषण और अव्यय भी उपसर्गों की तरह प्रयुक्त होते हैं जैसे—

अ = अभाव निषेध—अधम, अज्ञान, अनीति (म्बरादि शब्दों से पहले 'अ' को 'अन्' हो जाता है, जैसे—अनेक, अनन्त) ।

अधस् = नीचे—अध पतन, अधोगति ।

अन्तर् = भीतर—अन्त पुर, अन्त करण, अन्तर्नाद ।

कु (का) = बुरा—कुकर्म, कुपुत्र, कापुरुष ।

न = अभाव—नास्तिक, नक्षत्र, नपुंसक ।

पुर = सामने—पुरोहित, पुरस्कार, पुरश्चरण ।

पुरा = पहले—पुरातन, पुरातत्व, पुरावृत्त ।

पुनर् = फिर—पुनर्जन्म, पुनरुक्त, पुनर्विवाह ।

बहिर् = बाहर—बहिष्कार, बहिर्द्वार, बहिर्गमन ।

स = सहित—सजीव, सफल, सगोत्र ।

सत् = अच्छा—सजन, सत्पात्र ।

मह = साय—सहचर, सहोदर, महपाठी ।

हिन्दी उपसर्ग

अ अन = अभात्र—अजान, अचेत, अत्रे ।

(हिंदी में 'अन' व्यञ्जन के पूर्व भी आता है,

अनमोल, अनगिनत)

अध (न / अर्ध) = आधा—अवकचरा, अधपक्का, अधसुना ।

औ (स० अत्र) = हीन, नीचे—औगुण औतार, औघट ।

नि (स० निर्) = रहित—निष्कमा निडर ।

भर = पूर्णता—भरपेट, भरपूर भरसक ।

सु, स = अच्छा—सुढील, सुजान, सपूत ।

कु क = बुरा—कुचाली, कुठीर, कपूत ।

उर्दू उपसर्ग

ना, वे, ला = अभाव—नापसन्द, वेचैन, लाचार ।

वा = अनुसार, सहित—वाजाप्रा, वातमीज, वाक्तायदा ।

दर = मे—दरअसल ।

हर = प्रति—हरएक, हररोज, हरघड़ी ।

इसी तरह सुश, बद्, गैर, व आदि उपसर्ग भी हैं ।

२. प्रत्यय

प्रत्यय शब्दों के अन्त में जोड़े जाते हैं । कारक प्रत्यय, क्रिया

प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय आदि कुछ प्रयया का वर्णन पिछले अध्यायों में आ चुका है, इनके अतिरिक्त दो प्रकार के प्रत्यय और हैं—कृतप्रत्यय और तद्धितप्रत्यय ।

धातुओं के अन्त में जिन प्रत्ययों के लगाने से क्रिया को छोड़ कर अन्य शब्द बनते हैं उन्हें कृतप्रत्यय कहते हैं । वे शब्द जो कृतप्रत्यय जोड़ने से बनते हैं कृदन्त कहलाते हैं । जैसे—करना + वाला = करने वाला ।

धातुओं को छोड़ शेष शब्दों के अन्त में जिन प्रत्ययों के लगाने से अन्य शब्द बनते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं । जो शब्द इस प्रकार बनते हैं उन्हें तद्धितान्त कहते हैं । जैसे—लम्बद्वारा ।

इस अध्याय में इन्हीं दो प्रत्ययों का वर्णन होगा ।

कृत प्रत्यय

कृतप्रत्यय पाँच प्रकार के हैं । १ कर्तृवाचक २ कर्मवाचक ३ करणवाचक ४ भाववाचक ५ क्रियावाचक ।

(१) कर्तृवाचक—कर्तृवाचक कृतप्रत्यय वे हैं जिनसे क्रिया (व्यापार) के करने वाले का बोध होता है । जैसे—बाना, हारा, सार, आका इत्यादि ।

कर्तृवाचक कृदन्त बनाने की रीति—

(क) क्रिया के सामान्य रूप के 'ना' को 'ने' करके आगे 'वाला' प्रत्यय लगाया जाता है । जैसे—बोलनेवाला, पढ़नेवाला ।

(ख) क्रिया के सामान्यरूप के 'ना' को 'न' करके आगे 'हार' या 'सार' प्रत्यय लगाये जाते हैं । जैसे—राजनहार, सिरजनहार, मिलनसार ।

(ग) धातु के सामान्यरूप के आगे नीचे लिखे प्रत्यय लगाने पर कर्तृवाचक कृन्त वगैरे हैं। आऊ, आका, आरू, आड़ी, आढ़, ऊ एरा, ऐत, ऐया, ओडा, अर, कड, घैया। जैसे—
टिफाऊ। लडाका। तैराऊ। पिलाड़ी। भागडाळू। कमाऊ।
छुटरा। लडैत। ररैया। भगोड़ा। घालरू। कुदकड। गरैया।

‘वाला’ प्रत्यय हर एक धातु के साथ लग सकता है, पर अन्य प्रत्यय हर एक धातु के साथ नहीं लगते। खास-खास प्रत्यय खास खास धातु के साथ ही लगते हैं। धातु के आदि का दीर्घ स्वर प्रत्यय लगने पर प्रायः ह्रस्व हो जाता है, जैसे—
खिलाड़ी।

(२) कर्मवाचक प्रत्यय वे हैं जिनसे लगकर बनी हुई सज्ञा से कर्म का बोध होता है जैसे—

औना—पिछौना

ना—ओटना

नी—सूँघनी

(२) करणवाचक प्रत्यय वे हैं जिनसे लगकर बनी हुई सज्ञाओं से क्रिया के साधन का बोध होता है।

आ—भूना, ठेला।

ई—फौसी।

अन, ना—बेलन, बेलना।

ऊ—झाड़।

आनी—मथानी।

नी—कतरनी, धौकनी।

(४) भाववाचक प्रत्यय वे हैं जिनसे लगकर बनी हुई सज्ञाओं से भाव (क्रिया के व्यापार) का बोध हो।

ज—चूम लोट, मेल।

आ—फेरा।

आई—लडाई, लिफाई।

आन—उडान मिलान।

आप—मिलाप।

आर—लगाव।

अन—शयन

ति—स्तुति।

आवट—घसावट ।

हट—घबराहट ।

ई—हैंसी, धोनी ।

परा—घसेरा ।

औंती—मनौती ।

(५) क्रियाशोतक—क्रियाशोतक प्रत्यय वे हैं जिनमें क्रियाओं के समान ही भूत या वर्तमान काल के वाचक, विशेषण या अव्यय बनते हैं ।

हेतुहेतुमद्भूत क्रिया के प्रथमपुरुष एकत्रयन के धातु 'हुआ' लगाने में वर्तमान काल का विशेषण और सामान्यभूत क्रिया के प्रथम पुरुष एकत्रयन के आग हुआ' लगाने में भूतकाल का विशेषण बनता है । कभी कभी हुआ नहीं भी लगता । जैसे—(वर्तमानकाल) आना हुआ घोड़ा सोता हुआ मनुष्य, येत हाशा दौड़ता आदमी रास्ते में अंधे मूँह गिर पड़ा । (भूतकाल) गया हुआ बक या गया बक । मरा हुआ मनुष्य या मरा मनुष्य ।

इन्हा अर्थों में संस्कृत के शब्दों में 'त' (क्त) और 'मान' प्रत्यय लगते हैं । कहीं कहीं त का 'न' भी हो जाता है—

युक्त, मुक्त, चलायमान कम्पायमान लग्न भग्न, मग्न, रुग्ण । योग्यता के अर्थ में संस्कृत के य' 'तव्य' और 'अनीय' आदि प्रत्यय भी हिन्दी में प्रयुक्त होते हैं । जैसे—ध्येय, गन्तव्य, विचारणीय ।

अव्यय बनाने के लिए ऊपर के शब्दों के अन्य 'आ' को 'ण' कर दिया जाता है । भूत के मारे जान निकली जाती है । पूर्वकारिक, ता कालिक, अपूर्ण क्रियाशोतक तथा पूर्ण-क्रियाशोतक क्रियाओं में यही शब्द अव्यय प्रयुक्त होते हैं ।

आर, इया, ई, उआ, एरा, वाला, हारा, आदि ।

जैसे—सुनार, लोहार । आढतिया । भडारी, तेली । महुआ सपेरा, कसेरा । घरवाला टोपीवाला । लरुबहारा, पनिहारा ।

(२) भाववाचक प्रत्यय ये हैं—रा, आई, आपा, आस, आयत, इर, ई, औती, डा, त नी, पन हट, क इत्यादि ।

बुलाया । चुराई भलाई । जुढापा सुघडापा । मिठास । बहुतायत । कालिए । गर्मी, सर्नी । वपौती । दुपडा । रगत, सगत । चोँदनी । लडकपन । चिकनाहट । ठडक ।

अ, इमा (इमन) ता त्व य आदि भाववाचक सम्कृत प्रत्यय युक्त शब्द भी हिन्दी में पर्याप्त प्रयुक्त होते हैं, जैसे—शैशव, लाघव, गौरव । लालिमा महिमा । गुम्ता, प्रभुता । गुरत्व, प्रभुत्व । जानस्य, माधुर्य ।

(३) सम्बन्धवाचक प्रत्यय ये हैं—आल, जा एरा, जैसे—ससुराल, ननिहाल, भतीजा, भानजा । ममेरा, फुफेरा ।

संस्कृत के अपत्यवाचक शब्द जिनसे सन्तान का भाव पाया जाता है इसी श्रेणी के अन्दर ममके जा सकते हैं । इनमें आदि स्वर की वृद्धि हो जाती है और शब्द के अन्तिम 'ई' को 'य' तथा 'उ' को 'व' हो जाता है । जैसे—कुन्ती में कौन्तेय, विष्णु से वैष्णव, वनु से दानव, यदु से यादव, कश्यप से काश्यप, गगा से गगैय सुमित्रा से सौमित्र ।

(४) ऊन (ताधुता) वाचक प्रत्यय ये हैं—आ, इया, री, टी, डी, आदि । जैसे—बनुआ । लुटिया, खटिया । कोठरी । लौंगोटी । पगड़ी, पहाड़ी ।

(५) पूर्णवाचक प्रत्यय—ला, रा, था, ठा, बाँ ।

पहला । दूसरा तीमरा । चौथा । छठा । पाँचवाँ, सातवाँ इत्यादि ।

(६) सान्श्यत्राचक प्रत्यय ये हैं—सा, हरा । जैसे—
काला सा सुनहरा ।

(७) गुणत्राचक विशेषण आ इत, ईय, ई, ईला, ऊ, ऐला
लु मान उन्त, वान् इन् आदि प्रत्यय लगाने से बनते हैं ।
जैम—भ्रसा । आनन्दित । अनुकरणीय । धनी, देशी । रँगीला,
सर्जीला । घरू वाजारू । प्रिवैला । दयालु । श्रीमान् मतिमान् ।
कुलउन्त । रूपवान् । सामाजिक, ऐतिहासिक ।

(८) ध्यानत्राचक विशेषण ई, इया चाला, वाल इत्यादि
प्रत्यय लगाने से बनते हैं । जैसे—पजापी, मद्रासी । अमृतसरिया ।
वम्बईवाला । अगरवाल ।

इनके अतिरिक्त उर्दू के निम्नलिखित प्रत्ययो से नने शब्द
भा हिन्दी में बोले जाते हैं—

गर गार, चीं दार, नाक मद, वर पान, वार, मार,
गी, गीन, ।

क्लईगर कारीगर । मन्दगार । खजानची, मशालची ।
जमानार, ताल्लुकनार । दर्दनाक खतरनाक । अक्लमद, फायदे-
मन् । ताकतवर जोरावर । गाडीवान । पैगवार, छम्मीदवार ।
मिलनमार खाकसार । सादगी, मर्गनगी, चिन्दरी । गमगीन ।

अभ्यास

- ✓ १ उपसर्ग और प्रत्यय में क्या भेद है ?
- ✓ २ उदाहरण देकर स्पष्ट करो कि उपसर्ग के लगने से शब्दों
का अर्थ में अन्तर पड़ जाता है ।
- ✓ ३ उद्प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में क्या अन्तर है ?

४ कृ-प्रत्यय कितनी तरह के होते हैं, प्रत्येक के दो दो उदाहरण दो ।

५ तद्धित प्रत्यय मुख्यतया कितनी तरह के हैं ?

✓ ६ आगे लिखे शब्दों में किस अर्थ में कौन सा प्रत्यय है—
सिलाड़ी, हँसी, तेली, लम्बाट, कड़वाहट, लड़कपन, टटिया,
सटिया, दूसरा, गबैया, शगड़ा, झाड़ू ।

✓ ७ आगे लिखे शब्दों में कौन कौन से उपसर्ग हैं किन अर्थ में हैं—
पराभव, सपृत, प्रणाम, उद्गम, खुगन, कुठार, आदान ।

८ निम्नलिखित शब्दों की व्युत्पत्ति लिखो—
सुशिक्षित, भूखा, रंगीला, अनुकरण, अव्यय, निर्मल, तैराक, गबैया, मारपीट, सुनार,
लक्षार, दैनिक, सौन्दर्य ।

९ विशेषण तथा सहा बनाने के प्रत्यय जौटो ।



तेरहवाँ अध्याय

तत्सम और तद्भव शब्द

हिन्दी भाषा में तीन प्रकार के शब्द मुख्यतया पाये जाते हैं ।

(१) तत्सम—जो संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों हिन्दी में प्रयुक्त होते हैं । जैसे—लक्ष्मी, रूप, सुन्दर । (२) तद्भव—जो संस्कृत शब्दों के बिगड़े हुए रूप हैं । जैसे—अनाड़ी (अनार्य) ऊँट (उष्ट्र) पार (क्षार) । (३) देशज—जो संस्कृत शब्दों से नहीं बने, अपितु प्राचीन बोलियों से अथवा आशयकृतानुसार बना लिये गये हैं—जैसे—पेट, गाड़ी, पिछा । इनके अतिरिक्त विदेशी शब्द अर्थात् अंगरेजी फारसी आदि भाषाओं के कई शब्द भी हिन्दी में तत्सम अथवा बिगड़े हुए रूप में प्रयुक्त होते हैं । जैसे—स्कूल, स्टेज, लालटेन । यहाँ कुछ तद्भव शब्दों की सूची दी जाती है ।

अपभ्रंश	शुद्ध संस्कृत	अपभ्रंश	शुद्ध संस्कृत
अजान	अज्ञ	आज	अद्य
अंधा	अंध	आधा	अर्ध
अपजस	अपयश	आस	आशा
अच्छत	अक्षत	आसरा	आश्रय
आग	अग्नि	आम	आम्र
आँसू	अश्रु	तिय	स्त्री
उल्लूक	उल्लूक	तिरिया	
उछाह	उत्साह	थल	स्थल

अपभ्रंश	उत्तर मर्यादा	अपभ्रंश	उत्तर मर्यादा
आठ	अष्ट	थन	गन
फियाड़	फपाट	दही	धि
बुन्हाड़ी	बुठार	नीया	नीपय
बुआँ	बूप	धुआँ	धूस
काठ	काठ	नृ	लक्षण
कायर	काउर	पत्ता पा	पत्र
दूध	दुग्ध	गाभिया	गभिणी
गददा	गदभ	पत्यर	प्रस्तर
पूरा	पूर्ण	पूत	पुत्र
घर	गृह	पिय	पिय
पी	पृथ	यष्ट	यधू
चौद	चन्द्र	यहिया	भगिनी
चून, चूरन	चूर्ण	व्याह	वियाह
छोट	दोभ	भाई	भ्राता
जस	यश	माथा	मस्तक
जीभ	जिह्वा	मीत	मित्र
प्रौठ	षोष्ठ	मूरत	मूर्ति
जेठा	ज्येष्ठ	रूप्या	रुक्ष
तुरत, तुरन्त	त्वरित	रिम	रोप
सौरला	श्यामल	सौ	शत
सेत	मित, श्वेत	सौत	सपत्नी

नपुंसक	गुण शकृत	अपभ्रंश	गुण शकृत
मन	शय्या	सीरा	शिखा
सुहाग	सौभाग्य	सदाताग	शुभलक्षण
माई	स्वामी	दाथ	हस्त
सच	सत्य	द्विय	द्वय
सपना	स्वप्न		

य शब्द प्रायः त सम और तद्भव दोनों ही रूपों में लेखकों द्वारा प्रयोग में लाये जाते हैं । पर कई शब्दों के तद्भव रूप केवल प्रज और अवधी में ही प्रयुक्त होते हैं । जैसे कि तुलसीदास रामायण में निम्नलिखित तद्भव शब्द लिखे हैं ये प्रायः आधुनिक हिन्दी में प्रयुक्त नहीं होते —

भुवन (भुवन) भेड (भेद), नाऊँ (नाम), ममड (समय), जोति (ज्योति), तोयन (लोचन), सीन (सीमा), सुतत्र (स्वतंत्र), दद (दश), अपटारा (अपसरा) सचिब (सचिव), पसु (पशु), बेम (धेम) धरम (धर्म), जनम (जन्म), नाह (नाथ), जूहा (युध), नेह (द्रोह), सामुहें (सम्मुख), नेह (स्नेह), धिर (स्थिर) ।

चौदहवाँ अध्याय

समास

परस्पर सम्बन्ध रखनेवाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब कोई स्वतन्त्र शब्द बनाते हैं तो उस मेल को समास कहा जाता है और इस प्रकार मिले हुए शब्दों को समस्त अथवा सामामिक शब्द । समस्त शब्दों के बीच के विभक्ति-प्रथयों का और सम्बन्ध बताने वाले शब्दों का श्लेष होजाता है । जैसे—धन का मद=धनमद । घोड़े का सवार=घुडसवार । काठ की पुतली=कठपुतली । चन्द्र मा मुख=चन्द्रमुख ।

समास होने पर कई शब्दों में कुछ विकार भी हो जाता है । जैसे—घुडसवार में 'घोड़े' का 'घुड़' और कठपुतली में 'काठ' का 'कठ' हो गया है ।

उपसर्ग और प्रत्ययों के योग से जो नये शब्द बनते हैं उनमें शब्द और शब्दांश का मेल होता है, परन्तु समास में दो शब्दों के परस्पर मेल से नये शब्द बनते हैं । समस्त शब्द जिन शब्दों के मेल से बनता है वे शब्द उसके एण्ड कहते हैं । समस्त शब्दों के एण्डों को अलग अलग अपनी अपनी विभक्तियों के रूप में रखकर उनके आपस के सम्बन्ध को स्पष्ट करने की रीति को विग्रह कहते हैं । जैसे—'रात दिन' समस्त शब्द का विग्रह है, रात और दिन ।

समानाधिकरण तत्पुरुष या कर्मधारय

जिस में विशेष्य, विशेषण या उपमान तथा उपमेय का मेल हो और विग्रह करने पर दोनों पदों में एक कर्ता कारक की विभक्ति ही रहे, उसे कर्मधारय समास कहते हैं; जैसे—नीलकमल = नीला कमल, यहाँ नीला विशेषण और कमल विशेष्य है तथा उत्तर पद कमल प्रधान है। घनश्याम = घन (गढ़ल) जैसा श्याम (काला)। भवसागर = भवरूपी सागर। विद्याधन = विद्यारूपी धन। क्रोधाग्नि = क्रोधरूपी अग्नि। आशानदी = आशारूपी नदी। हिन्दी में कर्मधारय समास के बहुत कम उदाहरण मिलते हैं।

जिस 'कर्मधारय' समास में पहले शब्द का दूसरे शब्द से सम्बन्ध बताने वाले बीच के विशेषण का लोप हो जाता है। उस 'मध्यमपद लोपी' समास कहते हैं। जैसे—घृतान्न (घृत मिश्रित अन्न), दहीबडा (दही में डूबा हुआ बडा)।

द्विगु

जिस कर्मधारय समास में पहला पद सख्यावाचक विशेषण हो और जिसमें किसी समुदाय का बोध हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इसके पूर्व पद में सख्यावाचक विशेषण होने के कारण इसे सख्यावाचक कर्मधारय भी कहा जाता है, जैसे—त्रिभुवन, (तीन भुवनों का समूह), चौमासा (चार मासों का समूह)। सतसई, दोपहर, पसेरी आदि में भी द्विगु समास है।

द्वन्द्व

जिस समास में सब खण्ड प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर जिस में 'और' या 'अथवा' लगता है उसे द्वन्द्व समास कहते हैं। जैसे 'धर्माधर्म' = धर्म और अधर्म। पापपुण्य = पाप अथवा पुण्य। इस समास में अल्प स्वर वाला शब्द और स्त्रीलिङ्ग शब्द प्रायः पहले आते हैं। जैसे—राम-लक्ष्मण, सीताराम।

द्वन्द्वसमास में बने ममस्त शब्दों का लिङ्ग साधारणतया अन्तिम खण्ड के अनुसार होता है पर यदि पूर्वखण्ड प्रधान या श्रेष्ठ का वाचक हो तो उसी के अनुसार लिङ्ग हो जाता है, जैसे—दालरोटी खाई, राजारानी आण।

द्वन्द्वसमास में एक से अधिक शब्द जुड़ते हैं, अतः इसका प्रयोग बहुवचन में होना चाहिए, पर हिन्दी में कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदा एवमवचन में ही प्रयुक्त होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो बहुवचन में, जैसे—(एकवचन) दालरोटी खाई। (बहुवचन) माता पितृ आये, राम लक्ष्मण कहते थे। परन्तु विभक्ति परे होने पर बहुवचन का चिह्न 'ओं' नहीं लगता जैसे—राम-लक्ष्मणों (राम लक्ष्मणों नहीं) ने वन की ओर प्रस्थान किया। परन्तु जन समस्त होनेवाले शब्द बहुत व्यक्तियों या पदार्थों के लिए आते हैं तब विभक्ति परे होने पर भी बहुवचन के चिह्न 'ओं' 'ए' आदि आते हैं जैसे—धनी मानियों ने, सेठ साहूकारों से कभी कभी तो बहुवचन सूचक विकार प्रत्येक खण्ड के साथ आया जाता है, जैसे—आपके कितने लडके-लडकियाँ हैं ?

बहुव्रीहि

जिम समास में कोई पद भी प्रधान नहीं होता वह क्रमिक समस्त शब्द अपने पदों से भिन्न क्रिमी सज्ञा का विशेषण होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे—

दशकन्धर = दश हैं कन्धर (गरदन सिर) जिसके यह रायण का विशेषण है। अनन्त = नहीं है अन्त जिसका, ईश्वर का विशेषण है। हिन्दी में इस समास के विग्रह में 'वाला' का प्रयोग होता है, जैसे— तोरगा = तो रगोंवाला। अलोना = नहीं है लोन जिसमें, न तोनवाला।

कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में यह अन्तर है कि कर्मधारय में समस्तपद का पहला खण्ड दूसरे खण्ड का विशेषण होता है पर बहुव्रीहि समास में सारा समस्त पद अपने पदों से भिन्न किसी अन्य पद का विशेषण होता है।

वह समस्त शब्द अर्थ भेद से अनेक समासों से सम्बन्ध रखते हैं। जैसे—

मृगलोचन—मृग के लोचन (सम्बन्ध तत्पुरुष)।

मृगलोचन—मृग के समान लोचनों वाला (बहुव्रीहि)।

उभयाम

१ समास किसे कहते हैं और विग्रह किसे ?

२ हिन्दी में समास के कितने भेद हैं ? प्रत्येक का लक्षण और तीन-तीन उदाहरण लिखो।

३ तत्पुरुष और कर्मधारय में और कर्मधारय और द्विगु में क्या भेद है इसकी उदाहरण द्वारा समझाओ।

४ नीचे लिखे समस्त शब्दों का विग्रह करो — रात्रिपुरुष, दण्ड
 भय, यवहारकुशल, दशानन, कनकटा, सचशुद्ध, भलमानस,
 मुकेशी, पवित्रकीर्ति, मार्गयय, महाराजा, अपुत्र, वारहसिंहा,
 चतुर्भुज, रङ्गरोमा, निर्धन, पतशङ्क, सटसाहकार, त्रिलोकी,
 नरनारी, दालभात, अटनी, गोबरगणेश, मुखचन्द्र, चन्द्रमुख,
 वाचस्पति, मगसिन, चिड़ामर, ग्रथकार, कनफोड़ा, गङ्गाजिन्,
 अमृतधारा, रसोईघर, ईन्दरदत्त, रूपद्वान, कृष्णार्पण, पदच्युत,
 कामचार, पुष्पात्तम, फलफूल, मृगचञ्चन, नरेश, परमात्मा ।
 उक्त शब्दों में जो समास हुए हैं, उनके नाम भी लिखो ।



पन्द्रहवाँ अध्याय

सन्धि

दो अक्षरों के पास-पास होने के कारण मिल जाने से जो विकार होता है, उसे 'सन्धि' कहते हैं। जैसे—
राम+अवतार=रामावतार। इस में राम का अन्त्य 'अ' और अवतार का पहला 'अ' मिलकर (दीर्घ) 'आ' हो गए हैं। इस परिवर्तन को सन्धि कहते हैं।

सयोग और सन्धि में यह अन्तर है कि सयोग होने पर अक्षर बदलते नहीं पर सन्धि में उच्चारण के नियमानुसार एक या दोनों अक्षरों में परिवर्तन हो जाता है। कभी उनकी जगह उन से भिन्न कोई तीसरा अक्षर भी आ जाता है। इसके अतिरिक्त सयोग केवल व्यञ्जनों में ही होता है पर सन्धि स्वर और व्यञ्जन दोनों में होती है।

[सन्धि का विषय सस्कृत से सम्बन्ध रखता है। सस्कृत में सन्धि के बहुत से नियम हैं। यहाँ केवल वे ही नियम दिये जायेंगे जो हिन्दी में विशेष रूप से प्रयुक्त होने वाले सस्कृत शब्दों की घनावट समझने के लिए आवश्यक हैं]।

सन्धि तीन प्रकार की है—(१) स्वर सन्धि (२) व्यञ्जन सन्धि (३) विसर्ग सन्धि।

१ स्वरमन्धि

दो मयों के पाम पाप आ जाने से जो मन्धि होती उमे स्वर मधि कहते हैं। स्वर मधि के नियम नीचे लिखे हैं—

(क) यदि दो सवर्ण (सजातीय) म्बर पाम पास आवें तो जो के उल्ल मवर्ण दीर्घ स्वर हो जाता है अर्थात् हुस्व या दास्य, इ, उ म परे यदि हुस्व वा दीर्घ अ, इ, उ हों तो दोनों के धान में वही दीर्घ स्वर हो जाता है। इसे दीर्घ मधि कहते हैं। जैसे—

अ या आ + अ वा आ = आ—परम + अर्थ = परमाथ
रत्न + आकर = रत्नाकर, विद्या + अभ्यास = विद्याभ्यास, विद्या + आताय = विद्याताय ।

इ या ई + इ या ई = ई—कवि + इन्द्र = कवीन्द्र, कवि + ईश्वर = कवीश्वर, मही + इन्द्र = महीन्द्र, लक्ष्मी + ईश = लक्ष्मीश

उ या ऊ + उ या ऊ = ऊ—गुरु + उपदेश = गुरूपदेश सिन्धु + ऊर्मि = सिन्धूर्मि यधू + उत्सव = वधूत्सव ।

(ख) यदि अ या आ के आगे इ या ई हो तो दोनों को मिलकर ए उ या ऊ हो तो दोनों को मिलकर ओ, और ऋ हो तो दोनों को मिलकर अर् हो जाता है। इस विचार को गुण सधि कहते हैं। जैसे—देव + इन्द्र = देवेन्द्र, सुर + ईश = सुरेश महा-इन्द्र = महेन्द्र, रमा + ईश = रमेश, चन्द्र + उत्सव = चन्द्रोत्सव महा + उत्सव = महोत्सव सप्त + ऋषि = सप्तर्षि, महा + ऋषि = महर्षि ।

(ग) अ या आ के आगे ए या ँ हो तो दोनों को मिलकर ऐ और ओ या औ हो तो दोनों को मिलकर औ हो जाता है। इस विचार को वृद्धि सन्धि कहते हैं। जैसे—मत + ऐस्य = मत्स्य, एक + एरु = एकैरु, मदा + एरु = सदैव, महा + ऐशर्य = महैशर्य, वन + ओपधि = वनोपधि महा + औपधि = महौपधि।

(घ) इ, ई, उ, ऊ या ऋ के आगे कोई असवर्ण स्वर आवे तो इ, ई के स्थान म् य् उ, ऊ के स्थान मे व् और ऋ के स्थान र् होता है। इसे यण् सन्धि कहते हैं जैसे—यदि + अपि = यद्यपि, अति + आचार = अत्याचार इति + आदि = इत्यादि, अभि + उच्य = अभ्युच्य, नि + ऊ = न्यून, प्रति + एरु = प्रत्येरु, नगी + अर्पण = नद्यर्पण, उपरि + उक्त = उपर्युक्त, सु + आगत = स्वागत, अनु + एपण = अन्वेपण।

(ङ) ए, ओ, ऐ, औ से परे यदि कोई स्वर हो तो ए को अय् ओ को अर्, ऐ को आय् तथा औ को और् हो जाता है, इसे अयादि सन्धि कहते हैं, जैसे—ने + अन = नयन, भो + अन = भवन, गै + अक = गायक, भौ + उरु = भावुक।

२. व्यञ्जन सन्धि

व्यञ्जन से परे स्वर या व्यञ्जन आने से व्यञ्जन में जो विकार होता है उसे व्यञ्जन सन्धि कहते हैं। व्यञ्जन सन्धि के मुख्य मुख्य नियम नीचे दिये जाते हैं।

(क) क्, च्, ट्, त् और प् के आगे कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा चौथा अक्षर अथवा य्, र्, ल्, व् में से कोई वर्ण

हो तो क् को ग, च् को ज्, ट् को ट् और प् को ब् हो जाता है, जैसे—वाक् + ईश = वागीश, वान् + दान = वाग्दान, पट् + दर्शन = पट्टदर्शन, अप् + ज = अज्ज ।

(ए) किसी वर्ग के पहले या तीसरे वर्ण से परे यदि किसी वर्ग का पाँचवाँ अक्षर हो तो वर्ग के पहले और तीसरे अक्षर के स्थान में उसी वर्ग का पाँचवाँ अक्षर हो जाता है जैसे—वाक् + मय = वाङ्मय, पट् + मास = पणमास, जगन् + नाथ = जगन्नाथ ।

(ग) त् के आगे कोई स्वर ग्, घ्, ङ्, ञ्, भ्, अथवा य्, र्, व्, में से कोई अक्षर हो तो त् को द् हो जाता है, जैसे—सत् + आनन्द = सदानन्द, जगन् + ईश = जगन्नीश, भगवन् + भक्ति = भगवद्भक्ति, तत् + रूप = तद्रूप ।

(घ) त् वा द् को च् या छ् परे होने पर च्, ज्या भ् परे होने पर ज्, ट् या ठ् पर होने पर ट्, ड् या ड् पर होने पर ढ् और ल् पर होने पर ल् हो जाता है, जैसे—उत् + चारण = उच्चारण, उत् + छेद = उच्छेद, सत् + जन = मज्जन, विपद् + जाल = विपज्जाल, वृहन् + टीका = वृहद्टीका, उत् + डयन = उद्दयन तत् + लीन = तल्लीन ।

(ङ) त् या द् के बाद श् हो तो त् या द् को च् और ग् को छ् हो जाता है और अगर ह् परे हो तो त् को द् और ह् को ब् हो जाता है जैसे—सन् + शास्त्र = सच्छास्त्र, उत् + हार = उद्धार ।

(च) छ् के पूर्व स्वर हो तो छ् के पूर्व च् का आगम होता है, जैसे—वि + छेद = विच्छेद ।

(छ) म् के बाद यदि क् से म् तर्फ का कोई व्यञ्जन हो तो म् को अनुस्वार अथवा बाद के वर्ण के वर्ग का पाँचवाँ वर्ण हो जाता है और यदि कोई अन्य व्यञ्जन हो तो अनुस्वार हो जाता है, जैसे—सम् + कल्प = सकल्प या सङ्कल्प किम् + चित् = किञ्चित् या किञ्चित्, सम् + तोष = मतोष या सन्तोष सम् + पूर्ण = सपूर्ण या सम्पूर्ण, सम् + यत् = मयत्, मम् + शय = मशय, सम् + रक्षण = सरक्षण ।

राज शब्द या उसके किसी रूपान्तर में पहले म् को अनुस्वार नहीं होता । सम्राट्, साम्राज्य ।

म् को अनुस्वार प् के अन्त में ही होता है । तुम्हारा और गम्य में म् को अनुस्वार नहीं होता ।

न् और म् को वर्ण के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण, श, प, स, आगे आने पर प् के बीच में भी अनुस्वार विकल्प में हो जाता है । भंडा, गंडामा, गदा, कवल ।

(ज) ऋ र् या प् के बाद यदि न् हो तो उसे ण हो जाता है चाहे इनके बीच में कोई स्वर, क्वर्ग या पवर्ग का कोई वर्ण अथवा ह, य् र् में से कोई वर्ण भी हो । जैसे—भूप् + अन = मूपण, प्र् + मान = प्रमाण, ऋ + न = ऋण, राम् + अयन = रामायण ।

(झ) यदि किसी शब्द के आद्य स् के पूर्व अ, आ को छोड़ कर कोई और स्वर आये तो स् को प् हो जाता है, जैसे—अभि + सेक = अभिपेक, वि + सम = विपम ।

(ञ) यौगिक शब्दों में यदि पहला शब्द नकारान्त हो तो उसने न् का लोप हो जाता है, जैसे—राजन + आज्ञा = राजाज्ञा ।

(ट) हुस्व स्वर के बाद र् से परे यत् र् हो तो पहले र् का लोप हो जाता है और उससे पहले का हुस्व स्वर लघु हो जाता है, जैसे—निर् + रोग = नीरोग, निर् + रस = नीरस।

३ विमर्ग सन्धि

विमर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग सन्धि कहते हैं। विमर्ग सन्धि के मुख्य मुख्य नियम नीचे दिये जाते हैं।

(क) विमर्ग के आगे च् या छ् हो तो विसर्ग को श्, ट् या ट् हो तो प् ओर त् या थ् हो तो स् हो जाता है। जैसे—नि + चल = निश्चल, दु + तर = दुस्तर, धनु + टकार = धनुष्टकार।

(ख) ह्, ङ् क् या क् के विसर्ग को क्, स्, प्, या फ् परं होने पर प् हो जाता है जैसे—बहि + कार = बहिष्कार, नि + फलङ्ग = निष्फलङ्ग, नि + पाप = निष्पाप, नि + फल = निष्फल, दु + फर = दुष्कर।

नम और पुर के बाद कर्ग या परग का कोई वर्ण आने पर विसर्ग को स् हो जाता है। नमस्कार, पुरस्कार।

(ग) विसर्ग के परे श्, प्, या स् हो तो विकल्प से विसर्ग को परे का वर्ण होता है, जैसे—दु + शासन = दुश्शासन या दुःशासन, नि + सन्देह = निःसन्देह या निम्सन्देह।

(घ) यदि विसर्ग के पहले अ और पीछे अ या वर्ण का सोमरा, चौथा या पाँचवाँ अक्षर अथवा य्, र्, ल्, व् तथा ह् में से कोई अक्षर हो तो पहले 'अ' और विसर्ग के स्थान में 'ओ'

हो जाता है और पिछले 'आ' का लोप हो जाता है। जैसे—
मन + अभिराम = मनोभिराम, अध + गति = अधोगति, तेज +
राशि = तेजोराशि, मन + हर = मनोहर।

(इ) यदि विसर्ग के पहले अ' और 'आ' को छोड़ और कोई स्वर हो और पछे कोई स्वर वर्ग का तासरा, चौथा और पाँचवाँ अक्षर अथवा य्, व्, र्, ल् ह् में से कोई अक्षर हो तो विसर्ग को र् हो जाता है जैसे—नि + आशा = निराशा, दु +
उपयोग = दुरुपयोग, नि + गुण = निर्गुण वहि + मुख = वहिर्मुख।

(च) यदि अक्षर के आगे विसर्ग हो और उसके आगे 'अ'
को छोड़कर कोई और स्वर हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता
है और इनमें फिर सन्धि नहीं होती। जैसे—अत + एव =
अतएव।

(छ) अन्त्य र् और स् के बदले विसर्ग हो जाता है।
निम्, निर् = नि। दुस्, दुर् = दु।

यदि र् के बाद वर्ग के प्रथम और द्वितीय अक्षर हो तो विसर्ग
को कोई प्रकार नहीं होता। प्रात काल, अन्त पुर।

यदि अन्त्य र् के बाद स्वर वर्गों के तीसरे, चौथे, पाँचवें,
वर्ष, ह, य्, ल्, व् हों तो र् को विसर्ग नहीं होता।

पुनर् + उक्ति = पुनरुक्ति। पुनर् + जन्म = पुनर्जन्म।

अभ्यास

१ सन्धि किसे कहते हैं, और वह कितने प्रकार की होती है ?

निम्नलिखित शब्दों में सन्धिच्छेद करो—

अवित, दुग्धाप्य, उज्ज्वल, दिगम्बर, अचिदाग द, यशोभिन्नापी
सत्त्वय, मद्रम, शरशब्द, विद्यालय, निर्मल, गीरव, उदयाचल निश्चिन्त
रवीन्द्र, राजर्षि, विद्यार्थी, उमत्त, परमात्मा, भारतेन्दु, म्बेष्ठा,
अत्यावश्यक, वृष्णा, वयोवृद्ध, विशोरावस्था, नौपारोपण, धर्मा
निश्चल ।

३ निम्नलिखित में संधि करो—

गिष + आग्य, पितृ + अनुमति, मत् + गति, त + एव
सत् + चरित्र, उत् + लाम, रद्दि + मुग्ध, यग + दा, मत् + अंतर,
दिच् + विनय, उत् + िष्ट, मन + हर, नत् + हित, तत् + मय,
सु + मुक्ति, म् + उन्द, महा + दशर, हरि + दृष्टा, रानि + अनुष्ठार
वधू + आगमन, तत् + शास्त्र प्रति + उत्तर, प्राय + चिन्त,
चरण + अमृत, माग्य + उदय ।

तीसरा खण्ड

वाक्य-विचार

(Syntax)

पहला अध्याय

क्रम और मेल

वाक्य में शब्द किसी न किसी क्रम से प्रयुक्त होते हैं। वाक्य को बनानेवाले शब्दों का एक दूसरे से लिङ्ग, वचन, पुरुष काल, कारक आदि के कारण सम्बन्ध रहता है तथा कोई शब्द किसी विभक्ति में और कोई किसी विभक्ति में प्रयुक्त होता है, अतः वाक्यविचार में शब्दों के क्रम (order) शब्दों के मेल (concord) तथा वाक्यविग्रह विश्लेषण (analysis) आदि का वर्णन होगा।

क्रम

वाक्य में शब्द अपने अर्थ और सम्बन्ध के अनुसार यथास्थान रखे जाने पर विवक्षित वाक्यार्थ को ठीक ठीक बताते हैं। इस प्रकार वाक्य में शब्दों के यथास्थान रखने को क्रम कहते हैं।

क्रम के कुछ नियम आगे दिये जाते हैं।

(क) साधारणतः वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म या पुरक और अन्त में क्रिया रखी जाती है। जैसे—मेरा भाई पाना खाता है, वह दूत है। जहाँ दो कर्म हों वहाँ गौण कर्म पहले और प्रधान कर्म पीछे रखा जाता है, जैसे—उसने मोहन को वह बात सुना दी।

इनके अतिरिक्त विशेषण तथा दूसरे कारकों में आनेवाले शब्द उन शब्दों से जिनके साथ उनका सम्बन्ध होता है, पहले रखे जाते हैं, जैसे—वीर पुरुष अपने देश की सेवा को अपना कर्तव्य समझते हैं। क्रियाविशेषण क्रिया से बहुधा पूर्व आते हैं जैसे—वह नीचे जा रहा है।

(ख) करण, सम्प्रदान, अपादान, और अधिकरण ये चार कारक प्रायः कर्ता और कर्म के बीच में आते हैं। इनमें भी पहले अधिकरण, फिर अपादान, तत्पश्चात् सम्प्रदान और अन्त में करण कारक आता है। यदि अधिकरण एक से अधिक हों, तो पहले कालवाची अधिकरण रखा जाता है, जैसे—वह न्ति में घर (घर में) रहता है।

(ग) सम्बोधन प्रायः वाक्य के आदि में आता है। जैसे—भाई! क्या कर रहे हो?

(घ) विधेय विशेषण, उपाधि (degree) आदि सूचक विशेषण तथा ममानाधिकरण शब्द विशेष्य के बाद आते हैं। परन्तु पदवी (title) सूचक शब्द विशेष्य के पहले ही आते हैं और विभक्ति पीछे आनेवाले शब्द के साथ लगती है। आपकी कलम उत्तम है। शिष्यतज्जो शास्त्री प्रमाण्ड पण्डित हैं। सर आशुतोष।

(ह) प्रभवाचक शब्द उभो के पहले रक्खा जाता है जिसके विषय में मुख्यतया प्रभ क्रिया जाय। प्रभवाचक शब्द के इधर उधर होने से वाक्य का अर्थ बदल जाता है। जैसे— मनोहर क्या पढ़ रहा है ? (अर्थात् फौनसी पुस्तक पढ़ रहा है) और क्या मनोहर पढ़ रहा है ? (पढ़ रहा है या नहीं) इन दोनों वाक्यों का अर्थ 'क्या' के स्थान परिवर्तन के कारण भिन्न भिन्न हो गया है।

(घ) भी, हो, तो, भर, तक इत्यादि शब्द उन्हीं के पीछे और फेवल, सिर्फ आदि शब्द उन्हीं के पहले आते हैं जिनके बारे में ये निश्चय प्रकट करते हैं या जिनकी विशेषता लिखते हैं। इनके इधर उधर होने से भी वाक्य के अर्थ में अन्तर पड़ जाता है। जैसे— मैं भी पढ़ रहा हूँ (कोई और पढ़ रहा है साथ मैं भी पढ़ रहा हूँ) मैं पढ़ भी रहा हूँ (साथ साथ और काम भी कर रहा हूँ)। आज मैं ही बाजा बजाऊँगा (और कोई नहीं), आज मैं बाजा ही बजाऊँगा (और कुछ नहीं बजाऊँगा) आज ही मैं बाजा बजाऊँगा (फिर कभी नहीं)। आज कबल में स्कूल गया था (और कोई नहीं) आज में केवल स्कूल गया था (और वहाँ नहीं)।

(छ) जय, तय, जहाँ, तहाँ आदि सम्बन्धवाचक क्रिया विशेषण बहुधा वाक्य के आरम्भ में आते हैं जैसे—जय में गया तय वे तिरप रहे थे।

(ज) पूर्वकालिक क्रिया अपने कर्मादि सहित मुख्य क्रिया के पहले आती है जैसे— मैं हाक देकर यहाँ से चलूँगा।

सम्बन्ध-बोधक अव्यय जिस सज्ञा था

सम्बन्ध रखते हैं उसके बाद आते हैं। योजक अव्यय जिनका जोड़ते हैं उनके बीच में आते हैं। शीतल अव्यय प्रायः वाक्य के आदि में आते हैं। जैसे—आय के अनुसार व्यय करो। तुम और हम मित्र हैं। हा! यह हो क्या गया!

ऊपर क्रम के कुछ एव नियम लिखे गए हैं परन्तु अवधारण के लिए अथवा किसी शब्द की प्रधानता जतलाने के लिए इन नियमों का व्यतिक्रम हो जाता है। जैसे—पिटना था मुझ पर पिट गया वह (कर्ता के पहले क्रिया), विद्वानों की संगति में रहकर मूर्ख भी विद्वान् हो जाते हैं (कर्ता से पहले पूर्वकालिक) गीत तो मैंने सुना ही नहीं, परसों वह गया, चतुर तो वह है ही षड होना चाहिए तुम्हें अपने धर्म में, इत्यादि।

श्रुति में आवश्यकता अनुसार प्रायः सभी पदों का स्थान परिवर्तन किया जाता है, जैसे—‘आज करते हैं विजय की कामना सब वीरवर!’

अन्वय या मेल

वाक्य के पदों का दूसरे से लिङ्ग, वचन, पुरुष, फल आदि के अनुसार जो सम्बन्ध रहता है उसे ‘अन्वय’ या ‘मेल’ कहते हैं। वाक्य में कर्ता या कर्म के साथ क्रिया का, मज्ञा के साथ सर्वनाम का, सम्बन्धी के साथ सम्बन्ध का और विशेष्य के साथ विशेषण का मेल रहता है। मेल सम्बन्धी अनेक नियम प्रसङ्गवश सज्ञा, क्रिया आदि प्रकरणा में कहे जा चुके हैं अब कुछ और नियम यहाँ लिखे जाते हैं—

क्रिया का कर्ता या कर्म से मेल

(क) जहाँ कर्ता विभक्तिरहित हो वहाँ क्रिया का मेल कर्ता के साथ होता है अर्थात् क्रिया के पुरुष, लिङ्ग और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। जहाँ कर्ता विभक्तिसहित और कर्म विभक्तिरहित हो वहाँ क्रिया के पुरुष लिङ्ग और वचन कर्म के अनुसार होते हैं और जहाँ कर्ता और कर्म दोनों विभक्तिसहित हों वहाँ क्रिया सदा अन्यपुरुष पुँल्लिग एकवचन में होती है। जब क्रिया का कर्म न हो सके (जैसे भाव वाच्य म) या कर्म लुप्त हो तो सविभक्तिक कर्ता की क्रिया एकवचन, पुँल्लिङ्ग प्रथम पुरुष में आती हैं। जैसे—मैं बैठता हूँ, वे बैठती हैं। मैंने अमरू खाया। उसने नाशपतियों खाई। राजा ने मंत्री को गुलाया। इतनी रात गये भी मुझमें मोया नहीं जाता था। मैंने देखा था।

(ख) यदि वाक्य में विभक्तिरहित कर्ता हों तो एकवचन में, पर हों एक से अधिक, और वे परम्पर 'और' या इसी तरह के किसी अन्य योजक द्वारा जुड़े हों तो क्रिया बहुवचन में होगी जैसे—राम और श्याम खेलते हैं।

(ग) विभक्तिरहित अनेक कर्ताओं से यदि एक ही वचन का अर्थ निकले तो कई कर्ता होने पर भी क्रिया एकवचन में ही आती है। जैसे—आपको देखकर मेरा उत्साह, धैर्य और आनन्द दुगुना हो गया।

(घ) आदर दर्शाने के लिए एकवचन कर्ता के साथ भी बहुवचन की क्रिया लगाई जाती है। जैसे—महाराज

(द) यदि विभक्तिरहित बहुवचन कर्ता भिन्न भिन्न लिंगों के हों तो क्रिया होगी तो बहुवचन में पर उमका लिंग अन्तिम कर्ता के अनुसार होगा। जैसे—प्रतिवर्ष हजारों स्त्रियों और पुरुष गंगा स्नान को जाते हैं या हजारों पुरुष और स्त्रियों गंगा स्नान को जाती हैं।

(च) पर यदि भिन्न भिन्न लिङ्गों के कर्ता एकवचन में हों तो क्रिया प्रायः पुँल्लिङ्ग और बहुवचन में होती है। जैसे—जब मैं वहाँ पहुँचा तो राम और शकुन्तला खेल रहे थे। इस राज्य में धान और बररी एक घाट पानी पीते हैं।

(छ) यदि भिन्न भिन्न लिङ्गों के विभक्तिरहित कर्ता भिन्न भिन्न वचनों में हों तो क्रिया बहुवचन में होगी और उसका लिङ्ग अन्तिम कर्ता के अनुसार होगा। जैसे—वहाँ एक बैल दो गौएँ और बहुत से घोड़े चर रहे थे। वहाँ एक बैल दो घोड़े और बहुत सी गौएँ चर रही थीं। ऐसे स्थानों में प्रायः पुँल्लिङ्ग और बहुवचन कर्ता अन्त में रहता है।

यदि पिछला कर्ता एकवचन में हो तो क्रिया एकवचन और बहुवचन दोनों में आ सकती है। जैसे—दो गौएँ तीन घोड़े और एक बैल वहाँ चर रहा था (चर रहे थे)।

(ज) यदि वाक्य में विभक्तिरहित अनेक कर्ता हों और उनके बीच में या 'आदि' विभाजक शब्द हों तो क्रिया का लिङ्ग और वचन अन्तिम कर्ता के अनुसार होता है। जैसे—राम की गौएँ या मोहन का घोड़ा बिकेगा। मोहन का घोड़ा या राम की गौएँ बिकेंगी।

(क) यदि एक ही वाक्य में भिन्न भिन्न पुरुषों के विभक्ति-रहित कर्ता हों तो क्रिया ऊँचे पुरुष के अनुसार होती है। उच्चतम पुरुष को मत्र से ऊँचा समझना चाहिये, मध्यम को दूसरे स्थान पर और अन्य पुरुष को तीसरे स्थान पर। जैसे—हम और तुम पढ़ेंगे या तुम और हम पढ़ेंगे। हम और वे खेलेंगे। तुम और वे खेलेंगे। हम तुम और वे खेलेंगे या तुम हम और वे खेलेंगे।

(ख) ऊपर लिखा जा चुका है कि जहाँ कर्ता सनिभक्तिक हो और कर्म निर्विभक्तिक वहाँ क्रिया कर्म के अनुसार होगी। यदि कर्म एक से अधिक हों तो जो कर्म निर्विभक्तिक होगा क्रिया उसी के अनुसार होगी, जैसे—मोहन ने गरीब को खाना खिलाया। मोहन ने गरीब को पुरियाँ खिलाईं।

(ग) जिसके लिङ्ग में सन्देह हो ऐसे कर्ता और कर्म के साथ क्रिया पुँडिंग में आती है। जैसे—आज कौन आया था? वहाँ कुछ देखा था?

(घ) कुछ शब्दों का केवल बहुवचन में ही प्रयोग होता है, अतः उनके साथ क्रिया भी बहुवचन में ही आती है। जैसे—राम के वियोग में महाराज दशरथ के प्राण निकल गये। पुत्र को देखते ही उसने आँसू निकल पड़े।

सज्ञा और सर्वनाम का मेल

(क) सर्वनाम के लिङ्ग और वचन वही होते हैं जो सज्ञा के, जिसके बदले वह प्रयुक्त होता है। जैसे—जो कन्या चारों विषयों में पास हुई है वही जमात में चढ़ाई गई है। सवित्री-बोली में

रहा की न रही। सुरेश यह गया है कि आज वह आवेगा। यदि कोई स्त्री अपने परिवार के पुरुषों और स्त्रियों दोनों की प्रतिनिधि होकर बोले तो सर्वनाम पुँल्लिङ्ग में होगा। जैसे—शकुन्तला कहन लगी, आप लोग धनी ही नहीं पर हम आपके पाम भीय माँगने तो नहा आप जो ऐसी बात सुना रहे हैं।

(ख) एक ही मझा के बन्ले नू और तुम में और हम, आप और तुम, अथवा श्रीमान और आपका प्रयोग नहीं करना चाहिए अपितु एक प्रसंग में जिस शब्द का पहले प्रयोग किया हो उसी का प्रयोग बाद में भी करना चाहिए। जैसे—‘तुम नहीं आप तो इस में तेरा ही दोष है’ अशुद्ध है। इसके स्थान में ‘तुम नहीं आप तो हमसे तुम्हारा ही दोष है’ होना चाहिए।

सम्बन्ध और सम्बन्धी का मेल

(क) सम्बन्ध कारक के विभक्ति चिह्न में वही लिङ्ग और प्रचन होते हैं जो सम्बन्धी शब्द के होते हैं। जैसे—सेठ जी का घोड़ा सेठ जी की बहती सेठ जी के लडके, सेठ जी की कन्याएँ।

(ख) जब सम्बन्धी पद पुँल्लिङ्ग हो और उसके आगे कोई विभक्ति हो तो उसके एकप्रचन में होने पर भी सम्बन्ध-कारक में ‘का’ और ‘रा’ की जगह ‘के’ और ‘रे’ चिह्न लगता है। जैसे—सोहन के धन का उपयोग करना अनुचित है। तुम्हारे दान का रूपया सुरक्षित है।

(ग) जब अनक सम्बन्धी होते हैं तब सम्बन्ध कारक का चिह्न पहले सम्बन्धी के अनुसार होता है। जैसे—उमका धन और स्त्री मभी नष्ट हो गय।

विशेष्य और विशेषण का मेल

(क) विशेषण के लिङ्ग वचन और कारक विशेष्य के अनुसार होते हैं। लिङ्ग, वचन आदि के कारण विशेषणों में कहीं रूपान्तर होता है और कहीं नहीं यह विशेषणों के अध्याय में बताया जा चुका है।

(ख) विभक्ति सहित स्त्रीलिङ्ग कर्मकारक का विधेय विशेषण प्रायः पुल्लिङ्ग में होता है जैसे—दीवार को रिसने पीला किया है।

(ग) एक ही विशेषण के कई विशेष्य हो तो विशेषण के, लिङ्ग, वचन उसी विशेष्य के अनुसार होते हैं जो समीप हो। जैसे—नये पल्लंग और दरियाँ, नई वस्तियाँ और लैंप।



दूसरा अध्याय

वाक्य के भाग

१ खण्ड वाक्य और वाक्यांश

जिस पद समूह में कहने या लिखने वाले का पूरा भाव प्रगट हो जाय उसे वाक्य कहते हैं। जैसे—मोहन पुस्तक पढ़ता है। राम पत्र लिखता है।

कई ऐसे पद समूह भी होते हैं जिनमें कर्ता और क्रिया के रहने पर भी कहने या लिखने वाले का पूरा आशय प्रकट नहीं होता, जैसे—देवदत्त ने कहा था, कौन नहीं जानता। ऐसे पद-समूहों को वाक्य नहीं कहा जाता, क्योंकि इनसे कहने वाले का पूरा भाव प्रकट नहीं होता। सुनने वालों को कुछ और सुनने की इच्छा बनी रहती है। इस प्रकार के पद समूह को जिसमें कर्ता और क्रिया के रहने पर भी कुछ सुनने की आर्कशा बनी रहे—खण्ड वाक्य कहते हैं।

खण्ड वाक्य दो तरह के होते हैं—एक प्रधान खण्ड वाक्य, दूसरे आश्रित खण्ड वाक्य। आश्रित खण्ड वाक्य प्रधान खण्ड वाक्य के अधीन होते हैं। 'देवदत्त ने कहा था मैं फल आऊँगा' इसमें देवदत्त ने कहा था' यह प्रधान खण्ड वाक्य है और 'मैं फल आऊँगा' यह आश्रित खण्ड वाक्य। आश्रित खण्ड वाक्य प्रधान खण्ड वाक्य की क्रिया 'कहा था' का कर्म है। आश्रित खण्ड वाक्य और प्रधान खण्ड वाक्य को संक्षेप में आश्रित वाक्य और प्रधान वाक्य भी कहा जाता है।

परस्पर सम्बन्ध रखने वाले शब्दों को जिनमें कुछ थोड़ा सा ही भाव प्रकट होता है वाक्याराषद् होते हैं। जैसे—मरे उठना, पाग में जाकर।

२ उद्देश्य और विधेय

प्रत्येक वाक्य के मुख्य दो भाग होते हैं—उद्देश्य (कर्ता) और विधेय (क्रिया)। वाक्य में जिनके विषय में कुछ विधान किया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं और उद्देश्य के विषय में जो कुछ विधान होता है (काम का होना या करना बताया जाता है) उसे विधेय कहते हैं। मेरा हाथ कभी खाली नहीं रहता' इस वाक्य में 'मेरा हाथ' उद्देश्य है और 'कभी खाली नहीं रहता' यह विधेय है। फिर 'मेरा हाथ'—इसमें भी 'हाथ' मुख्य है और 'मेरा' वहना उस हाथ का विस्तार करना है, इसलिए 'हाथ' उद्देश्य (कर्ता) और 'मेरा' उद्देश्य का विस्तार कहलावेगा। इसी प्रकार विधेय 'कभी खाली नहीं रहता' में भी क्रिया 'नहीं रहता' मुख्य है, शेष उसका विस्तार है। इस प्रकार वाक्य के चार भाग हुए—(क) उद्देश्य (कर्ता) (ख) उद्देश्य का विस्तार, (ग) विधेय (क्रिया) तथा (घ) विधेय का विस्तार।

उद्देश्य (Subject) में चार शब्द भेद हो सकते हैं।

(क) सद्भा, जैसे—सत्यवती गई'

(ख) सर्वनाम, जैसे—'तुम पढ़ चुके'

(ग) विशेषण, जैसे—'गुणी ही मान पाएँ हैं'

(घ) वाक्यांश, जैसे—'मन्य मीठना रम है'

उद्देश्य का विस्तार

कभी उद्देश्य अकेला आता है और कभी कुछ शब्द उसके साथ जुड़े रहते हैं जो उसका विस्तार कहलाते हैं। उद्देश्य का विस्तार निम्नलिखित शब्द भेदों से होता है—

- (क) विशेषण से, जैसे—सुन्दर वचन सबको भाते हैं।
- (ख) सम्बन्ध कारक से, जैसे—मेरा हाथ खाली नहीं रहता।
- (ग) समानाधिकरण से, जैसे—मैं हरिदत्त प्रतिज्ञा करता हूँ।
- (घ) वाक्यांश से, जैसे—वह अपमानित होकर भी चुप रहा।

विधेय का विस्तार

साधारण विधेय में कवल एक क्रिया रहती है। जैसे—राम पढ़ता है, कृष्ण खेलता है। पर उद्देश्य की तरह विधेय का भी दूसरे शब्दों के जुड़ने से विस्तार हो जाता है। नीचे लिखे शब्द भेदों से विधेय का विस्तार हो सकता है।

- (क) यदि क्रिया सकर्मक हो तो उसके कर्म से, जैसे—रमेश पुस्तक पढ़ता है। (ख) यदि क्रिया अकर्मक हो तो पूरक से, जैसे—सुरेश बड़ा नटखट है। (ग) क्रियाविशेषण से जैसे—हम धीरे धीरे चलेंगे। (घ) करण, सम्प्रदान, अपादान, अधिकरण आदि कारकों से, जैसे—मोहन चम्मच से पाना खाता है। मोहन देवदत्त के लिए यह पुस्तक दे गया है। वह तुम्हें हृदय में चाहता है। वृक्ष में फल गिरता है। रुपये ट्रक में पड़े हैं। (ङ) पूर्वकालिक क्रिया या क्रियाद्योतक कृन्त से, जैसे—खाना खाकर जाऊँगा। भूख के मारे मर गया।

तीसरा अध्याय

वाक्य के भेद और विग्रह

रचना के अनुसार वाक्य के तीन भेद हैं—१ सरल या साधारण, २ मिश्रित, ३ सयुक्त ।

१. सरल वाक्य—जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय रहता है उसे सरल वाक्य कहते हैं । जैसे—‘राम खेलता है’ इसमें ‘राम’ यह एक उद्देश्य है और ‘खेलता है’ यह एक विधेय । ‘रमेश की पुस्तक इस कमरे में पड़ी है’ यह भी सरल वाक्य है । इसमें भी ‘पुस्तक’ यह एक उद्देश्य है और ‘पड़ी है’ यह एक विधेय । ‘रमेश की’ और ‘इस कमरे में’ केवल उद्देश्य और विधेय के विस्तार हैं ।

२ मिश्रित वाक्य—जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो और उसके आश्रित एक या अधिक उपवाक्य हों उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं । जैसे—‘मैंने सुना है कि वह वहाँ पहुँच गया है’ इसमें ‘मैंने सुना है’ यह प्रधानवाक्य है और ‘वह वहाँ पहुँच गया है’ यह उसका आश्रित वाक्य है ।

आश्रित वाक्य तीन प्रकार के होते हैं—(क) सहा वाक्य, (ख) विशेषण वाक्य, (ग) क्रिया विशेषण वाक्य ।

(क) सहा वाक्य—जिस आश्रित वाक्य का प्रयोग प्रधान वाक्य की किसी सहा (कर्ता, कर्म या पूरक आदि) की जगह होता है उसे सहा वाक्य कहते हैं । जैसे—‘कौन नहीं जा’

दो और दो चार होते हैं' इस में 'दो और दो चार होते हैं' यह आश्रित वाक्य है और 'जानता' क्रिया का कर्म है। इसलिए इसे सज्ञा वाक्य कहेंगे। 'मैंने तुम्हारी शिकायत की यह विलकुल झूठ है' इसमें 'मैंने तुम्हारी शिकायत की' यह आश्रित वाक्य है क्रिया के कर्ता की जगह आया है।

सज्ञा वाक्य प्रायः 'कि' योजक से शुरू होता है पर जय प्रधान वाक्य के पूर्व आने तो यह' द्वारा मिलाया जाता है।

(ए) विशेषण वाक्य—जय कोई आश्रित वाक्य प्रधान वाक्य की किसी सज्ञा के विशेषण का काम देता है तब उसे 'विशेषण वाक्य' कहते हैं। जैसे— 'वे लोग, जिन्हें पाप-दादे का कमाया हुआ रुपया मिल जाता है, रुपयों की कदर नहीं जानते।' 'उस पुस्तक को लेकर मैं क्या करूँगा जिमके आदि-अन्त के पृष्ठ फटे हुए हों।' 'उसी हाथ से जो कल छुरी से कट गया था, मैं आज लिपता हूँ।' 'राम का, जिमने हजारों वर्ष पहले रावण को पठाड़ा था, नाम आज भी आदर से लिया जाता है।' इन वाक्यों में मोटे टाइप में दिए गए आश्रित वाक्य विशेषण के रूप में आए हैं। पहला आश्रित वाक्य 'लोग' (कर्ता) का विशेषण है दूसरा पुस्तक (कर्म) का, तीसरा हाथ' (करण) का और चौथा राम' (सम्बन्ध कारक) का।

विशेषण-वाक्य जो, जिसने, जैसे, जिन्हें आदि शब्दों से प्रारम्भ होते हैं। कभी कभी जो आदि शब्द लुप्त भी रहते हैं। जैसे—मच हो मो कह ने।

(ग) क्रियाविशेषण वाक्य—जो आश्रित वाक्य किसी क्रिया के विशेषण का काम देता है उसे 'क्रिया-विशेषण वाक्य' कहते हैं। जैसे—'जब तुम आओगे मैं तुम्हारे साथ चल दूँगा'। 'जहाँ पहले सुन्दर नगर थे वहाँ अब एक भी मनुष्य नहीं दीखता'। वच्चे जैसा दूरों को करते देखते हैं करने लगते हैं। 'जितना पढ़ खाता है उतना दो मनुष्य नहीं खा सकते', इस वाक्यों में मोटे टाइप में दिख गये वाक्य क्रमशः फालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक क्रियाविशेषण हैं।

क्रियाविशेषण वाक्य जत्र जहाँ, जिधर, ज्यों, यदि, यद्यपि, आदि शब्दों से आरम्भ होते हैं और प्रधान-वाक्यों में उनके नित्यसम्बन्धी शब्द होते हैं।

३. संयुक्त वाक्य—जिनमें दो या दो से अधिक सरल अथवा मिश्रित वाक्य परस्पर निरपेक्षरूप में (एक दूसरे पर आश्रित न हा कर) मिलते हैं, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ये चार प्रकार के हैं—(क) मयोजन - इनमें एक वाक्य दूसरे के साथ योजक द्वारा जुड़ा रहता है। जैसे—तुम गए और वह आ गया। स्नान से शरीर शुद्ध होता है और मत्स्य से मत्त।

(ख) विभाजन—इन में वाक्यों का एक दूसरे से भेद या विरोध का सम्बन्ध रहता है। जैसे—मैंने कहा तो था पर वह माना नहीं, प्रिय बोलना चाहिए पर असत्य नहीं। मैं जीता हूँ न कि श्याम।

होना पाया जाता है। जैसे—देशहितैषी घना या देशद्रोही फूट लाओ। मुझे पूरे पैसे दीजिए या ये भी रख लीजिए।

(घ) परिमाण संबन्ध अथवा हेतु-सूचक—इन में एक वाक्य दूसरे का परिणाम होता है। फल यहाँ संगीत सम्बन्ध है, अतः तुम जरूर आना। आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, इसलिए तुम्हें पढ़ा न सकेगा।

जब मयुक्तवाक्य के उपवाक्यों का उद्देश्य या विधेय एक ही होता है तो उसे एक ही धार कहा या लिया जाता है। ऐसे वाक्यों को 'मयुक्त मयुक्त वाक्य' कहते हैं जैसे—धर्म इस लोक को ही नहीं परलोक को भी सुधारता है। बहुधा वाक्य में ऐसे शब्दों को जो आसानो से समझ में आ सकते हैं, छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार के वाक्यों को सक्षिप्त वाक्य कहते हैं, जैसे—() सुना है। () कहते हैं। विग्रह करते करते समय इन तुम भागों को लिख दिया जाता है।

वाक्य के उद्देश्य विधेय तथा दूसरे अंशों को अलग अलग करके विग्रह की रीति को वाक्य विग्रह या विस्तोपण कहते हैं। चीना तरह के वाक्यों के विग्रह की विधि आगे अलग अलग दी जाती है। पहले वाक्य का प्रकार निश्चय कर लेना चाहिए, फिर आगे दी हुई विधि के अनुसार उसका विग्रह करना चाहिए।

१. सरल वाक्य का विग्रह

सरल वाक्य के विग्रह में नीचे लिखी बातें विधानी चाहिए।

१—उद्देश्य पद (कर्ता) ।

२—उद्देश्य पद (कर्ता) का जिन पदों द्वारा विस्तार किया गया हो, वे पद ।

३—विधेय पद (क्रिया), यत्कि क्रिया का कोई पूरक हो तो वह भी साथ ही लिखाना चाहिए ।

४—विधेय का विस्तार । इसमें पहले यदि कर्म हो तो उस का निर्देश करना चाहिए, कर्म का यत्कि कोई विस्तार हो तो उसे भी साथ ही दिखाना चाहिए, और उससे बाद क्रियाविशेषण तथा अन्य जिन पदों से क्रिया का विस्तार हुआ हो उन्हें दिखाना चाहिए ।

२ मिश्रित वाक्य का विग्रह

मिश्रित वाक्य के विग्रह में प्रधान सण्ड वाक्य कौन है, और आश्रित वाक्य कौन है, यह निर्देश करके यह बताया जाता है कि आश्रित सण्ड वाक्य सद्वा वाक्य है, विशेषण वाक्य है, या क्रियाविशेषण वाक्य । तत्पश्चात् प्रत्येक सण्ड का विग्रह अलग अलग सरल वाक्य की तरह किया जाता है ।

३. सयुक्त वाक्य का विग्रह

सयुक्तवाक्य के विग्रह में जिन परस्पर निरपेक्ष (प्रधान) वाक्यों के मेल से सयुक्तवाक्य बना हो उनको और उनके योजकों को अलग अलग लिखाना चाहिए और अनन्तर प्रत्येक वाक्य का (जो चाहे साधारण हो या मिश्रित) पहले लिखी रीति से विग्रह करना चाहिए ।



भाश्रत वाक्य का विग्रह

वाक्य	वाक्य-रूपण्ड के भेद	योजक	विधेय और विधेय का विस्तार					
			उद्देश्य, विस्तार	विधिया	पूरक	कर्म	कर्म का विस्तार	क्रिया अन्य विस्तार
जो धैर्य से कार्य करते हैं	आश्रितरूपण्ड वाक्य (कर्ता का विशेषण)		जो	करते हैं	सकल	कार्य	धैर्य से	अवश्य
ने अवश्य सफल होते हैं	प्रधानरूपण्ड वाक्य		वे	करते हैं	सकल			
तब आप पढ़ा करते हैं	प्रधानरूपण्ड वाक्य		आप	पढ़ा करते हैं	धै		तब	तब आपके पास
जब मैं आप के आश्रितरूपण्ड वाक्य पास नौकर था	(क्रियाविशेषण)		मैं	पढ़ा था	नौकर			
देवदत्त ने कहा कि मेरा भाई पढ़ाई पर गया है	प्रधानरूपण्ड वाक्य	कि	देवदत्त	कहा				
	आश्रितरूपण्ड वाक्य		मेरा भाई	पढ़ाई	गया है			पढ़ाई पर

चौथा अध्याय

चिह्न-विचार (Punctuations)

वातचीत करने में हम शब्दों का उच्चारण एक ही प्रवाह में— एक समान गति में— नहीं करते। जहाँ-तहाँ थोड़ा बहुत ठहर जाते हैं, जिससे सुननेवाला हमारा अभिप्राय ठीक तरह जान जाना है। पढ़नेवाला हमारे अभिप्राय को अन्यथा न समझे इसीलिए लिखने में भी कहाँ कहाँ हम कितना कितना ठहरे हैं, वहाँ हमारी बात समाप्त हो जाती है, कहाँ कहाँ हम अपने किन् किन् मनोभावों को प्रकट कर रहे हैं इसके लिए भिन्न भिन्न चिह्न नियत किये गये हैं। इन चिह्नों को विराम (विश्राम या ठहराव) चिह्न कहा जाता है। मुख्य विराम चिह्न ये हैं—

अल्पविराम (कामा)	,	अर्धविराम (सेमीकोलन)	,
अपूर्ण विराम (कोलन)	:	पूर्ण विराम (पाई)	।
प्रश्नचिह्न	?	विस्मयान्वितचिह्न	!
निर्देशक (डैग)	—	योजक (हार्डफन)	-
कोष्ठ (ब्रैकेट)	()	उद्धरण चिह्न “ ” या ‘ ’	
लाघव चिह्न	o		

१ अल्प विराम—पढ़ते समय जिस स्थान पर बहुत थोड़ा ठहरना हो, वहाँ अल्पविराम (,) लगाया जाता है। इसका प्रयोग प्रायः निम्नलिखित स्थानों में होता है—

(क) जब एक ही तरह के बहुत से पद, वाक्यांश या वाक्य

इच्छे आ जायँ और उनमें कोई योजक पद न हो तो उनके बीच में अल्पविराम लगाया जाता है। जैसे—राम, लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न अयोध्यापति के बेटे थे। भारतवर्ष में राजा हरिश्चन्द्र जैसे सत्यवादी, दधीचि जैसे आत्मत्यागी, शिवाजी जैसे गोप्रतिपालक और गुरु गोविन्दसिंह जैसे धर्मवीर राजा हुए हैं। मनुष्य विशेष को ही देवता कहते हैं, जिसका शरीर पुष्ट और नीरो हो, जिसका मन सत्य और पवित्र हो जिसकी बुद्धि प्रखर और प्रतिभा पूर्ण हो, जिसकी आत्मा दृढ और निडर हो, जिसकी वाणी में सत्य और मिठास हो और जिसके कर्म में प्रेम और कर्त्तव्य परायणता हो, वही देवता है।

(ख) सम्बोधन के बाद, जैसे—देवदत्त, इवर आओ। जब सम्बोधन वाक्य के बीच में आजाय तो उसके पहले भाग अल्पविराम लगता है जैसे—सुनो लडकों, आज तुम्हें बड़ी अच्छी बात बतायेंगे।

(ग) जहाँ परस्पर सम्बन्ध रखनेवाले दो शब्दों के बीच में कोई पद वाक्यांश या उपवाक्य आ कर उन्हें अलग अलग कर दे, वहाँ उसके दोनों ओर अल्प विराम लगाया जाता है, जैसे—राजा का, चाहे वह विदेशी हो या स्वदेशी यह कर्त्तव्य है कि वह अपनी प्रजा का पुत्रवत् पालन करे।

(घ) 'वह' 'यह' या नित्य सत्रधी शब्दों के जोड़ का दूसरा शब्द यदि लुप्त हो तो वहाँ भी अल्प विराम लगाया जाता है, जैसे—कब तक वह आयेगा, कहा नहीं जा सकता। वह जहाँ

(ए) उक्ति या उद्धरण से पूर्व—राम न कहा, 'मेरी मदद करो।'

(ब) यदि मयुक्त वाच्य के दूसरे वाच्य का आरम्भ इससे अतएव इसलिये तभी वरन, किन्तु, परन्तु पर क्याकि आदि शब्दों से हो तो उसके पहले भी अल्पविराम प्रयुक्त होता है। वह मत्स्यवाणी है, इसलिये सब उसे प्यार करते हैं। गोपाल साल भर बीमार रहा तो भी वह पाम होगया। मैं आपके यहाँ अवश्य भोजन करता, परन्तु अभी मैंने स्नान नहीं किया।

(छ) विषय को स्पष्ट जतलाने और सम्बन्ध को विशेष तथा स्पष्ट करने के लिये भी अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे—देवो वाङ्मयीकि रामायण, अयाध्यावारट, १०वाँ सर्ग १०वाँ श्लोक।

२ अर्धविराम—यह चिह्न (,) वहाँ किया जाता है जहाँ अल्पविराम न अधिक दूर टहरना अभीष्ट हो अथवा जहाँ किसी वाक्य के दो भागों में से पहला अपने अर्थ में पूर्ण हो और दूसरा उमका वाच्य आदि करता हो। जैसे—यह सुनते ही सब जगह खुशियाँ होन लगीं राजे राजन लगे मिठाइयाँ बँटने लगीं। "विशाल विश्व में यदि कोई ईश्वर हो तो मैं हूँ, धर्म हो तो मैं हूँ, प्रभु हो तो मैं हूँ।"

३ अपूर्ण विराम—जिस वक्तव्य को कुछ अलग करके बताना हो तो उसके पहले () लगाते हैं। जैसे—निम्नलिखित का अर्थ करो—'तिन हूँटा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ।'

४ पूर्णविराम—प्रत्येक वाच्य की समाप्ति पर पूर्णविराम लगाया जाता है। जैसे—हिन्दी को अपनाओ। माता पिता की

आज्ञा माननी चाहिये । कविता में पूर्वार्द्ध के बाद पूर्णविराम की एक पाई (I) तथा समाप्ति के बाद दो पाई (II) लगती हैं जैसे—

“अजगर करै न चाकरी, पछी करै न काम ।
दास 'मल्लूका' कह गये, सन के दाता राम ॥”

५ प्रश्नचिह्न—प्रश्न का बोध कराने के लिए पूर्णविराम के स्थान में यह (?) चिह्न लगाया जाता है । जैसे—सन्धि किसे कहते हैं ?

६. विस्मयादि-बोधक—विस्मय शोक, हर्ष, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करने के लिए जो शब्द आते हैं उनके आगे यह (!) चिह्न लगाया जाता है । जैसे—धन्य धन्य ! वाह वाह ! “हाय ! मेरी अन्धी की लकड़ी कौन छीन ले गया !” नीच ! पापा ! हत्यारे !

सम्बोधन में भी इस चिह्न का प्रयोग होता है । जहाँ किसी को साधारण तौर पर सम्बोधन करना हो वहाँ अल्पविराम (,) लगता है, पर जहाँ किसी को दूर से या मनोविकार (क्रोध आश्चर्य) आदि के साथ बुलाना हो वहाँ विस्मयादि-बोधक (!) चिह्न लगाया जाता है । नाटकों में सम्बोधन के बाद प्रायः विस्मयादि बोधक चिह्न का प्रयोग होता है ।

७ निर्देशक—इसका प्रयोग प्रायः नीचे लिखे स्थानों में होता है ।

(क) विषय विभाग-सम्बन्धी प्रत्येक शीर्षक के आगे और जहाँ उदाहरण देना हो वहाँ 'जैसे' या 'यथा' आदि शब्दों के आगे ।

(र) वार्तालाप विषयक लेखों में उक्त के नाम के आगे या जहाँ किसी की उक्ति गुरु हो वहाँ 'कहा' 'बोला' 'पूछा' आदि शब्दों के आगे। जैसे—

“अमर सिंह—द्वारपाल।

द्वारपाल—जो आज्ञा, पृथ्वीनाथ।”

“अन्त में ठाकुर ने पूछा—आप के पास वे चिट्ठियाँ तो होंगी। देवदत्त मन्हलकर बोले—सम्भवत हों।”

(ग) यदि वाक्य के बीच में कोई स्वतन्त्र पद वाक्यांश या वाक्य आ जाय तो उसके दोनों ओर भी इसका प्रयोग होता है। जैसे—मेरे पति ने—ईश्वर उनकी रक्षा करे—विदेश यात्रा की है।

(घ) वाक्य में किसी पद का अर्थ अधिक स्पष्ट करना हो या किसी बात को दोहराना हो तो भी इसका प्रयोग होता है। जैसे—ऐसे बहुत थोड़े—हजारों में से एक—मनुष्य होंगे। “यह उसकी एक नष्टि पर न्यूँठावर है—केवल एक दृष्टि पर।”

८ योजक—समस्त शब्दों में जहाँ सन्धि या संयोग न हुआ हो वहाँ प्रायः इस चिह्न को (-) लगाया जाता है। यह चिह्न प्रकट करता है कि इसके दोनों तरफ के शब्द परस्पर मिले हुए हैं। जैसे—माता पिता, पाँच सात, सुमोघ हिन्दी व्याकरण।

लिखते समय यदि कोई शब्द पंक्ति में पूरा न लिखा जा सके तो जितना भाग लिखा जाय उसके आगे यह चिह्न () लगा कर शेष भाग दूसरी पंक्ति में लिखते हैं। जैसे—लिखते लिखते मेरा हाथ थक गया।

९ फोप्टचिह्न—फोप्ट के अन्दर, किसी पद वा वाक्य का अर्थ रखा जाता है। जैसे = बातों का क्रम (सिलसिला) जारी रहना चाहिए। नाटकों में अभिनय की प्रक्रिया को प्रकट करने के लिए भी फोप्ट का प्रयोग होता है। जैसे—

‘विजय (नेपथ्य से)—हमें न लिखाओगे पिता जी ?

(दौड़ते हुए प्रवेश)

“विजय—(चोंक कर) यह क्या ? नगी तलवार !”

१० उद्धरण—दूसरे की वक्ति को जहाँ अविकृत रूप में लिखा जाता है वहाँ उसके दोनों ओर (“ ” या ‘ ’) यह चिह्न दिया जाता है। जैसे—गुरु जी ने कहा था—“जिसको पाठ याद न होगा उसे दण्ड मिलेगा।”

११ लाघव चिह्न—जो शब्द बहुत प्रसिद्ध हो या जिसे बार बार लिखने की आवश्यकता पड़े उसका पहला अक्षर लिख कर आगे लाघव चिह्न लगा देते हैं। जैसे—सवत्, मिति, तिथि आदि की जगह स०, मि०, ति०।

अभ्यास

१ शब्दों का मेल क्या होता है ? सशा और सवनाम का मेल किन नियमों से होता है ?

२ यदि दो एकवचनान्त शब्द ‘और’ अथवा ‘या’ से जुड़े हों तो क्रिया में कान वचन होगा ? यदि कता भि न भिन्न पुरुषों के हों तो क्रिया किस पुरुष में होगी ?

३ वाक्य में शब्दों का क्रम किस तरह होता है ? सम्बन्ध कारक कहाँ रहता है ?

४ वाक्य, सण्डवाक्य और वाक्यांश में क्या भेद है ?

५ सण्डवाक्य के कितने भेद हैं ?

६ उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय ?

७ उद्देश्य में कौन कौन से शब्द हो

८ ऐसा वाक्य बनाओ जिसमें विशेषण उद्देश्य की तरह प्रयुक्त हो।

० उद्देश्य का विस्तार किन किन शब्दों से होता है और विशेष्य का किन किन शब्दों से ?

१० रचना के अनुसार वाक्य कितनी तरह के हैं ?

११ मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य में क्या भेद है ?

१२ आश्रित खण्ड वाक्य कितनी तरह के होते हैं ? प्रत्येक के दो उदाहरण दो।

१३ संयुक्त वाक्य कितनी तरह के होते हैं ?

१४ नीचे लिखे उद्धरण में त्रिराम चिह्न लगाओ—

विशाल विश्व में यदि कोई इश्वर हो तो मैं हूँ धर्म हो तो मैं हूँ प्रेम हो तो मैं हूँ मं सत्य हूँ मं गिर हूँ मैं सुन्दर हूँ मैं सत् हूँ मैं चित् हूँ म आनन्द हूँ म ममता हूँ मैं रूपया हूँ ।

मेरी झनझनाहट में जो अलौकिक मधुरिमा है वह वीणापाणि की वीणा में कहाँ लक्ष्मीपति के पाञ्चजन्य में कहाँ कोकिल कल कावली में कहाँ कामिनी के कोमल कण्ठ में कहाँ यहाँ कहाँ वहाँ कहाँ मैं सप्त स्वरो से ऊपर अष्टम स्वर हूँ परम मधुर हूँ मैं रूपया हूँ ।

गीता के गायका चण्डी सप्तशती के पाठको भागवत के भक्तो सत्यनारायण के प्रेमियो मेरा गीत गाओ मेरा पाठ पढ़ो मेरे भक्त बनो तरनतारन मैं हूँ भव भय हरण मैं हूँ अशरण शरण मैं हूँ जन दुख हरण मैं हूँ धवल वरण मैं हूँ मङ्गल करण मैं हूँ म रूपया हूँ ।

पाँचवाँ अध्याय

वाक्य रचना

वाक्या की रचना में शब्दों का शुद्धरूप और ठीक क्रम ही पर्याप्त नहीं, उपयुक्त पदों पर समूहों और प्रयोगों का जानना भी जरूरी है। अर्थात् प्रकरण के अनुसार जँरते हुए शब्द हों, यथेष्ट छोटे और बड़े पद समूह हों और मुदायरा तथा लोकोक्तियों का प्रयोग हो, तो रचना में मौन्दर्य और लालित्य निश्चित है। व्याकरण पढने का पूरा पूरा ताभ भी तभी है जब हमें सुन्दर और ललित भाषा लिखना आ जावे। अतः अगले दो एक अध्यायों में हम इन्हीं बातों का वर्णन करेंगे।

उपयुक्त पद

उपयुक्त पद प्राप्त करने के लिए हमें शब्दों के ठीक ठीक अर्थों, और मिलते जुलते शब्दों के अर्थ भेद आदि का ज्ञान होना चाहिए। इस अध्याय में इसी दृष्टि से शब्दों का कुछ समूह दिया जायगा।

पर्यायवाचक अथवा समानार्थक शब्द वे हैं जो एक ही अर्थ को प्रकट करें। जैसे—

आँख = चक्षु, दृग्, नयन, नेत्र, लोचन आदि ।
 आकाश = अम्बर, अन्तरिक्ष, गगन, नभ, व्योम आदि ।
 आनन्द = आमोद, आह्लाद, प्रमोद, प्रसन्नता, हर्ष आदि ।
 इन्द्र = इन्द्रेन्द्र, देवराज, शतक्रतु, सुरेन्द्र, सुरेश आदि ।
 कमल = अम्बुज, अरविन्द, पद्म, राजीव, सरोज आदि ।
 कामदेव = अनङ्ग, पञ्चबाण, पुष्पसायक, मन्मथ, मार
 आदि ।

चन्द्र = इन्दु, निशांकर, विधु शशि, सोम आदि ।
 तालाव = ताल, तडाग, सर, सरोवर, हृद आदि ।
 जल = उदक, तोय, नीर पय, वारि आदि ।
 पुत्र = आत्मज, औरस, तनय, सुत, सूनु आदि ।
 पृथिवी = अग्नि, धरणी, भूमि, वसुधा आदि ।
 फूल = कुसुम, पुष्प, प्रसून, सुमन आदि ।
 नादल = घन, जलद, जलधर, मेघ, पयोद आदि ।
 विजली = चपला तड़ित्, दामिनी, पिशात् आदि ।
 ब्राह्मण = अमजन्मा, द्विज, भूदेव, भूसुर, विप्र आदि ।
 भ्रमर = अलि, द्विरेफ भृङ्ग, मधुकर, मधुप आदि ।
 रात्रि = क्षपा, निशा, शीमिनी, रजनी, विभायरी आदि ।
 सूर्य = अरुण, आदित्य, दिनकर, भानु सविता आदि ।
 समुद्र = उदधि, जलधि, रत्नाकर, सागर, सिन्धु आदि ।

(०) द्व्यर्थक शब्द वे हैं जिनके एक से अधिक अर्थ हों। प्रकरण भेद से इनमें अर्थ-भेद हो जाता है। ऐसे कुछ एक शब्द प्रयोग सहित यहाँ दिये जाते हैं।

अक्षर—'अ' हिन्दी वर्णमाला का पहला अक्षर (वर्ण) है।

उस अक्षर (अविनाशो) अनादि, अनन्त का स्मरण करो।

उत्तर—इस प्रश्न का उत्तर (जवाब) देना यद्वा कठिन है।

तत्पुरुष वह नमास है जिसमें उत्तर (पिछला) पद प्रधान हो।

वनक— कनक(मोना)वनक(धनूरा) ते सौगुनी मादकता अधिकाय पद साये धौरात है यह पाए धौराय।

कल— कल (घंटा हुआ दिन) हम स्कूल उहाँ गये थे।

कल (आगे आन वाला दिन) तो छुटी है।

कल (चैन) न पढ़त काष्ठ दिन .. ।

छाप की कल (मशीन) के प्रचार से शिक्षा में बहुत वृद्धि हुई है।

काम— काम (कार्य) करो और काम लो।

निष्काम(बिना लालसा के) कर्म करने से मोक्ष प्राप्ति होती है।

काम(कामदेव) को पञ्चवाण भी कहते हैं।

काल काल (समय) तीन होते हैं, वर्तमान, भूत, भविष्यत्।

काल(मृत्यु)करारा के पजे से अथ तक कोई नहीं बचा।

पक्ष—विष्णु के बायें पक्ष (पार्श्व) में सदा लक्ष्मी रहती है।

जिसके पक्ष (पक्ष) होते हैं उसे, पक्षी कहते हैं।

बुद्धिमान निज पक्ष और विपक्ष की शक्ति का विचार कर काम करते हैं।

आजकल कृष्ण पत्र (पत्रपत्र) है ।

पत्र—वसन्त में वृक्षों पर हरे हरे पत्र (पत्ते) क्या सुन्दर लगते हैं ।

आज मैंने पत्र (पत्रपत्र) में पत्रा कि जापान युद्ध करने को प्रस्तुत है ।

आप का प्रेम भरा पत्र (चिट्ठी) प्राप्त कर प्रसन्नता हुई ।

इस पुस्तक के कितने पत्र (पृष्ठ) हैं ?

सोना—सोना (सुवर्ण) एक कीमती धातु है ।

दिन को मोना ठीक नहीं ।

वर्ण—वर्ण (अक्षर) वह मूल ध्वनि है जिसके टुकड़े न हो सकें ।

फाले वर्ण (रग) का कृता भयङ्कर होता है ।

ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार वर्ण हैं ।

और—कैलाश और (तथा) रमेश तुम्हें ढूँढने आये थे ।

मुझे और (अधिक) रुपये चाहिए ।

कर—आपके चरणों में कर (हाथ) जोड़ कर यही पिनती है ।

सूर्य के प्रसर करों (किरणों) में घरती जल रही थी ।

मैं ५० सालाना कर (टैक्स) देता हूँ ।

ऐस काम मत कर (करना क्रिया का रूप) ।

भाग—इसके चार भाग (टुकड़े) कर डालो ।

मकान के बायें भाग (हिस्से) में सराय है ।

हमारा भाग (भाग्य) ही फूटा है ।

इस को ५ में भाग दो ।

(३) अत्र वे शब्द लिखे जाते हैं जिनके रूप और उच्चारण में बहुत कुछ समानता होते हुए भी अर्थ में भेद है।

उधार—चार रूपये उधार दो।

उद्धार—दरिजनों का उद्धार करो।

और—अपने जीवन की ओर देखो।

और—राम और श्याम तुम्हें मिलने आये थे।

कुल—विवाह सम्बन्ध में कुल अच्छा चाहिए।

कूल—आओ गंगा के शीतल कूल पर बैठे।

कोर—बस्त्र की कोर भी नहीं भीगी।

कौर—खाना खाते समय छोटे छोटे कौर लो और खून चबाओ।

कर्म—इन अक्षरों को ठोकर कर्म से लिखो।

कर्म—मनुष्य जैसे कर्म करता है वैसा फल पाता है।

पुरुष—जगत् में सज्जन पुरुषों का ही जन्म सार्थक है।

परुष (कठोर) शब्द कभी न बोलो।

पानी—ठंडा पानी लाओ।

पाणि—विवाह को पाणिग्रहण संस्कार भी कहते हैं।

प्रणाम—आपको मेरा प्रणाम हो।

परिणाम—परीक्षा का परिणाम मई में निकरोगा।

प्रभाव—कृष्ण की युक्ति का बहुत प्रभाव पडा।

पराभव—अन्त में कौरवों का पराभव हुआ।

विजन—विजन (मनुष्य रहित, एकान्त) देश है, निशा शेष है।

व्यजन—क्या मैं व्यजन (पखे) से पवन करूँ ?

विना—बिना कमाई के कय तक निर्वाह होगा ?

वीणा—वीणा की झकार बड़ी मोठी होती है।

समान—चाणक्य के समान नीतिज्ञ कोई न हुआ होगा ।

सम्मान—माता पिता का सम्मान करो ।

सुत—शान्तनु सुत (पुत्र) भीष्मपितामह कहलाए ।

सूत—कर्ण सूत (सारथि)-पुत्र था ।

अपेक्षा—राम की अपेक्षा (बनिस्वत) श्याम अधिक मेहनती है ।

उपेक्षा—रमेश का सेठ साहज पर उठा प्रभाव है, उसकी बात की सेठ साहज उपेक्षा (तिरस्कार, उदासीनता) नहीं कर सकते ।

इसी प्रकार द्वीप (टापू), टाप (दीपक), पडना, पढना, प्रमाण (सूत्र) परिमाण (अन्दाजा) प्रसाद (शृपा), प्रासाद (महल), लोटना, लौटना, वसन (वस्त्र), व्यसन (चसका), आकाश, अवकाश (फुरसत), तरणि (सूर्य), तरणी (नौका), तरुणी (युवती स्त्री) आदि शब्दों में रूप और उच्चारण में बहुत कुछ समानता होते हुए भी अर्थों में भेद है ।

४ कुछ एक ऐसे शब्द हैं जो साधारणतया समानार्थ मालूम होने हैं पर वास्तुतः उनका अर्थ भिन्न है । जैसे—

मूर्ख, मूढ़, अनभिज्ञ—जिस में समझने की शक्ति ही न हो वह मूर्ख या मूढ़ है । तेज बुद्धि वाला होने पर भी जिसे विषय-विशेष को जानने या समझने का अवसर ही न मिला हो वह उम विषय-विशेष से अनभिज्ञ कहा जायगा । जैसे इसको व्याकरण कौन पढाएगा, यह तो निरा मूर्ख है । स्वामी दयानन्द जी वेदों के प्रकांड पंडित थे परन्तु अंग्रेजी में अनभिज्ञ थे ।

प्रेम, स्नेह, प्रणय, वात्सल्य—प्रेम साधारण तौर पर प्रयुक्त होता है। भाई-बहनों का आपस में और बेटों या छोटों के प्रति जो प्रेम होता है उसे स्नेह कहते हैं। पति पत्नी के प्रेम को प्रणय और माता पिता के सन्तान के प्रति प्रेम को वात्सल्य कहते हैं।

कृपा, दया—छोटों की सहायता करने की इच्छा कृपा है। किसी को दुखी देखकर हृदय पिघल उठना है, वह दया है। साधारण शिष्टाचार में भी कृपा का प्रयोग होता है। जैसे—यह आपसी महती कृपा है जो आपने हमें दर्शन दिए। कृपा कर पत्र-व्याहर के हाथ (५) भेज दीजिए। उसे रोता देख कर मुझे क्या आ गई।

दुःख, कष्ट—दुःख मानसिक विकार है। कष्ट शारीरिक या आर्थिक होता है। शिष्टाचार में भी कष्ट का प्रयोग होता है। जैसे—पुत्र को दस साल की सजा मिली है, यह सुनते ही माता के दुःख की सीमा न रही। छत में गिरने से उसकी टाँग टूट गई है, बेचारे को बहुत कष्ट है। मैं स्वयं ही हाजिर हो जाता, आपने व्यर्थ ही आने का कष्ट उठाया।

भ्रम, प्रमाद—अज्ञान से जो चूक हो वह भ्रम और लापरवाही से जो चूक हो वह प्रमाद है। मैं इसी भ्रम में रहा कि महात्मा जी १४ तारीख को आने वाले हैं, मुझे पता होता वे आज आएंगे तो मैं जरूर स्टेशन पर पहुँचता। तुम्हें मैं सुन ही बत गया था कि १० बजे मुकदमा शुरू होगा और तुम ११ बजे तक कचहरी न पहुँचे, तुम्हारे प्रमाद से हम मुकदमा हार गए।

वाम्य विचार

समान—चाणक्य के समान नीतिज्ञ कोई न हुआ होगा ।

सम्मान—माता पिता का सम्मान करो ।

सुत—शान्तनु सुत (पुत्र) भीष्मपितामह कहलाए ।

सूत—ऋण सूत (सारथि)-पुत्र था ।

अपेक्षा—राम की अपेक्षा (वनिस्वत) श्याम अधिक भेद

उपेक्षा—रमेश का सेठ साहय पर बड़ा प्रभाव है, उसका
की सेठ माहय उपेक्षा (तिरस्कार, उदासीनता)
सकते ।

इसी प्रकार द्वीप (टापू), तप (द्वीपक), पडना,
प्रमाण (सनूत) परिमाण (अन्दाजा) प्रसाद (प्रासाद (महल), लोटना, लौटना, वसन (वस्त्र), व्यसन (आकाश, अरकाश (फुरसत) तरणि (सूर्य), तरणी (तरुणी (युवती स्त्री) आदि शब्दों में रूप और उच्चारण कुछ समानता होते हुए भी अर्थों में भेद है ।

४ कुछ एक ऐसे शब्द हैं जो साधारणतया समानार्थक होते हैं पर वस्तुतः उनका अर्थों में भेद है । जैसे—

मूर्ख, मूढ़, अनभिज्ञ—जिस में समझने की शक्ति हो वह मूर्ख या मूढ़ है । तेज बुद्धि वाला होने पर भी विषय विशेष को जानने या समझने का अवसर ही न हो वह उस विषय विशेष से अनभिज्ञ कहा जायगा । इसको व्याकरण कौन पढाएगा, यह तो निरा मूर्ख है । दयानन्द जी वेदों के प्रकाश पढित थे परन्तु अनभिज्ञ थे ।

देखना, दर्शन करना—साधारण तौर पर देखने को देखना कहते हैं। अपने से बड़ा से किसी कार्य-प्रयत्न मिलने को दर्शन करना कहते हैं। शिष्टाचार में भी मिलने के स्थान पर दर्शन करना ही कहा जाता है। देवता और उसकी प्रतिमा के भी दर्शन किये जाते हैं।

अथला, निर्बला—स्त्री मात्र को अथला कहा जाता है, चाहे वह कितनी ही बलवती क्यों न हो। ताडका, हिडिम्बा, रानी दुर्गावती और रानी लक्ष्मीबाई को भी अथला कहा जायगा। निर्बला केवल उसी अथला का कहा जायगा जिसमें शारीरिक बल कम हो।

कर्म, काम—काम तत्सम भी है और तद्भव भी। तत्सम काम का अर्थ है 'कामत्वे' और तद्भव काम 'कर्म' का अपभ्रंश है। कर्म के स्थान पर उसके तद्भव रूप काम का प्रायः प्रयोग होता है। निम्नलिखित अपवाद हैं—व्याकरण में कारक का कर्मकारक ही कहा जायगा कामकारक नहा, इसी प्रकार नित्य कर्म को नित्यकाम नहीं कहा जाता।

पितर, पिता—जन्म दाता को पिता और सभी मृत पूर्वजों (पिता, दादा, पडदादा आदि) को पितर कहते हैं।

वश, वाँस—वश में कुल और वाँस दोनों का बाध होता है, वाँस से कुल का बोध नहीं होता।

विपरीतार्थक शब्द —जिन शब्दों के अर्थ एक दूसरे से त्रिलकुल उल्टे हों उन्हें विपरीतार्थक कहते हैं। कुछ विपरीतार्थक शब्द ये हैं—आदि-अन्त, आगे-पीछे, अर्थ-अनर्थ, लौकिक-अलौकिक, सयोग-वियोग, मान-अपमान, अनुकूल-प्र

यश-अपयश, धनी-निर्धन, सुख दुःख, जीवन मृत्यु पाप-पुण्य
 धर्म-अधर्म उद्धत-प्रिनीत, आकाश-पाताल, कृश-स्थूल पण्डित
 मूर्ख, दानी-रूपण कोमल-कठिन, नूतन-पुरातन, मलिन-निर्मल
 सृष्टि-संहार, स्वतंत्र-परतंत्र, स्थावर-जगम सुताम-दुर्लभ
 आस्तिक-नास्तिक, सुकर-दुष्कर, ऋणी-उऋण, शत्रु-मित्र
 ज्ञान-अज्ञान, एक-अनेक, मान-अपमान, आज्ञा-अवज्ञा
 कृतज्ञ-कृतघ्न ।



छठा अध्याय

वाक्य-संकोचन और वाक्य-विस्तार

पिछले अध्याय में उपयुक्त शब्द चुनने के लिए हमने कुछ सामग्री उपस्थित की थी, इस अध्याय में सुन्दर पद समूहों और वाक्यों की रचना के सम्यन्ध में कुछ कहेंगे।

लिखने में कभी तो थोड़े से शब्दों में ही आशय को प्रकट करना सुन्दर प्रतीत होता है और कभी थोड़े से विचार को फैला कर लिखना ठीक जँचता है। कहीं वाक्य संकोचन होना चाहिए और कहीं वाक्य का विस्तार करना चाहिए इसका ठीक ठीक ज्ञान होना और वैसा करना ही लेखन-कला है। कहीं यह होना ठीक है और कहीं वह, इसका ज्ञान तो अभ्यास से होता है। हाँ, वाक्य संकोचन तथा वाक्य-विस्तार के विषय में कुछ नियम बनाये जा सकते हैं।

वाक्य-संकोचन

दो वादों से अधिक पदों के स्थान में बिना भाव और अर्थ को बदले एक या थोड़े पदों का प्रयोग वाक्य संकोचन कहलाता है। यह संकोचन कई प्रकार से किया जाता है।

(क) मिश्रित तथा मयुक्त वाक्यों को सरल वाक्यों में परिवर्तित करने से। यथा—



उसने अपना कार्य समाप्त किया और घर को चल दिया।
(सयुक्त)

अपना कार्य समाप्त कर वह घर को चल दिया। (सरल)

वह अकेला था पर तब भी उसने राक्षस के साथ खूब युद्ध किया।
(सयुक्त)

अकेला होते हुए भी उसने राक्षस के साथ खूब युद्ध किया। } (सरल)
उसने अकेले ही राक्षस के साथ खूब युद्ध किया। }

उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। (मिश्रित)

उसने अपने को निर्दोष बताया। (सरल)

नियम यह है कि जो ६ बजे शाम के बाद घूमने निकलेगा वह
पकड़ा जायगा। (मिश्रित)

नियमानुसार ६ बजे शाम के बाद घूमनेवाला पकड़ा जायगा।
(सरल)

वह नहीं देगा जब तक कि उसे मजबूर न किया जावे। (मिश्रित)

वह मजबूर किये जाने पर ही देगा। (सरल)

ऐसे कुछ शब्द यहाँ दिये जाते हैं, साथ ही उनका प्रयोग भी
दिखाया जाता है। (मिश्रित)

ऐसे कुछ शब्द प्रयोग सहित यहाँ दिये जाते हैं। (सरल)

(ए) उपसर्ग और प्रत्ययों के योग तथा समास से, जैसे—	
जो केवल दूध पीता है	दुग्धाहारी
अच्छे आचरण वाला	सदाचारी
जो दान करता रहे	दानी
जब तक जीता रहे	जीवनपर्यन्त, आजीवन
जिसके अन्दर दया हो	दयानु

जो सदा धर्म के काम करता रहे
जो ईश्वर को न माने
तीन महीने पीछे होने वाला
सप्ताह में होने वाला
बहुत से रूप धारण करने वाला
जिसमें जहर का असर हो

धार्मिक
नास्तिक
त्रैमासिक
साप्ताहिक
बहुरूपिया
जहरीला,
निषेला

जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो
सोने से बना हुआ
जिसे किसी बात को जानने की इच्छा हो
जो मुक्ति के लिए यत्नवान हो
जो देना न जा सके
जिसकी तुलना न हो सके
जिससे हृदय फट जाय
जिसका आदि न हो
जिसके पास धन न हो
जिस में कपट न हो
जो लज्जा नहीं करता
जिसका पार न हो
जो करना कठिन हो
जो करना आसान हो
जो दूर की बातों को सोचे
जिसकी चार भुजाएँ हों
जिसकी हजार भुजाएँ हों

वैयाकरण
सुनहरा
जिज्ञासु
मुमुक्षु
अदृश्य
अतुलनीय
हृदयविदारक
अनादि
निर्घन
निष्कपट
निर्लज्ज
अपार
दुष्कर
सुकर
दूरदर्शी
चतुर्भुज

शक्ति के अनुसार	यथाशक्ति
जो अपनी हत्या स्वयं करे	आत्मघाती
हर एक की बात को सहन करने	
का जिसका स्वभाव हो	सहिष्णु
जिस पर्यंत से अग्नि की ज्वाला निकलती हो	ज्वालामुखी
कौंसी, पीतल आदि के घर्तन बेचने वाला	कमेरा

वाक्य-विस्तार (वाक्य-सम्प्रसारण)

एक शब्द अथवा थोड़े शब्दों द्वारा प्रकाशित अर्थ को बहुत शब्दों में प्रकट करने को वाक्य विस्तार कहते हैं। इसके लिए चर्न्हीं दो साधनों का प्रयोग होता जो वाक्य-संकोचन के लिए प्रयुक्त होते हैं। यथा—

- (क) सरल वाक्यों को संयुक्त और मिश्रित वाक्यों में बदलना—
- हम उसकी सर्व प्रियता का कारण जानते हैं। (सरल)
हम जानते हैं कि वह क्यों सर्व-प्रिय है। (मिश्रित)
वह मेरे निवास-स्थान को जानता है। (सरल)
मैं जहाँ रहता हूँ उस स्थान को वह जानता है। (मिश्रित)
वह और उसका भाई लाहौर गए हैं। (सरल)
वह लाहौर गया है साथ ही उसका भाई भी गया है। (संयुक्त)
- (ख) समास का विग्रह कर देना या उपसर्ग और प्रत्यय का अर्थ लोल देना—
- नैयायिक—जिसने न्याय शास्त्र में निपुणता प्राप्त की हो।
वैष्णव—विष्णु का भक्त।
चन्द्रमुख—जिसका मुख चन्द्र के समान हो।

सातवा अध्याय

प्रयोग—मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ

प्रत्येक भाषा में बहुत बार ऐसा होता है कि कई शब्द, विशेष शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं। अथवा विलक्षण अर्थ को प्रकट करते हैं, इसे प्रयोग कहते हैं। ये प्रयोग साहित्य को बार-बार पढ़ने से जाने जाने हैं। इस सम्बन्ध में कोई विशेष नियम नहीं लिखे जा सकते। जैसे—मैं तो एक-दो को ही जानता हूँ, इस अर्थ में 'तीन चार' का प्रयोग नहीं होता। 'वह'-पिछा में बृहस्पति है' इसकी जगह 'वह विद्या में इन्द्र है' ऐसा प्रयोग नहीं होता। 'चुगलो खाना' कहा जाता है 'चुगली पीना' नहीं कहा जाता। कुछ एक ऐसे प्रयोग हम नीचे देते हैं।

अण्ड रण्ड, अन्धाधुन्ध, अटकल-पच्चू, आगा-पीठा, उथल-पुथल, ऐसी-वैसी बीचों-बीच, कौट छौट, चमक दमक, छान-धोन चहल-पहल, धूम धाम, जैसे तैसे, छल प्रपञ्च, नंगघड़ंगा, जोड़-तोड़, पका रमाया, हफ्ता-बफा, मुठ भेड़, डोंवा डोल, हाथों-हाथ, दाना पानी, तीन काने, साँचा-सानी, लकीर का फलीर, सोने में सोहागा, जगल में मगल, चण्डाल चौकड़ी।

जब कोई वाक्य व वाक्यांश शब्दों के साधारण अर्थ को प्रकट न करके किसी विलक्षण अर्थ में प्रयुक्त हो तो उसे अथवा मुहावरा कहते हैं। जैसे—ब्रह्म भद्रकीली बरछ

लट्टू हो गया अर्थात् रोम्न गया, हरिसिंह ने पठानों के दाँत खट्टे कर दिये अर्थात् उन्हें पराजित कर दिया । इन मुहावरों के प्रयोग से भाषा का सौंदर्य बढ़ जाता है । इनकी रचना का कोई विशेष नियम नहीं है । धुरधुर लेखकों के लेख पढ़ने से इनका ज्ञान हो सकता है । कुछ प्रसिद्ध मुहावरों तथा उनके अर्थ आगे दिये जाते हैं—

अग धग मुस्कराना—बहुत ही प्रमत्त होना ।

अगार उगलना—गुस्से में कठोर बचन कह डालना ।

अँगूठा दिखाना—किसी चीज को देने से तिरस्कार के साथ इनकार करना ।

अंधे की लड़की—एक मात्र आधार ।

अंधेरे घर का उजाला—इकलौता बेटा ।

अच्छ के घोड़े दौड़ाना—युक्तियों सोचना ।

अच्छ क पीछे लट्टू लिये फिरना—समझाने पर भी उल्टा काम करना ।

अच्छ चरने जाना

अच्छ पर पत्थर पडना

} —समझ में न आना ।

अपना उल्टू सीधा करना—स्वास्थ्य मित्र बनना ।

अपना साँ मुँह लेकर रह जाना—असफल होकर लज्जित होना ।

अपनी खिचड़ी अलग पकाना—सब से अलग रहना ।

अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारना—स्वयं अपना नुकसान करना ।

अपने मुँह मियों मिट्टू बनना—अपना प्रशंसा आप करना ।

आँख उठाना—बुरी नीयत से देखना ।

आँख खुलना—होश आना ।

आँखें लगना—सोजाना ।

आँखें चार होना—आँख से आँख मिलना ।

आँखें दिखाना—क्रोध से धूरना, क्रोध करना, धमकाना ।

आँखें नीची होना—शर्मिन्दा होना ।

आँखें नीली पीली करना—नाराज होना ।

आँखें फेर लेना—प्रतिष्कूल होजाना ।

आँखों में धूल भोजना—धोखा देना ।

आँखें लड जाना—प्रेम हो जाना ।

आँच न आने देना—कष्ट न होने देना ।

आँसू पोंछना—दिलासा देना ।

आकाश पाताल का अन्तर—बहुत अधिक भेद ।

आकाश से घातें करना—बहुत ऊँचा होना ।

आग में घी डालना—क्रोध को बढ़ाना ।

आटा गीला होना—कठिनाई में पड़ना ।

आटे दाल का भाव मालूम होना—कष्ट का अनुभव होना ।

आड़े हाथों लेना—खरी खोटी सुनाना ।

आपे से बाहर होना—क्रोध के आवेश में सुध रगो बैठना ।

आसमान पर चढ़ना—अत्यधिक प्रशंसा करना ।

आसमान पर धूकना—व्यर्थ परिश्रम करना ।

आसमान सिर पर उठाना—अधिक कोलाहल करना ।

आसमान से घातें करना—झींग मारना, बट बट का घातें करना

इने गिने—थोड़े से ।

ईट से ईट बजाना—विषय करना ।

- ✓ ईद का चॉद होना—चिरकाल पीछे दर्शन देना ।
 ढँगली पर नचाना—घर में रखना ।
 उधार खाए बैठना—ताक में रहना ।
 उधेड चुन—सोच विचार ।
 उलटी गंगा बहाना—विपरीत बात करना ।
 कमर टूटना—निराश हो जाना ।
 कलेजे पर साँप लोटना—ईसा से या दुख में दिल जलना ।
 कलेजा मुँह की आना—जा घराना ।
 कागजी घोड़े दौडाना—घातों ही बनाना काम न करना ।
 कान कनरना—बड़कर काम करना ।
 कानखुलना—हाश आना ।
 कान देना—ध्यान देकर सुनना ।
 कान पकडना—किसी उर काम को फिर न करने का मत लेना ।
 कान भरना—चुगली करना ।
 ✓ कान पर जूँ न रेंगना, कान में तेल डाले बैठे रहना— लगातार
 कहने पर भा ध्यान न देना ।
 काम आना—युद्ध में मारा जाना ।
 काला नाग—अत्यन्त कुटिल या खोटा ।
 कितार का कीड़ा होना— अधिक पढ़ते रहना ।
 किस मर्ज की दवा—किस काम के लिए ।
 किस मुँह से—किस बल पर ।
 किम्सा रातम होना— क्षगदा निपट जाना ।
 ✓ कुँआ खोटना—हानि पहुँचाने का यत्न करना ।

- कुत्ते की मौत मरना—बहुत जुरी तरह से मरना ।
 कोई दम का मेहमान—मरने के करीब होना ।
 कोरा जवाब—साफ इनकार ।
 कोन्हू का वैल—दिन रात काम करने वाला, अत्यन्त परिश्रमा ।
 धदाई में पड़ना—क्षमेले में पड़ना, कुछ निश्चित न होना ।
 खार उड़ना, खाक में मिलना—धरवाद होना ।
 खार छानना—भटकना ।
 खाला जी का घर—आसान काम ।
 खिचड़ी पकाना—गुप्त रूप से कोई वदयन्त्र करना
 खून उबलना—गुस्सा आना ।
 खून सूखना—डरना ।
 खून का प्यासा—किसी की जान लेने पर उतारू ।
 खयाली पुलाव पकाना—मनमानी कल्पनाएँ करना ।
 गडे मुट्टे उखाडना—पुरानी बात ले बैठना ।
 गरदन उठाना—विरोध करना ।
 गरदन पर मजार होना—पीछा न छोडना ।
 गला घोटना—जबरदस्ती करना ।
 गले का हार—अति प्रिय, जो कभी जुदा न किया जा सक ।
 गौंट का पूरा—मालदार ।
 गौंट में बाँधना—अच्छी तरह याद रखना ।
 गाल बजाना—बाँग मारना ।
 गिन गिनकर—धीरे से या कष्ट से ।
 गिरगिट की तरह रग बड़लना—एक सिद्ध न्त पर स्थिर न

गुड़ गोवर कर देना—काम बिगाड़ देना ।

गुरु घटाल—बड़ा घालाक ।

घड़ों पानी पड़ जाना—अत्यन्त एग्जित होना ।

घर का रास्ता लेना—चलै जाना ।

घर तक पहुँचाना—समाप्ति तक पहुँचाना ।

घर बैठे—बिना परिधम किये ।

घर में गंगा—बिना गीठ धूप के किमी वस्तु की प्राप्ति ।

घाट घाट का पानी पीना—गद्दाँ-तद्दाँ से अनुभव प्राप्त करना ।

घाय पर नमक छिड़कना—दुखों को दुर्वचनों द्वारा और दुःख देना ।

घास रोदना—म्यथं समय गँवाना ।

घी के दीए जलाना—मौज करना ।

घोड़े बेचकर मोना—निश्चित होकर साना ।

चलती गाड़ी में रोड़ा अटकाना—होते हुए काम में विघ्न डालना ।

चौद पर थूकना—किसी की म्यथं निन्दा करना और पन्त स्वयं निन्दित होना ।

चादर से चाहर पैर पमारना—भाप से अधिक ध्यय करना ।

चार दिन को चॉन्नी—घाट दिन का मुग्ध ।

चार पैमें—कुड पन ।

चिड़के को पर लगाता—मृग्यु समीप भाषा ।

चिकना घड़ा—बड़ भादमा जिन पर उपदेश का वृत्त भगर न हा ।

चुटकियों में—अनिनीय ।

चुल्ड भर पानी में डूब मरना—कज्जा के मार मुँह न दिग्वा मरना ।

चूँ न करना—विरोध में कुछ न कहना ।

चूड़ियों पहनना—औरत बनना ।

चेहरा उतरना—उत्स होना ।

चेहरे पर हवाइयों उड़ना—भयभीत होना ।

चौली दामन का साथ—निरन्तर साथ रहना, अत्यधिक घनिष्टता ।

चौका लगाना—मष्ट कर देना ।

छँटा हुआ—बदमाश ।

छक्के छूटना—हिम्मत हारना ।

छटी का दूध याद आना—सब सुख भूल जाना, भारी सक्क पडना ।

छपर फाड़कर देना—बिना परिश्रम के देना ।

छाती पर मूँग दलना—किसी के मामले दुःख देने वाली बात करना ।

छाती पर साँप लोटना—इंफ्या होना ।

खदान में लगाम न होना—अड बट कह डालना ।

खमीन पर पैर न पडना—बहुत अभिमान होना ।

जल भुन कर कोयला होना—क्रोध में पागल हो जाना ।

जहर का घूँट पीना—किसी अनुचित बात को देखकर अन्दर ही अन्दर

क्रोध ज्वल कर लेना ।

जान के लाले पडना—सक्क में पडना ।

जान पर खेलना—खुशी से प्राण दे देना ।

जींती मक्खी निगलना—सरासर बेइमानी करना ।

जूत पडना—मुकसान होना ।

जूती घाटना—वापत्समी करना ।

टका सा जवाब देना—साफ इनकार करना ।

टट्टी की आड़ में शिकार खेलना—गुप्त रीति से किसी के विरुद्ध काम करना ।

टस से भस न होना—जग भी न हिलना ।

टोंग अडाना—फिक्क दमक दना बाधा डालना ।

टोंग टोंग फिम—आयागना ता बहुत पर फल सुच्छ ।

टेटा खीर—कठिन काम ।

टोपी उछालना—निराश्र करना ।

ठन ठन गोपाता—छूछा, कुठ भा नहीं ।

ठोकना बजाना—परीक्षा करना ।

ठोकर खाना—भूल करना ।

ढका बजाना—शामन करना ।

ढढ बजात फिरना—निरुम्म फिरना ।

डुबती नाव को पार लगाना—संकट से छुड़ाना ।

डुबते रो तिनके का महारा—निस्महाय मनुष्य को थोड़ी-सी सहायता ।

डेढ डेट की जुटा मसजिद बनाना—दृढक मत चलाना ।

तिनका सिर पर रखना—विनता करना ।

तिल का ताड करना—बात बनाना ।

तिल धरन की जगह न होना—बहुत अधिक भीड होना ।

तिला म तेल होना—भागा हाना ।

तान तेरह करना—तिनर बितर करना ।

तू तू मैं मैं—गाग गगौज, लडाइ-सगडा ।

तेवर बलना—अप्रसन्न हो जाना ।

तोत छो तरह ओपि फेरना—बहुत बमुरध्वन हाना ।

थाली का बैंगन—कभा हम पय में कभी उस पक्ष म ।

- थूकना भी नहीं— भग्यन्त घृणा करना ।
 थूक कर चाटना—वचन देकर फिर जाना ।
 दम भरना—भरोसा करना ।
 दम मारने की पुरसत न होना—जरा भी समय न होना ।
 दौत खट्टे करना—पराजित करना ।
 दौतों तले उँगती दधाना—आश्चर्य प्रगट करना ।
 दौन तोड़ना—परास्त करना, हैरान करना ।
 दौत निकालना—व्यर्थ होना ।
 दाई से पेट छिपाना—जानने यात्रे से कोइ बात छिपाना ।
 दाना पानी—जोविका ।
 दाल में कुछ काला होना—कुछ खटके या सदह की बात होना ।
 दाल न गलना—वश न चलना ।
 दाहिना हाथ—बड़ा भारी सहायक ।
 दिन दूना रात चौगुना होना—खूब उन्नति होना ।
 दिन फिरना—विधि का विपरीत होना ।
 दिल मिलना—एक दूसरे के अनुकूल होना ।
 दीन दुनियाँ को भूल जाना—बिलकुल बेगुबर हो जाना ।
 दुट्टक बात—थोड़े ही में कही साफ-साफ बात ।
 दुनियाँ की हवा लगना—जगद्-व्यवहार का परिचय होना ।
 दुम दया कर भागना—दर के मारे भागना ।
 दूध या दूध और पानी का पानी—ठीक ठीक न्याय ।
 दूध के तौत न टूटना—ज्ञान और अनुभव न होना ।
 दो कौड़ी का भादमी—बुच्छ भादमी ।
 दो नावों पर पैर रखना—दो विरोधी पक्षों का आश्रय लेना ।

- धज्जियों उड़ाना—दोष निकालना ।
 धता बताना—चलता करना ।
 धूप में घाल सफेद करना—बिना अनुभव प्राप्त किये अत्यु जित्त देश
 धोखे की टट्टी— भ्रम में डालने वाली चीज ।
 धोती ढोली करना—डर जाना ।
 न डधर का रहना न उधर का—किसी काम का न रहना ।
 नञ्जर लगाना—जुरी दृष्टि का प्रभाव होना ।
 न तीन में न तेरह में—किसी गिनती में नहीं ।
 नमक मिर्च लगाना—बात को बड़ा कर कहना ।
 नाक काटना—बदनामी हाना ।
 नाक घटाना—घृणा करना ।
 नाक रखना—इज्जत रखना ।
 नाक़िरशाही—मध्य अयाचार ।
 नाक पर मक्खी न बैठने देना—किसी का गृहसान न उठाना ।
 नाक में दम करना—घटुत तग करना ।
 नाक रख लेना—इज्जत बचा लेना ।
 नाक रगडना—क्षीनता से प्रार्थना करना ।
 नाकों चने चवाना—खूब तग करना ।
 नाच नचाना—मनचाहा करा लेना ।
 नानी याद आना—दाश दिक्काने आना ।
 नाम फो भी नहीं—जरा-सा भी नहीं ।
 नाम न लेना—दूर रहना, बचना ।
 निन्यानरे के फेर में पढ़ना—रखवा जोदने की चिन्ता में पढ़ना ।
 नीचा दिखाना—घमण्ड तोड़ना ।

- नीला पीला होना—गुस्से में आना ।
 नौ दो ग्यारह होना—एक दम चपल हो जाना ।
 पगडो उछालना—यद्गति करना ।
 पट्टी पढ़ाना—शुरी सलाह ।
 पत्थर की लकीर—दृढ़ ।
 परदा ढालना—तिपाता ।
 पल्ल भारी होना—यज्ञ बलवान होना ।
 पहाड़ टूट पड़ना—भारी विपत्ति आना ।
 पौधों घा में—गूढ़ लाभ होना ।
 पॉय धो धोकर पीना—अत्यन्त आदर करना ।
 पापाना निक्कलना—शरक मार बुरा ढाल होना ।
 पानी का बुलबुला—क्षणमगुर ।
 पानी की तरह बहाना—उदारता से खर्च करना ।
 पानी पानी होना—छज्जा से सिर नीचा होना ।
 पानी भरना—अत्यन्त तुच्छ प्रतीत होना ।
 पाप कटना—क्षमदा दूर होना ।
 पाप मोल लेना—जान बूझकर बखेडे में फँसना ।
 पापड बलना—अनरु धर्मों में लगना ।
 पीठ ठोकना—उत्साह बढ़ाना ।
 पीठ दिराना—हार कर भाग जाना ।
 पुल बाँधना—बहुत यदा कर कहना ।
 पेट में चूहे कूदना—खूब भूख लगना ।
 पैरो तले से जमीन निकल जाना—होश उड़ जाना ।
 पोल खोलना—गुप्त भेद प्रकट करना ।

वाक्य विचार

पौ बारह होना—बूख लाभ होना ।

प्राण हथेली पर लिये फिरना—प्राण देने पर उताव्र रहना ।

पुस्त पुस्त करना—धीरे धीरे मन्त्रणा करना ।

फूक-फूक कर कदम रखना—सोच-समझकर काम करना ।

पूट पूट कर रोना—बहुत राना ।

बन्दर घुड़की—पेंसी घमकी निसका प्रभाप न हो ।

बगलें मॉकना—निदर होना ।

बगुला भगत—कपटी, धुत्त ।

बरस पड़ना—बहुत मुद्द होकर डॉन टपटने रगना ।

बहिर्यो उछलना—बूष पुरा होना ।

बौड़ पकडना—सहायता देना ।

बापें हाथ का खेल—भति मुगम ।

बाग बाग होना—भानदित होना ।

बाजार जोरों पर होना—काम जोरों पर होना ।

बात का बतगड बनाना—नुष्ट कारण से बड़ा शगटा करना ।

बात का धनी—बायद का पक्का ।

बाल की राल उतारना—प्यर्थ में सूभ विवेचना करना ।

बाल पकना—बूदा हो जाना ।

बाल-बाल बचना—हानि पहुँचने में जरा सी कसर रह जाना ।

बाल भी बौका न होना—चरा भी हानि न होना ।

बालू की भीत—शीघ्र ही नष्ट होनेवाला ।

बीडा उठाना—जिम्मेवारी लना ।

बेगार टालना—दिग्ग कर काम न करना ।

बें सिर पैर की—असम्बद्ध ।

चोलनाला होना—प्रसिद्ध होना ।

घोली मारना—यग्य के शब्द कहना ।

भडा फूटना—भेद खुलना ।

भनक पडना—खबर सुनाई दे जाना ।

भाड शौकना—व्यर्थ समय गँवाना ।

भाडे का टट्टू—फिराये का धाप्पी ।

भिड के छत्ते नो छेडना—पसादी जाप्पी को छेडना ।

मक्खरी मारना—बेकार फिरना ।

मक्खरीचूस—बहुत कज्जम ।

मक्खी पर मक्खी मारना—ज्या की ल्यो नकल उतारना ।

मगज चाटना—तग करना ।

मन के लड्डू खाना—मन ही मन में खुश होना ।

मट्टी करना—नष्ट करना ।

मट्टी का माधो—मूर्ख ।

मट्टी पलीत करना—ग़राब करना ।

माधा ठनकना—आशका होना ।

मारा मारा फिरना—दुर्गति होना ।

मैंह तारुना—अकर्मण्य होकर दूसरे का आश्रय ढूँढना ।

मैंह तोड जवाब देना—पूरा पूरा जवाब देना ।

मैंह धोना—आशा न करना ।

मैंह मे कालिख लगना—अपमानित होना ।

मैंह मे खन लगना—घस्का पडना ।

मुँह चलाना—पचना ।

मुँह मे पानी भर आना—खाने को ललचाना ।

मुँह फट—बकवादी ।

मुँह लगाना—अधिक स्वतंत्रता दे देना ।

मुँह फक् होना—होश बिगड़ना ।

मुट्टी गरम करना—रिश्तत देना ।

मुट्टी मे करना—घस म करना ।

मोटा शिकार—मालदार आदमी ।

मोम होना—दयार्द्र होना ।

मौत का सिर पर खेलना—मौत करीब होना ।

युग युग—बहुत दिनों तक ।

रग चढना—प्रभाव होना ।

रँग-ढँग—रूसा ।

रँगा सिथार—घोखेवान ।

रफूचक्कर होना—दौड जाना ।

रई का पहाड बनाना—बात को बडा कर कहना ।

रात टिन—हमेशा ।

रास्ता देखना—प्रतीक्षा करना ।

लकाकाड होना—गुब मारपीट होना ।

लँगोटिया यार—घनिष्ठ मित्र ।

लधी चौड़ी हॉकना—व्यर्थ बातें करना ।

लट्टू होना—भस्त होना ।

लह के घूँट पीना—क्रोध रोकना ।

लहू पसीना एक होना—अति कष्ट उठाना ।

लुटिया डुबाना—काम बिल्कुल बिगाड देना ।

लेने के देने पड जाना—लाभ के स्थान में हानि होना ।

- लोहा मानना—अधीनता स्वीकार करना ।
 लोह के चने चवाना—अतिवृष्टि ।
 त्रिप गलना—दुर्वचन कहना ।
 शैतान के कान बतरना—बहुत चालाक होना ।
 श्रीगणेश करना—आरम्भ करना ।
 सफे भूट—सरासर झूठ ।
 सज्ज माग दिखाना—बहकाना ।
 समझ पर पत्थर पड़ना—बुद्धि भ्रष्ट होना ।
 सॉप-ड्रेंचर की नशा—दुविधा ।
 सात घाट का पानी पीना—अनेक प्रकार का अनुभव प्राप्त करना ।
 सात पाँच—चालाकी ।
 सिक्का बैठाना—प्रभुत्व जमाना ।
 सितारा चमकना—भाग्य उदय होना ।
 सिर औरों पर—सादर स्वीकृति ।
 सिर चढ़ाना—(१) प्राण न्योछावर करना, (२) लाडला बनना ।
 सिर धुनना—हाथ मलना ।
 सिर नीचा होना—अप्रतिष्ठा होना ।
 मिर पर आ जाना—बहुत समीप आ जाना ।
 सिर पर खून सवार होना—जान लेने पर उतारू होना ।
 मिर पर खेलना—कठिन काम करना ।
 सिर पर हाथ धरना—सहायता करना ।
 सिर पर सवार होना—पीछे लग जाना ।
 सिर मूँडना—ठगना ।
 सिर मे पैर तक—आरम्भ से अन्त तक ।

सिर से कफन बाँधना—मरने को तैयार होना ।

सीधे मुँह घात न करना—अभिमान करना ।

सौ बात की एक बात—निचोड़ ।

सोने की चिड़िया हाथ से निकल जाना—लाभ के द्वार बंद हो
जाना ।

स्वाहा करना—भूँक डालना ।

हँसते हँसते—प्रसन्नता से ।

हँसी उड़ाना—व्यग्य-पूर्ण निन्दा करना ।

हजामत करना—छटना ।

हड्डियों निकल आना—शरीर दुबला होना ।

हथियार डाल देना—हार मान लेना ।

हराम का—वेइमानी से प्राप्त ।

हवा उड़ना—झूरी खबर फैलना ।

हवा से बातें करना—अति वेग से चलना ।

हवा हो जाना—भाग जाना ।

हों में हों मिलाना—सुशामद कर दूसरे का मत मान लेना ।

हाथ उठाना या चलाना—मारना ।

हाथ कटाना—प्रतिज्ञा आदि में बद्ध हो जाना ।

हाथ की मैल—तुच्छ ।

हाथ पर हाथ धरे बैठना—निकम्मा बैठना ।

हाथ के तोते उड़ जाना—अकस्मात् शोक-समाचार सुन कर सहम
जाना ।

[हाथ रौंचना—सहायता बढ़ कर देना ।

हाथ डालना—आरम्भ करना ।

हाथ तग होना—स्पर्धने को थोडा धन होना ।

हाथ धो बैठना—ग्ये देना ।

हाथ धोरु पोंछे पड़ना—धुरी तरह पीठ लगना ।

हाथ पकडना—सहायता देना ।

हाथ पसारना—भोगना ।

हाथ पैर जोड़ना—दानता दिखाना ।

हाथ-पैर मारना—परिश्रम करना ।

हाथ मलना—बछनाना ।

हाथ साक फरना—बेहमानी से टगना ।

हाथों हाथ - खदरी ।

हुषा-पानी बद् करना—बहिष्कार करना ।

हौश उडना—भय या आशका से दुरी होना ।

प्रत्येक भाषा में कुछ ऐसे वाक्य भी प्रचलित होते हैं जो अपन विलक्षण अर्थों द्वारा किसी सचाई को प्रकट करते हैं। ऐसे वाक्य लोकोक्तियों कहलाते हैं। किसी आम सचाई को लोकोक्तियों द्वारा वर्णन करने से भाषा का सौंदर्य बढ जाता है। जैसे—कोई किसी काम की योग्यता न रखता हो पर अपनी अयोग्यता स्वीकार करने के स्थान पर कोई और बहाना बनाए तो साधारणतया 'नाच न जाने आँगन टेढा' इस लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। कुछ एक लोकोक्तियों नीचे दी जाती हैं—

अत गता सो मता—जितका परिणाम अच्छा वह अच्छा ।

अधों म काना राजा—भूषों में थोडा पदे लिखे का भी मान होता है ।

अत भले का भला—भट कार्य का परिणाम भला ही होता है ।

अब पड़ताये होत क्या जय चिड़ियों चुग गईं खेत—समय निकल जाने पर पछताना व्यर्थ है ।

आँसू के अंधे और गॉंठ के पूरे—भूर्व पर धनवान् ।

आप मरे जग परलै—प्राण हैं तो ससार है ।

उलटा चोर कोतवाल को डाँटै—अपराध करके किसी को डोना ।

ऊँची दूकान फीका पकवान—दिखावटी काम होना ।

एक अनार सौ धोमार—जब एक चीज के सैफ़डों इच्छुक हों तब कहा जाता है ।

एक पथ दो काज—एक काम करने से दो काम या लाभ होना ।

एक करेला दूसरा नीम चढा—एक स्वयं सरास 'स्वभाव वाला होता, फिर सगन भी वैसी मिलना ।

काला अक्षर भैंस बराबर—बिल्कुल निरक्षर भट्टाचार्य ।

कुम्हारी अपना ही भौंडा सराहती है—सब अपनी चीज को अज कहते हैं ।

कोयलों की दलाली में मुँह काला—बुरी संगति में बुराई ही मिलती है ।

खोदा पहाड़ और निकला चूहा—बहुत परिश्रम करने पर साधारण लाभ होना ।

घर का भेदी लका ढाहै—पारस्परिक फूट से घर का नाश होता है ।

चिराय तले अँधेरा—वास में ही किसी घटना के होने पर भी उसका ज्ञान न होना या किसी ऐसे स्थान पर बुराई का होना जहाँ उसने रोकने का प्रयत्न हो ।

चोर की दाढी में तिनका—पारपी स्वयं डर जाता है ।

जब तक साँसा तब तक आशा—मरने तक आशा लगी रहती है ।



- जागे सो पावे सोवे सो खोवे—सावधान रहने से लाभ होता है ।
- जिसकी लाठी उसकी भैंस—बलवान् पुत्र का दयदवा रहता है ।
- जैसी करनी वैसी भरनी—कमानुसार फल मिलता है ।
- जैसा मुँह वैसी चपेड या जैसी तेरी तिलचावरी तैसै मेरे गीत—
सामर्थ्य के अनुसार बोझ डालना चाहिये ।
- जैसा देम वैसा भेस—जिस देश में रहे वैसी ही राति ग्रहण करनी
चाहिये ।
- तन को कपडा न पेट को रोटी—निहायत गरीब ।
- तेली जोडे पली पली रहमान लुटावे कुप्पा—किसी क जोडे हुए
धन को जब कोई फूल खर्ची में उड़ा दे तब कहा जाता है ।
- थोथा चना वाजे घना—काम में करने वाला व्यक्ति बकवाद बहुत
करता है ।
- दाम बनाने काम—पैसे से सब काम हो जाते हैं ।
- दूर के ढोल सुझाने—दूर की चीज अच्छी लगती है ।
- धोनी का कुत्ता घर का न घाट का—जो एक ठिकाने पर जम
कर काम न करे, कभी एक काम में लगे कभी दूसरे में और किसी
में सफल न हो, उसे कहा जाता है ।
- नदी में रहना मगर से दर—जिस के अर्घीन हो कर रहे उसी से
यदि बेर करे तो गुजारा नहीं चलता ।
- न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी—जिससे नुकसान हो उसका नाश
ही कर देना अच्छा ।
- नाच न जाने आँगन टेढा—काम करने की योग्यता न होने पर
दूसरे को दोष देना ।

नीम हकीम जान का एतरा—अधूरा ज्ञान हानिकर होता है ।

नौ नगद न तेरह उधार—उधार सौदा दना ठीक नहीं ।

वेकार से बेगार भला—छाली रहने से बिना घतन काम करना ही अच्छा है ।

पहले आत्मा फिर परमात्मा—पहले अपना ठीक कर लो फिर उपकारादि करो । पहले शरीर फिर धर्मादि ।

भागते चोर की लँगोटी ही सही—सब धन जाता हो तो उसम से जो बच वही बहुत है ।

मान न मान मैं तेरा मेहमान—जबर्दस्ती गले पडना ।

मियों की जूती मियों के सिर—किसी व्यक्ति की वस्तु से उसी की हानि करना ।

सौंप मरे न लाठी टूटे—काम भी सिद्ध हो और कोई नुकसान भी न उठाना पड़े ।

सौ मयाने एक मत—सयानों अथवा चतुरों की एक सलाह होती है ।

हाथ कगन को आरसी क्या—प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं ।

हाथी के दाँत एगन के और दिखाने के और—कइना कुछ और करना कुछ और ।

होनहार विखान के होत चीरने पात—होनहार के लभग पहले ही से दीख जाते हैं ।

लोकोत्थियों और मुहावरों के विषय ज्ञान के लिए श्रीबहादुरचन्द गान्ध्या एम ए, एम ओ एल, द्वारा लिखित "लोकोत्थियों और मुहावरों" नामक पुस्तक देखिए ।

परिशिष्ट

अक्षर-विन्यास (Spelling)

देवनागरी लिपि में यह विशेषता है कि उसमें लिखना उच्चारण के अनुकूल ही होता है। उच्चारण शुद्ध हो तो लिखने में अशुद्धि नहीं हो सकती। अतः जितनी अशुद्धियाँ अक्षर विन्यास की हिन्दी भाषा के लिखने में होती हैं उनका कारण या तो यह है कि हमें किसी शब्द के ठीक उच्चारण का ज्ञान नहीं या अशुद्ध उच्चारण हमारे सुनने में आता रहा है और इसी कारण हमारी प्रज्ञान पर चढ़ गया है। अक्षर विन्यास की कुछ मुख्य अशुद्धियाँ यहाँ लिखी जाती हैं।

(१) हिन्दी में अनेक स्थलों पर अ का उच्चारण न होने से लिखने में भी अ का लोप कर दिया जाता है, अर्थात् जहाँ संयुक्त अक्षर नहीं होना चाहिए वहाँ संयुक्त लिख दिया जाता है, जैसे —

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
सक्ता	सकता	प्रमात्मा	परमात्मा
आवश्यकता	आवश्यकता	प्रीक्षा	परीक्षा
समरण	स्मरण		

(२) हिन्दी में अनेक शब्द संस्कृत से लिये गये हैं। संस्कृत शब्द इकारान्त, ईकारान्त, उकारान्त और ऊकारान्त दोनों प्रकार के होते हैं पर हिन्दी के मूल शब्द प्रायः ईकारान्त और ऊकारान्त होते हैं, जैसे—साथी, पानी, आलू, वायू। अतः संस्कृत से लिये गये इकारान्त और उकारान्त शब्द भी कभी कभी दीर्घ लिखे ।

जाते हैं। मुनि को मुनी अतिथि को अतिथी और साधु को, मातृ लिपना आम अशुद्धियाँ हैं। ऐसी अशुद्धियाँ न होने पावें इसलिए आम प्रयोग में आने वाले मरुत के इकारान्त और वकारान्त शब्दों को जान लेना चाहिए। कुछ शब्द नीचे दिये जाते हैं—
 आरुति, कीर्ति गति, जाति, वृत्ति, दृष्टि, नीति, प्रीति, पुद्धि, वृद्धि, भक्ति मति, रीति, विभूति, शक्ति, शान्ति, शुद्धि, स्वीकृति अति, अतिथि, ऋषि, कवि पति, मुनि, राशि, रुचि, विधि, समाधि, ओपधि, आयु, ऋतु गुण, जन्तु परमाणु प्रभु, धनु घाहु विन्दु रघु, रोहु, वस्तु, पायु, सिन्धु, शिशु, साधु।

कहाँ कहीं दीर्घ ई या ऊ के स्थान में ह्रस्व इ या उ अशुद्ध लिख जाते हैं, जैसे—स्त्री को स्त्रि और हिन्दू के स्थान में हिन्दु लिख देना। इकारान्त शब्दों के बहुवचन में ई को नियमानुसार ह्रस्व न कर दीर्घ ही रहने दिया जाता है जो अशुद्ध है 'स्त्री' का बहुवचन 'स्त्रियों' होता है (स्त्रीयों नहीं)।

(३) ऋ का प्रयोग तत्सम शब्दों में ही होता है। इन शब्दों का ज्ञान न होने से हिन्दी में 'रि' की जगह 'रि' या 'इर' लिखा जाता है अतः अशुद्धियाँ हो जाती हैं, जैसे—

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
रिण	ऋण	किरपा	कृपा
रितु	ऋतु	किरपाण	कृमाण
रिषि	ऋषि	किरमी	कृमि
त्रितीय	तृतीय	वित्तान्त	वृत्तान्त
पिर्थक	पृथक्	पिधवी, पिध्वी	पृथिवी
हिरदय	हृदय	गिरस्थी	गृहस्थी
किर्तघन	कृतघ्न		

(५) हिन्दी में ऐं और औ का उच्चारण अय् और अव् के समान होने से जय को जै, निर्भय को निर्भ और स्वभाव को सुभाभो आदि लिख देते हैं, जो अशुद्ध है।

(५) ण और न, ढ और ड, व और व, श, ष और स और झ और ज के उच्चारण में बहुत अन्तर न होने से लिखने में अशुद्धियाँ हो जाती है, जैसे—

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
आचरन	आचरण	ग्रामीन	ग्रामीण
आक्रमन	आक्रमण	नास	नाश
सव	सव	बडा	बड़ा
वर्श	वर्ष	पेश	पेश
कृश्न	कृष्ण	पुरश	पुरुष
सान्ति	शान्ति	वक्र	वक्र
बृहस्पति	बृहस्पति	विश	विष
बन्धा	बन्ध्या	अभिशोक	अभिषेक
वन	वन (जगल)	मनुश्य	मनुष्य
दृष्य	दृश्य	विस्वास	विश्वास
यग्य	यज्ञ	योज्ञ	योग्य
आग्या	आज्ञा	ग्यान	ज्ञान

(५) लिये, लिए, दिये, दिए, किये, किए आदि दोनों रूप शुद्ध समझे जाते हैं, पर इसी कारण लिया के स्थान में लिआ, दिया के स्थान में दिआ, हुआ के स्थान में हुवा, हुआ आदि लिख देना अशुद्ध है—

(६) सयुक्त अक्षर, उच्चारण न कर सकने से अशुद्धियाँ—

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	अशुद्ध
इग्री	ओ	परसिद्ध	प्रसिद्ध
अस्थान	स्थान	भगत	भक्त
उस्तुति, अस्तुति	स्तुति	परित्तर	पथित्र
विद्यियार्थी	विद्यार्थी	परगट	प्रगट
दरशन	दर्शन	सकूल	स्कूल
परनाम	प्रणाम	अश्रान	स्नान
धरम	धर्म	पियारी	प्यारी

(७) पुट्टपर अशुद्धियों —

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
पुरुष	पुरुष	सुन्द्र	सुन्दर
अन्ताकरण	अन्त करण	प्राताकाल	प्रातःकाल
आतर	आतुर	लीरे	लिगे
छपी	छिपी	गिआ	गया
निरभर	निर्भर	प्रिश्रम	परिश्रम



निबन्ध और पत्र-लेखन की अनुपम पुस्तकें

निबन्धमाला

(ले०—बाबू गुलाबराय एम. ए., एल एल बी)

हिन्दी मिडिल, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन प्रयाग की प्रथमा परीक्षा तथा पंजाब यूनिवर्सिटी की हिन्दी-रत्न परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए निबन्ध रचना सीखने के लिए सर्वोत्तम पुस्तक। इसमें विद्वान लेखक ने पहले सरल भाषा में निबन्ध लिखना सीखने की विधि बताई है, तदनन्तर लगभग ६८ निबन्ध दिये हैं। लगभग २५० पृष्ठों की पुस्तक का मूल्य १) मात्र।

निबन्ध प्रकाश

(दूसरा संस्करण)

(ले०—बाबू शम्भूदयाल सक्सेना, साहित्यरत्न, सेठिया कालेज बीकानेर)

यह पुस्तक विभिन्न यूनिवर्सिटियों की मैट्रिकुलेशन या हाई-स्कूल परीक्षा, तथा पंजाब यूनिवर्सिटी की हिन्दी-भूषण परीक्षा के परीक्षार्थियों के लिए लिखी गई है। मध्यम अवस्था के विद्यार्थियों के लिए यह अनूठी पुस्तक है। इसमें भी पहले निबन्ध लिखना सीखने की विधि, तदनन्तर श्रेणी विभाग के अनुसार मिला मिला विषयों पर ४५ निबन्ध और लगभग ४० निबन्धों के एकाके और अभ्यासार्थ निबन्ध दिये गये हैं। लगभग ३०० पृष्ठों की पुस्तक का मूल्य १।) मात्र।

‘सरल पत्र-लेखन’

(ले०—प० वैशवप्रसाद गुक्ल)

पत्र लेखनकला पर यह एक अनूठी पुस्तक है। इनमें पत्र, व्यावहारिक पत्र, निमन्त्रणपत्र आदि सत्र तरह के पत्र नमूने दिये गये हैं। अतः इसके द्वारा बालकों को पत्र लिखने का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। मूल्य 1)

लोकोक्तियाँ और मुहावरे

(तीसरा संस्करण)

(ले०—डा० महादुरचन्द्र शास्त्री, एम ए., एम ओ एल, बी

हिन्दी में प्रचलित लोकोक्तियों और मुहावरों के भिन्न अर्थ तथा उनका अपनी भाषा में किस तरह प्रयोग किया जाता है, यह जानने के लिए इस पुस्तक को एक प्रति उपलब्ध करा दी है। अभी तक इस विषय की किसी पुस्तक में लोकोक्तियों या मुहावरों को अपनी भाषा में प्रस्तुत करके नहीं दिया गया। भारतीय स्कूलों की उच्च-शिक्षाओं के प्रत्येक विद्यार्थी तथा प्रयाग हिन्दी साहित्य सम्मेलन की ‘प्रथमा’ और ‘महापरीक्षा’ पंजाब यूनिवर्सिटी की ‘हिन्दी-रत्न’ और ‘विश्व-भारत’ परीक्षा और बर्नार्ड्सबुलर बोर्ड की ‘बर्नार्ड्सबुलर टो’ और ‘एडवांस्ड’ परीक्षाओं के प्रत्येक परीक्षार्थी के पास एक प्रति आवश्यक होगी चाहिये। १५० पृष्ठ की पुस्तक मूल्य 1) मात्र।

हिन्दी भवन, लाहौर

